खण्ड–4, अंक–3
बुधवार, 30 कार्तिक शक संवत् 1923
(21 नवम्बर, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)
(अनन्तिम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2001)

(खण्ड 4 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित मा0 सदस्यों की सूची		क
प्रश्नोत्तर	...	1—17
आरक्षित वन भूमि में रेत और बजरी के अवैध खनन किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	17—18
सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	18
द्वाराहाट में पुलिस थाना खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	18—19
हरिद्वार—लालढांग—कोटद्वार—कालागढ़—रामनगर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	19
चकराता तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	19—20
राजधानी निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	20—26
श्री हरबंस कपूर द्वारा गढ़वाल जल संस्थान मुख्यालय के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	...	26—27
श्री लाखी राम जोशी द्वारा अमर उजाला समाचार पत्र के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	...	27—28
कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव	...	28—29
वन निगम के छंटनी शुदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में गठित जांच समिति का प्रतिवेदन	...	29
द्वितीय सत्र 2001 में नियम—301 के अन्तर्गत लाई गई सूचनाओं पर शासन की कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	...	29
नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्ष 1999 से 2000 उत्तर प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	...	29—30
पूर्व मुख्यमंत्री का वैयक्तिक स्पष्टीकरण	...	30
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	30—45
संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 का अनुसमर्थन	...	45

विषय		पृष्ठ सं
उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	...	45-
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, विधेयक, 2001 .... (पारित)	...	61-
हरिद्वार में वन गूजरों और दलितों के बीच हुए भीषण संघर्षों के सम्बन्ध में जानकारी	...	85-
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित	...	86-
"यह सदन पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला-मुनस्यारी जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरौला एवं नौगांव एवं जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करता है, के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्वीकृत)	...	91
वित्तीय वर्ष, 2000-2001 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन अनुदान संख्या-5 निर्वाचन, अनुदान संख्या 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या 07 वित्त कर, नियोजन, सचिवालय, अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति आवास एवं शहरी विकास, अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार, अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या-20 बाढ़ एवं सिंचाई अनुदान संख्या-21 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण, अनुदान संख्या-23 उद्योग विभाग, अनुदान संख्या-24 परिवहन, अनुदान संख्या-25 खाद्य विभाग, अनुदान संख्या-27 वन विभाग, अनुदान संख्या-28 पशुपालन विभाग (स्वीकृत)	...	9
उत्तरांचल विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 (पारित)	...	97-
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	
नत्थी	...	105-

उपस्थित सदस्य

(बुधवार, दिनांक 21–11–2001)

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अम्बरीष कुमार
3–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4–श्री इसम सिंह
5–श्री केदार सिंह फोनिया
6–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7–श्री काजी मो0 मोइउद्दीन
8–श्री तिलक राज सिंह बेहड़
9–श्री तीरथ सिंह रावत
10–श्री नारायण सिंह राणा
11–श्री नारायण राम दास
12–श्री नित्यानन्द स्वामी
13–श्रीमती निरूपमा गौड़
14–श्री बिशन सिंह चुफाल
15–श्री भगत सिंह कोश्यारी
16–श्री भारत सिंह रावत
17–श्री मातबर सिंह कण्डारी
18–श्री मुन्ना सिंह चौहान
19–श्री मोहन सिंह रावत "गाँववासी"
20–श्री रघुनाथ सिंह चौहान
21–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
22–श्री राजेन्द्र सिंह
23–श्री राम सिंह सैनी
24–श्री लाखी राम जोशी
25–श्री बंशीधर भगत
26–श्री सुरेश चन्द्र आर्य
27–श्री हरबंस कपूर
28–श्री ज्ञान चन्द

बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा नई डिस्टिलरियों हेतु लाइसेन्स जारी किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

**श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सितम्बर, 2001 में सरकार द्वारा पाँच नई डिस्टिलरियों हेतु लाइसेंस किस नीति के तहत जारी किये गये? यदि हाँ तो किसके आदेश से? क्या ये लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हाँ तो लाइसेंस जारी किये जाने के प्रकरण की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

आबकारी, आपदा प्रबन्धन, मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

माह मई से सितम्बर, 2001 तक पाँच आसवनियों की स्थापना हेतु आबकारी मैनुअल के नियम–702 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नियमानुसार आशय–पत्र जारी किये गये थे।

2–जी हाँ।

3–प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आबकारी मैनुअल का नियम 702 क्या है? इसके अन्तर्गत किसके आदेश से आशय–पत्र जारी किए जाते हैं? यदि यह आशय–पत्र नियमानुसार जारी किए गए थे तो निरस्त क्यों किए गए?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आबकारी मैनुअल के नियम 702 (1) में किसी भी व्यक्ति को, जो आसवनी लगाना चाहता है, को यह अधिकार है कि वह एक प्रार्थना–पत्र दे दे। उसकी प्राथमिक देख–रेख के बाद उसको ऊपर, आबकारी कमिश्नर को भेज देते हैं। पहले पी0डी0–33 और बाद में पी0डी0–32 जारी किया जाता है। जब आबकारी कमिश्नर के पास जाता है तो वह पी0डी0–32 जारी करते हैं, कुछ धनराशि के आधार पर। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि पी0डी0–33 जब जारी किया जाता है, उसको सरल भाषा में आसवानी लगाने की तैयारी मात्र कहा जाता है। 702 के सब–सैक्शन 4 में रिवोक किया जा सकता है। हमने इनको एक पत्र दिया, पत्र देने के बाद जब उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि जो पैसा उन्होंने जमा किया है वह पैसा वापस भी नहीं कर सकते। हमने उनको जनहित में खारिज कर दिया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जितनी सरलता से माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया, यह इतना सरल इश्यू नहीं है। आपने 5 लाइसेंस इश्यू किए इसके बाद इन्हें निरस्त कर दिया। आपने अभी उत्तर दिया कि इनकी प्राथमिक औपचारिकताएं पूरी नहीं थी। क्या माननीय मंत्री जी उन पत्रजातों को सदन के पटल पर रखेंगे जिससे हम यह देख सकें कि आपने उन पत्रजातों के आधार पर ही उन्हें निरस्त किया या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही एक बात बतायी कि यह एक गलतफहमी मात्र है कि उनको लाइसेंस दे दिए गए थे। जो प्राथमिक स्टेज क्लियर कर लेते हैं, उनको लाइसेंस (पी0डी0–32) बाद में दिया जाता है। इन्होंने प्राथमिक स्टेज ही क्लियर नहीं की। हमने जो पत्र इनके पास भेजा था, उसमें पूछा था कि आपने प्रदूषण कण्ट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस कर लिया है, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट लगा लिए हैं, आपकी बिल्डिंग कहीं सार्वजनिक स्थल पर तो नहीं है? ये तमाम चीजें थीं, जब उन्होंने इनका उत्तर नहीं दिया तो हमने जनहित में उनको कैंसिल कर दिया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार उद्योग नीति के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थानों को यह अवसर नहीं देगी कि वे प्रदूषण मुक्ति का सर्टिफिकेट दें। आपके उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपने उन औद्योगिक संस्थानों को तैयारी के लिए अवसर नहीं दिया, जो डिस्टिलरी लगाना चाहते थे और राजनीतिक कारणों से इन्हें निरस्त कर दिया। यह मेरा आरोप भी है और मेरा प्रश्न भी है कि क्या आप उद्योग लगाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को अवसर नहीं देंगे? साथ ही मेरी यह भी मांग है कि वे सभी पत्रजात जो आपने इन औद्योगिक संस्थानों को भेजे, उन्हें सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें पत्रों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चाहेंगे तो हम उन्हें भी दिखा देंगे। उद्योग लगाने वाले किसी भी उद्योगपति का गम्भीर होना बहुत आवश्यक है। हमने अभी तक किसी को लाइसेन्स नहीं दिया है। हमने उन्हें तैयारियों के लिए पत्र दिया था कि वे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आदि अनेक औपचारिकताएं होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए पत्र दिया गया था। बीच–बीच में आबकारी विभाग के अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग भी करते हैं। उन उद्यमियों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया और आवश्यक औपचारिकताओं को समय से पूरा नहीं किया। इसलिए उसे निरस्त कर दिया गया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे यह स्पष्ट है कि सरकार ने जो आशय–पत्र जारी किये थे, उन्हें इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि प्रार्थीगणों ने औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी समय लगा दिया था। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का यह दायित्व नहीं था कि उनको पर्याप्त अवसर दिया जाये। क्या सरकार ने उनको कोई अल्टीमेटम भेजा कि समय पर नहीं करेंगे तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा। 1–2 बार यदि कोई डिफाल्ट करता है तो उसे चेतावनी दी जाती है। दूसरा प्रश्न, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि

क्या सरकार की यह साफ नीति है कि उत्तरांचल में इसके लाइसेंस जारी किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, यह एक प्रारम्भिक प्रक्रिया है और तकनीकी कारणों से भी जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा उसे निरस्त कर दिया गया। माननीय मुन्ना सिंह जी ने कहा कि क्या सरकार की कोई पालिसी है और सरकार करेगी या नहीं। लोगों ने मुझसे भी कहा कि हमने इसपर करोड़ों रुपये लगा दिये। निश्चित रूप से हमारे लिए यह पालिसी तय करना अभी बाकी है और नीतिगत रूप से भी हमने तय किया कि अभी हम इसे नहीं करेंगे। इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी अब मेरा पुनः यह है कि क्या इसके लिए उद्यमी सीरियस नहीं थे या सरकार सीरियस नहीं थी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने नीति का निर्धारण नहीं किया था तो उद्यमियों को यह आशय–पत्र क्यों जारी किये गये कि आप इन औपचारिकताओं को पूरा करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह प्रक्रिया कोई हमारी सरकार ने नहीं प्रारम्भ की है। यह पहले से ही चल रही थी। मेरी इच्छा है अभी नहीं होना चाहिए, नीतिगत भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने उसे निरस्त कर दिया।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आधारभूत औपचारिकता थी वह उद्यमियों ने शुरू में पूरी की थी, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। सरकार को पहले इस प्रकार की औपचारिकता निर्धारित करनी चाहिए थी और यह देखना चाहिए था कि उद्यमी इस स्थिति में हैं या नहीं। अभी मा० मुख्यमंत्री जी ने कहा करोड़ों रुपया उनका खर्च हो गया है। अगर एक उद्यमी का करोड़ों रुपया खर्च होगा तो वहाँ पर इस तरह का लाइसेंस जारी नहीं होगा तो आने वाले उद्यमी यहाँ पर क्यों आयेंगे। क्योंकि सरकार की नीति तो त्रुटिपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों को पुनः अवसर देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में भविष्य में देखेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने कहा इसके लिए एक साल का समय होता है। एक वर्ष के अन्दर जो कमियाँ हैं उनको पूरी कर दें। अगर एक वर्ष के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो शासन को अधिकार है कि वह आशय–पत्र को निरस्त कर दें। अगर मूल प्रश्न देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा है कि सितम्बर, अक्टूबर, 2001, तो मा० मंत्री जी ने कहा एक साल पूरा होना चाहिए मगर यह तो तीन महीने पूरे हुए। इसलिए मा० मंत्री जी ने एक साल वाली बात ठीक कही या

जो निरस्त किया वह ठीक किया। अब मेरा कहना है, जैसा मा0 नेता सदन ने कहा कि शासन की नीति इस बारे में तय ही नहीं थी कि जो नई डिस्टलरीज हैं, इनको लाइसेंस देंगे या नहीं देंगे। जब नीति तय नहीं थी तो लेटर आफ इन्डेंट किसने जारी किये और किस तारीख में जारी किये। बिना सरकार की नीति के जिसने भी जारी किये उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष–

इसको तो इन्होंने स्वीकार भी किया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, लेटर आफ इन्डेंट एक सामान्य प्रक्रिया है। यह विभागीय काम है और विभाग अपना काम कर रहा था, विभागीय काम चलता रहता है। जरूरी नहीं कि केबिनेट का निर्णय लें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अगर शासन की नीति नहीं थी तो किसने जारी किये और क्यों किये।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न में आपने पूछा है उसमें इन्होंने "जी हाँ" कहा है। आपने कहा है कि लाइसेंस जारी करने के प्रकरण में जाँच की जायेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और इन्होंने स्वीकार किया है जी हाँ। यह तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जाँच करायेंगे और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए कि माननीय नेता सदन और मा0 संसदीय मंत्री जी, मान्यवर, मैंने नहीं आपने सुना, आप ही संरक्षण दे भी सकते हैं। बहुत विरोधाभासी उत्तर दिये, आखिर परम्पराओं के अनुरूप सदन को यह अधिकार है कि जब प्रश्न पूछा जाय तो उत्तर सफाई से आये।

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने सच बोला कि डिस्टिलरी का लाइसेंस जारी करना शासन की नीति में नहीं है। अब प्रश्न यह है कि यह लाइसेंस जारी हो गये, क्योंकि शासन की नीति तय नहीं हुई इसके लिए प्रारम्भिक प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यह स्वीकार कर लिया कि हमारी नीति नहीं थी और नीति के विरुद्ध यह लाइसेंस भी जारी किया, वह गलत हुआ। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसकी जाँच करायेंगे और जो लोग इस कार्य में लिप्त हैं उनको दण्डित करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह तो मूल प्रश्न के उत्तर में आ गया कि हाँ करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने बता दिया है कि हम प्रसंग की पूरी जानकारी कर लेंगे और उसके बाद बता देंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इस विषय को बहुत ही अनावश्यक सतर्कता बरतते हुए इसका उत्तर शासन की तरफ से आया। अनावश्यक सर्तकता इसलिए कह रहा हूँ कि जब डिस्टिलरी के लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी का आशय यह निकल करके आ रहा है कि शराब लाइसेंस का मतलब होता है कि सीधा–सीधा शराब का कारखाना। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि शराब लाइसेंस का आशय सरकार का क्या है। क्या यह शराब का कारखाना है या इन्डस्ट्रियल एल्कोहल इस प्रदेश की जरूरत नहीं है, क्या यह सामान्य उद्योग की श्रेणी में नहीं आता, क्या सरकार इन्डस्ट्रियल शराब का उत्पादन सामान्य उद्योग की श्रेणी में रखकर विचार कर रही है, या केवल उसको शराब का कारखाना मात्र बता रही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसको उद्योग के परिपेक्ष्य में एग्जामिन कराने की बात माननीय नेता सदन ने कही है। चूँकि ऐसी स्थितियां थीं, जैसा कि आप को ज्ञात है यह संवेदनशील मुद्दा था, तो इसमें उद्योग की श्रेणी में आता है। इसलिए इसकी पूर्ण जाँच कराने की बात कर दी है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा जाँच के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं है। मैंने बहुत साफ किया कि दोनों के बीच में ग्रे–लाइन है। शराब के कारखाने की बात कर रहे हैं तो बात दूसरी है। मैं यह कह रहा हूँ कि इन्डस्ट्रियल शराब प्रोडक्शन बनाने के लिए लाइसेंस जारी करेंगे, सरकार की नीति है या नहीं?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि शराब जो भी बनती है उसे यह समझते हैं कि यह मदिरा के लिए हो रहा है, यह मदिरा ही इससे नहीं बनती, 40 प्रतिशत ही मदिरा बनाने में प्रयोग होता है और 60 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों पर इसका उपयोग होता है। आपने जो कहा है तो हम उसको उद्योग की ही दृष्टि से देख रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

वन रक्षक के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन रक्षक का कार्यक्षेत्र कम से कम और अधिक से अधिक कितना–कितना हेक्टेयर है?

क्या वन रक्षक इतने बड़े कार्यक्षेत्र का कार्यक्षेत्र कम करने व नये पद सृजित कर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी")-

जी हां, प्रदेश की सबसे छोटी बीट गदरपुर बीट, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग है जिसका क्षेत्रफल 10.43 हैक्टेयर है तथा सबसे बड़ी बीट जाड़गंगा बीट उत्तरकाशी वन प्रभाग है जिसका क्षेत्रफल 1,42,436 हैक्टेयर है।

गैर संवेदनशील क्षेत्रों में वन रक्षक बड़े कार्यक्षेत्र में भी कार्य करने में सक्षम हैं, शिवालिक, भाबर तथा तराई के संवेदनशील क्षेत्रों में कठिनाई होती है। सरकार संवेदनशील बीटों के पुनर्गठन को आवश्यक समझती है।

यह प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है, अभी तत्काल इसका अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है। मैं समझता हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो डिवीजन रेंजर, डी0एफ0ओ0 के पद लगभग दुगने अनुमान में सृजित किए गए, इनके कार्यालय खोले गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसी अनुपात में वन रक्षक, जो वन की रक्षा के लिए पहली इकाई हैं, उनके पद सृजित करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गयी? इन अधिकारियों को नियुक्ति देने से वनों की रक्षा होगी कि वन रक्षकों की नियुक्ति करने से?

डा0 मोहन सिंह रावत 'गाँववासी'-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस विषय का उल्लेख किया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अन्य पदों में वृद्धि हुई है, उसी अनुपात में वन रक्षकों के पद में भी वृद्धि होनी चाहिए। परन्तु हमारे पास जो वन रक्षक हैं, उनसे काम चल जा रहा है, इनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर यदि आवश्यक रहेगा तो हम वन रक्षक बढ़ाएंगे।

श्री राजेन्द्र शाह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में वन रक्षकों के पदों का सृजन कब तक करेंगे।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"-

मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, यह तो ठीक है कि कुछ अधिक संवेदनशील एरिया हैं और कुछ कम संवेदनशील एरिया हैं, उसमें आपने कहा जो कम संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर कम टेरिटरी एक ज्यूडीशरी में रखी गयी है। जो अधिक संवेदनशील हैं, वहाँ अधिक टेरिटरी रखी गयी है। मान्यवर, माननीय मंत्री के उत्तर से विशेष रूप से लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों को आपने कम संवेदनशील क्षेत्रों में रखा है। जैसे, आपने उत्तरकाशी की जाड़ गंगा बीट का जिक्र किया, जहाँ तक मेरी निश्चित

जानकारी है, यह बहुत संवेदनशील बीट है और विगत 5 वर्षों के अन्दर ही यह क्षेत्र जिला उत्तरकाशी के अन्तर्गत आया है। इस प्रकार सरकार का जो दावा है, क्या वह खण्डित नहीं होता? यदि मेरी जानकारी गलत है तो माननीय मंत्री जी सदन को इससे अवगत करा दें।

डा0 मोहन सिंह रावत ''गाँववासी''–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो जाडगंगा की बात की है, मैं वहां भ्रमण पर गया था। उसका अधिकांश क्षेत्र हिम से ढका हुआ है। मैं मानता हूँ कि जहां कोई तस्करी हुई है जड़ी–बूटी आदि की, उसको हमने संवेदनशील क्षेत्र माना है। वहीं हम वन रक्षकों की संख्या बढ़ाते हैं।

प्रदेश का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार की कार्य योजना की जानकारी

*2–श्री राम सिंह सैनी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश का पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए शासन किसी कार्ययोजना पर विचार कर रहा है?

यदि हाँ, तो वह कार्ययोजना क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 मोहन सिंह रावत ''गाँववासी''–

जी हाँ,

प्रदेश के पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के लिए किये जा रहे मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :–

1. वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य।

2. वृक्षारोपण तथा भूमि संरक्षण से सम्बन्धित कार्य।

3. ग्राम वन समितियों तथा वन पंचायतों के माध्यम से वानिकी के कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने से सम्बन्धित कार्य।

4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना।

5. पॉलिथीन तथा प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने एवं इसके कचरे का सुरक्षित निस्तारण हेतु जन जागृति उत्पन्न करना व तत्सम्बन्धी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाना।

6. जल प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु ट्रीटमेन्ट प्लांट, सुलभ शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं में पर्यावरणीय–स्वास्थ्य–कार्यक्रम का क्रियान्वयन आदि।

7. ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक व स्थानीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी वायु प्रदूषण से जो पर्यावरण दूषित होता है, उसके नियंत्रण के लिए कोई योजना नहीं बनाएंगे और सबसे ज्यादा देहरादून में इतने टेम्पो चल रहे हैं जिस पर कार्यवाही की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे वातावरण दूषित हो रहा है।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह हमारे ध्यान में है इस पर हम कार्ययोजना बना रहे हैं।

श्री काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी थे, आपके आदेश से टोलिया साहब ने हमारे यहाँ का दौरा किया था। हमने उन्हें दिखाया कि एक तरफ बाग है और दूसरी तरफ भट्टे हैं। भट्टों के लिए भी नियम बनाये गये हैं जैसे चिमनी में पानी भर जाये, चिमनी ऊँची हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे बाग और पेड़ों को नुकसान पहुँच रहा है। क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे बागों के नजदीक भट्टों पर रोक लग सके।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, इसका हम परीक्षण करके इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य का उल्लेख किया है। श्रीमन्, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज गिद्ध लुप्त हो चुके हैं और सफाई का कार्य नही करते थे। क्या गिद्धों के अभाव में कोई सफाई की योजना बनायी गयी है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में नं0–5 में कहा है कि पॉलिथीन तथा प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने एवं इसके कचरे का सुरक्षित निस्तारण हेतु जन जागृति उत्पन्न करना व तत्सम्बन्धी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाना।

मान्यवर, मेरी जो निश्चित जानकारी है, चाहे कोई बड़ा या छोटा कस्बा हो उस कस्बे में हम इन्ट्रेंस करते हैं जहाँ नगरपालिका का कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसमें आज भी प्लास्टिक बहुतायत में होता है। हमको इसको जनजागृत अभियान से हटायें जिससे किस्म उसका उपयोग कर सकें, ताकि पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव न पडे। इसके लिए सरकार की क्या योजना है।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, आपने जो गिद्ध वाली बात कही है, यह देखा जा रहा है कि गिद्ध कम हैं। उत्तरांचल में अभी गिद्ध हैं और मैदानी क्षेत्र में परीक्षण कराया गया वहाँ पर विभिन्न रसायनिक चीजों के कारण गिद्धों की संख्या में कमी आई है। दूसरा आपने पॉलिथीन के बारे में कहा, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर जागरण कार्यक्रम भी हुए हैं। इस हेतु शासन ने एक जनचेतना कार्यक्रम चलाया है, जिससे पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक भी लगेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गिद्ध है मेरा प्रश्न है कि गिद्धों की प्रजाति में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। उसके संरक्षण के लिए ताकि और कम न हों, उसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, आपने जो बात उठायी है वह मूल प्रश्न से हट करके है, जब जीव संरक्षण की बात आयेगी तब उसमें यह बात उठायी जायेगी।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, आपने प्रदूषण बोर्ड की स्थापना के बारे में कहा है। क्या यह बोर्ड स्थापित हो गया है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कब तक हो जायेगा और उसका अध्यक्ष सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की बात कही है। अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है, निश्चित रूप से हम इसकी स्थापना जल्दी ही कर रहे हैं। इसमें भी निर्णय लेंगे कि इसका अध्यक्ष गैर सरकारी बने।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, पॉलिथीन और प्लास्टिक की राज्य में ही नहीं पूरे देश में इसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप कहते हैं कि इसके निस्तारण हेतु जनजागृति कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें जनजागृति भी क्या कर पायेगी। दूसरा उस कूड़े को जलाने के लिए हमारे पास क्या कोई मशीनें हैं, जैसे दुनिया के और देशों में हैं। अगर हमारी सरकार पर्यावरण के मामले में ईमानदार है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह राज्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। क्या सरकार कूड़े की रिसाइकिलिंग या उसको जलाने के लिए नगर निगमों को ऐसी मशीनें उपलब्ध करायेगी।

डॉ0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

माननीय अध्यक्ष जी, कूड़ा, कचरा, पॉलिथीन, सफाई की बात है, इसका हम नगरों में परीक्षण कराकर व्यवस्था करायेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय मंत्री जी का उत्तर है यह रस्म अदायगी के अलावा कुछ नहीं लगता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्वाइंटेड प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि जितने इस प्रदेश के अन्दर धर्म स्थल हैं और उनके ऊपर जो कोहराम ध्वनि के द्वारा मचाया जाता है, क्या यह इस परिधि में आता है अगर आता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए अभी तक आपके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा कितने लोगों पर कार्यवाही की गई है।

डॉ0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो ध्वनि प्रदूषण के बारे में सवाल उठाया है, इसके लिए नियम भी बने हैं और उन नियमों के अनुसार शासन निश्चित रूप से गम्भीरता से निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने प्वाइंटेड प्रश्न उठाया कि जो धर्म स्थल हैं उनके द्वारा जो ध्वनि विस्तारकों को करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है या उसमें क्या कार्यवाही हुई है।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

शासन उस पर कार्यवाही कर रहा है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि महीनों तक उधम रहता है, इन बातों को लेकर मैंने पूछा, कम से कम एक उदाहरण बतायें कि आपके जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है।

डॉ0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

इस कार्यवाही की जानकारी लेकर हम बता देंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष दीपावली के अवसर पर रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया था और अधिक ध्वनि वाले पटाकों को फोड़ने पर भी प्रतिबन्ध लगाया था। क्या इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र ने अपना आदेश जिलाधिकारियों को जारी किया या जारी करने के बाद अनुपालन कराया गया?

डॉ0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

इस सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः ही जारी थे। (व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी तो माननीय मंत्री जी ने श्री मुन्ना सिंह चौहान को बताया था कि धार्मिक स्थलों के बारे में कोई जानकारी नहीं ली, तो यह भी बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी कोई जानकारी नहीं ली?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्योंकि यह आपके दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी लेकर के माननीय सदस्य को अवगत करा दें।

गढ़वाल मण्डल के वन गूजरों को प्राप्त सुविधाएं, कुमाऊँ मण्डल के वन गूजरों को न मिलने के कारणों की जानकारी

*3–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन गूजरों को जो सुविधाऐं गढ़वाल मण्डल में प्राप्त होती हैं, कुमाऊँ मण्डल के गूजरों को वह समस्त सुविधाऐं नहीं मिल रही हैं?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, या कुमाऊँ मण्डल के गूजरों को यह सुविधाऐं कब तक मिल जायेंगी।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर वन विभाग के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल में वन गूजरों को जो सुविधायें प्राप्त हैं, कुमाऊँ मण्डल के गूजरों को भी वह समस्त सुविधायें मिल रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने प्रश्न मात्र इसलिए नहीं पूछा था कि मुझे जानकारी प्राप्त होगी। मेरे पास कुमाऊँ मण्डल के वन गूजर भारी मात्रा में आए, उनका कहना है कि जो सुविधाएं गढ़वाल मण्डल के वन गूजरों को मिल रही है, कुमाऊं मण्डल के वन गूजरों को वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। माननीय मंत्री जी को अभी–अभी यह विभाग मिला है। पता नहीं वन गूजर आपसे मिले या नहीं, लेकिन वह काफी परेशान हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम गोबर, वन गूजरों को नहीं देते हैं, क्योंकि वन की उर्वरा नष्ट हो जाती है। मेरी सूचना और वन गूजरों की शिकायत को मानते हुए इस बात की स्पष्ट जानकारी सदन के पटल पर रख दें कि कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल में अन्तर क्यों है। केवल यह कह देने से कि अन्तर नहीं है, काम नहीं चलेगा। मान्यवर, वन गूजरों की शिकायत है कि हमारे जानवरों से प्राप्त गोबर वन विभाग हमें नहीं देता। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि वन विभाग इस गोबर को बेच देता है लेकिन उसका स्वामित्व वन गूजरों का नहीं होता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि वन गूजरों और वन विभाग का एक निश्चित अनुपात उस गोबर में निर्धारित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

जितने भी बिन्दु आपके संज्ञान में है, उन बिन्दुओं को लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें। माननीय मंत्री जी उनका उत्तर दे देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि वन गूजर हमारी आवश्यकता है, तो क्या सरकार को इन वन गूजरों को वह सामान्य सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, जिनके वे अधिकारी हैं। आपने कहा कि लिखकर दे दें। मैं लिखकर दे दूंगी, यदि इन वन गूजरों की परेशानी को आप दूर कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, माननीय सदस्या वन गूजरों की समस्या से बहुत चिंतित हैं। मैं 1977 से वन गूजनों को जानता हूँ। हम उन्हें सुविधाएं उनको बसा कर देना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ बस भी गये हैं नहीं उनको सारी सुविधाएं दी जाएगी।

श्री सुरेश चन्द आर्य–

मान्यवर, कुमाऊँ क्षेत्र में मुस्लिम वन गूजर 50 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। उनके लिए अभी तक कोई आवासीय व्यवस्था नहीं है। गढ़वाल में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार की व्यवस्था कुमाऊं में भी की जाये।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, हम कुमाऊँ में भी व्यवस्था कर रहे हैं। रामगढ़ में हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से एक गम्भीर प्रश्न पैदा हो गया है। क्या सरकार वन गूजरों को वनों में रखना चाहती है या वनों से बाहर निकालना चाहती है। इन्दिरा जी ने कहा कि वन गूजर वनों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और यदि नीति पहले से ही है तो अभी सरकार ने जिन दो जगहों का उदाहरण दिया उसमें रिहेबिलिटेशन का क्या कार्यक्रम है?

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, हम वन गूजरों को बताना चाहते हैं और उनके व्यवसाय पशुपालन को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। पथरी में 300 से अधिक वन गूजर परिवार बस गये हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है?

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, नीति स्पष्ट है हम उन्हें वनों से हटाकर अलग बसाना चाहते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, वन गूजरों का अपना एक व्यवसाय है, वे वनों में तो जाएंगे ही। जो आपका मूल प्रश्न है, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि सरकार की नीति क्या है? उन्हें वनों में रखा जायेगा या जंगल से बाहर कर दिया जाये। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि वे जंगलों में विचरण करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हम पैत्रिक व्यवसाय को बंद नहीं करेंगे। उन्हें जगह दी जाएगी कि वे एक जगह व्यवस्थित रूप से बस जाएं। यह हमारी नीति है। वे किसी अच्छी जगह गांव या शहर में बस जाएं।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैं मा0 वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पथरी में सैकडों टोंगिया हैं जो सैकड़ों साल से वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पर वन काटे जा रहे हैं जिस कारण वे आन्दोलन कर रहे हैं कि हमें भी सहायता दी जाय। इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि उनके लिए क्या कर रहे हैं।

डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, इसके लिए परीक्षण करायेंगे।

उत्तरांचल में नैचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपन्चर, योग पद्धति की शिक्षा देने के सम्बन्ध में सरकारी नीति की जानकारी

*4—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सस्ती तथा सुलभ प्राचीन चिकित्सा पद्धति नैचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपन्चर, योग पद्धति की शिक्षा देने पर सरकार विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?
यदि नहीं तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")—

जी हाँ।

समय निर्धारण करना सम्भव नहीं है। प्राथमिकता, आवश्यकता का परीक्षण कराने के उपरान्त, संसाधनों की उपलब्धता पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि आज इस भौतिक युग में हम नैचुरोपैथी, एक्यूपंचर और योग पद्धति से चिकित्सा चलायें। हमारा उत्तरांचल राज्य नया—नया बना है, हम उत्तरांचल के साथ—साथ पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं। मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया समय निर्धारण करना सम्भव नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम मेडिकल कालेज खोलेंगे तो उसमें भी खर्च करना पड़ता है। अगर हम नैचुरोपैथी जो हमारी पद्धतियाँ रही हैं, हमारे पास आज भी ऋषि मुनि, योगी हरिद्वार, बद्रीनाथ में विराजमान हैं। इसका एक समय निर्धारण हो जाय। इससे जनता में और विश्व में एक अच्छा संदेश जायेगा कि उत्तरांचल राज्य में एक नई पद्धति, जो पद्धति हमारी पुरानी रह चुकी है, उसको हमने पुनः प्रारम्भ किया है। इसमें समयबद्धता का निर्धारण कर दें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

मान्यवर, इसके लिए सरकार ने मन बनाया है कि इसको हम वृहद स्तर पर करेंगे। इसकी योजना का स्वरूप बनाने में समय लग सकता है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको शुरू कर देंगे।

श्री राम सिंह सैनी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता होने पर विचार किया जायेगा। योग पद्धति में तो खर्चा नहीं आता, उसको यथाशीघ्र लागू क्यों नहीं करते।

श्री अध्यक्ष—

मा0 मंत्री जी ने कह दिया इसको जल्दी ही कर देंगे।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा।

ऊधमसिंह नगर तथा उ0प्र0 की चावल मिलों पर लगने वाले करों के अन्तर को समाप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

*6–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ऊधमसिंह नगर की चावल मिलों द्वारा तैयार चावल पर उत्तर प्रदेश के मुकाबले 2% अधिक कर देना पड़ता है?

यदि हाँ, तो इन मिलों का उत्तर प्रदेश में पलायन रोकने हेतु क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करेगी?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी, नहीं।

प्रान्त के बाहर से आयातित टैक्सपेड धान से उत्तरांचल में निर्मित चावल पर भी कर दायित्व की एकरसता रखने के लिय विज्ञप्ति संख्या–169/वि0अनु0–5/व्या0क0/2001, दिनांक 23–10–2001 जारी की जा चुकी है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी 20 लाख टन धान हमारे उत्तरांचल में कुल पैदा होता है और हमारी जो चावल मिलें हैं, 80 लाख टन की हैं, तो 60 लाख टन धान हमारा उत्तर प्रदेश से या आस–पास के प्रदेश से आता है। तो यह प्रदेश बनने से पहले उन पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन प्रदेश बनने के बाद जो आयातित धान है उस पर कितना टैक्स देना पड़ता है हमारे राईस मिलों को और जो चावल यहां से बाहर भेजते हैं तो उ0प्र0 में उनको टैक्स देना पड़ता है और उत्तरांचल का टैक्स है। ये कितना है और उ0प्र0 की तुलना में अब तक क्या है?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जब समूचा उत्तर प्रदेश था तब उत्तरांचल के क्षेत्र से बाहर के उत्तर प्रदेश से जो धान क्रय होता था उस पर 2 प्रतिशत कर लगता था। लेकिन जब यह धान चावल में परिवर्तित होता था तो चावल पर 4 प्रतिशत का टैक्स था। 4 प्रतिशत और 2 प्रतिशत 6 प्रतिशत होता था। और उसमें से 2 प्रतिशत यहां समायोजित कर देते थे। तो वह 4 प्रतिशत ही रहता था। अभी तक उत्तरांचल में जितनी भी मिलें थी उनके लिए समस्या यह हो गई थी कि जो उत्तर प्रदेश से धान लाते थे उसमें उनको 6 प्रतिशत कर देना पड़ता था। तो उनके सामने बड़ा धर्म–संकट था। 6 प्रतिशत टैक्स देने पर उत्तर प्रदेश के साथ प्रतिस्पर्धा में वो रूक रहे थे। माननीय अम्बरीष कुमार जी ने तो जायज प्रश्न भी किया है, इसलिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि इन मिलों के पलायन को रोकने के लिए हमने नीति बनाई कि जितना धान उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश से यहां की मिलें लायेंगी उस धान पर जब हम यहां पर कर लगायेंगे तो 2 प्रतिशत उसे हम कम कर देंगे, तो एकरूपता आ जाएगी। जो 4 प्रतिशत कर उत्तरांचल से लेने पर देते थे तो वो बाहर

से लाने पर भी 4 प्रतिशत देंगे। जो उत्तर प्रदेश से आयेगा उसमें 2 प्रतिशत कम करेंगे जिससे इनका पलायन रूक जाएगा।

अतारांकित प्रश्न

ऊधमसिंह नगर के किसानों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने की माँग

1--श्री के0सी0 सिंह "बाबा"--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सन् 1962 में जनपद ऊधमसिंह नगर में तुमड़िया डाम के निर्माण हेतु किसानों के 41 परिवारों से उनकी 350.65 एकड़ भूमिधरी की कास्त की आराजी इस आश्वासन पर ली गयी थी कि किसानों को उसके बदले में उतनी ही भूमिधरी की आराजी दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत किसानों को (1) सीपका में 138.28 एकड़ (2) मिलक सीपका में 42.35 एकड़ तथा (3) मनोरथपुर में 170.05 एकड़ कुल रकबा 350.65 एकड़ वन विभाग की आराजी किसानों को दी गयी थी, परन्तु 39 वर्ष बीत जाने पर भी किसानों भूमिधरी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

क्या राजस्व विभाग अपने आश्वासन के तहत उनकी आराजी को भूमिधरी अधिकार प्रदान करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी--

जी हां।

41 परिवारों को जो 350.65 एकड़ भूमि वन विभाग की दी गयी है, को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने एवं उसके बाद भू-लेख प्रक्रिया कराई जाने पर भूमिधरी अधिकार दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

कुमाऊँ कालोनी कचनाल गाजी, रामनगर, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर में आवंटित आवासीय पट्टों के सम्बन्ध में जानकारी

2--श्री के0सी0 सिंह "बाबा"--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सन् 1984 में बसाई गयी कुमाऊँ कालोनी, कचनाल गाजी, रामनगर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर में कितने आवासीय पट्टे किन-किन तारीखों को आवंटित किये गये हैं?

कितने परिवार अभी तक इससे वंचित हैं?

क्या सरकार वंचित परिवारों को पट्टे आवंटित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी--

कुमाऊँ कालोनी रामनगर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर नाम के दो राजस्व ग्रामों कचनाल गाजी एवं रम्पुरा में बटी है। राजस्व ग्राम कचनाल गाजी के अन्तर्गत दिनांक 8-7-87 को पाँच व्यक्तियों में आवास स्थल आवंटन कर जारी किये गये। इसी प्रकार राजस्व ग्राम रम्पुरा में दि0 9-10-82 को 24 पात्र व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटन कर पट्टे जारी किये गये।

कोई भी पात्र व्यक्ति आवास स्थल आवंटन से वंचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता। राजस्व ग्राम रम्पुरा व कचनाल गाजी में वर्तमान में कोई पात्र व्यक्ति भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है।

वन गूजरों के उनके जानवरों के गोबर पर स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

3–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या वन मंत्री वनों में रह रहे गूजरों को उनके जानवरों के गोबर पर स्वामित्व प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

जी नहीं।

वन गूजरों को वनों में रहने व उनके पशुओं को चराई करने का अधिकार वर्षों से वन विभाग द्वारा दिया जाता रहा है, उनके जानवरों द्वारा गिराये गये गोबर से बनी खाद का उपयोग वन विभाग द्वारा अपने पौधालयों व वृक्षारोपणों में किया जाता है, गोबर को यथाशीघ्र उठवाने एवं इसके अन्यथा उपयोग के सम्बन्ध में भी शासन द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है, वनों से समस्त गोबर बाहर ले जाने से वनों की उर्वरा शक्ति का ह्रास भी होगा।

उत्तरांचल राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के संचालन के सम्बन्ध में जानकारी

4–श्री कृष्ण चन्द्र-पुनेठा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996–97 में तत्कालीन उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रति एक विधानसभा में पाँच आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की राजाज्ञा हुयी थी?

यदि हाँ तो अब तक उत्तरांचल में कितने चिकित्सालय संचालित हुये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

5–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ तो कब तक उक्त आयुर्वेदिक कालेज खुल जायेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में सम्भव नहीं है।

कठवापाती, हैलागोठ, छीनीगोठ आदि स्थानों पर काबिज स्थानीय पर्वतीय मूल के लोगों के हित में नियमितीकरण की कार्यवाही की माँग

6–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय मूल के लोग शीतकाल में तराई क्षेत्रों में निवास करने आते थे, लगान व चारागाह कर रूप में, राजस्व भी देते थे?

क्या सरकार उक्त राजस्व क्षेत्र कठवापाती, हैलागोठ, छीनीगोठ आदि स्थानों पर काबिज व स्थानीय पर्वतीय मूल के जिन गाँवों के लोग निवास करते थे, उनके हित में नियमितीकरण की कार्यवाही करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

हाँ, पर्वतीय मूल के लोग शीतकाल में तराई क्षेत्रों में निवास करने आते थे किन्तु लगान व चारागाह के रूप में राजस्व देने की सूचना सही नहीं है।

ग्राम कठवापाती में मौके पर प्राकृतिक वन मौजूद हैं। इस गाँव में कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा है, हैलागोठ, छीनीगोठ में पर्वतीय मूल के लोग स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं तथा भूमि को कृषि प्रयोजन में लाकर आजीविका चला रहे हैं। किन्तु उपरोक्त ग्रामों की भूमि वन विभाग के नाम अंकित है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू है। अतः नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आरक्षित वन भूमि में रेत और बजरी के अवैध खनन किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, शिवपुरी रेंज के अन्तर्गत खारासोत मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में 14 वर्षों से आरक्षित वन भूमि में रेत–बजरी का खनन अवैध रूप से किया जा रहा था। वन विभाग ने नवम्बर, 2000 से यह अवैध खनन रोक दिया था। किन्तु 30 नवम्बर, 2001 से खारासोत में अवैध खनन कार्य बड़े धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। उपवन संरक्षक,

नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल भूमाफियों के आगे बौना हो गया है। प्रमुख सचिव वन, सचिव वन अपर सचिव वन तथा प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास उत्तरांचल को इस अवैध खनन को रोकने को कहा गया। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को इस अवैध खनन को रोकने एवं पट्टा निरस्त करने के लिए लिखा गया तथा कहा गया किन्तु कुछ भी नहीं हुआ है। भूमाफिया वन संरक्षण अधिनियम का खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सरकार को राजस्व की हानि पहुँचा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। इस खनन को स्वीकृति हेतु भारत सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गयी है, यह नादिरशाही का ज्वलंत उदाहरण है। भूमाफिया वन विभाग के अधिकारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है कि वन विभाग के अधिकारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल का रवैया टालमटोल का है। इन्होंने बिना भारत सरकार की अनुमति के खनन कार्य की अनुमति पर रोक क्यों नहीं लगाई है। क्या कारण है कि प्रमुख सचिव/अपर सचिव वन मौन साधे हैं? क्या कारण है कि प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल किंग कर्त्तव्य विमूढ़ हो रखे हैं? क्या कारण है कि सचिव औद्योगिक विकास कोई कार्यवाही इस अवैध खनन पर करने को तैयार नहीं हैं? प्रशासन एवं शासन इतना पंगु क्यों हो रखा है?

अस्तु मैं चाहता हूँ कि उक्त अवैध खनन पर तत्काल रोक लगायी जाए। क्या इस प्रकरण में प्रमुख सचिव/अपर सचिव वन, सचिव औद्योगिक विकास तथा जिलाधिकारी की भूमिका संदिग्ध है? इसकी जाँच कराई जाए। साथ ही ऐसा कौन सा कारण है कि वन विभाग अधिकारीगण अवैध खनन को रोकने में असमर्थ हैं? जनहित, लोकहित शासन एवं प्रशासन के हित में उक्त प्रकरण की जाँच करवाई जाए एवं दोषियों को दण्डित किया जाए। भूमाफिया को ब्लैक लिस्ट किया जाए एवं अवैध खनन जो हुआ है उसका अर्थ दण्ड लिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ। दूसरी सूचना है, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी की।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, उत्तरांचल में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित कराये जाने के सम्बन्ध में, जिससे पुस्तकालयों के विकास हेतु सभी उद्देश्य की पूर्ति होगी तथा यह अधिनियम सामाजिक दायित्व की पूर्ति करता है। चूँकि ग्रन्थालय को किसी भी समाज व राज्य की ज्ञान रूपी पूँजी का आधार माना गया है।

अतः सार्वजनिक ग्रन्थालयों की स्थापना तथा सुचारू रूप से संचालन हेतु अधिनियम पारित कराये जाने पर सदन में चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्ष—

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर रहा हूँ। तीसरी सूचना है, श्री इसम सिंह जी की।

द्वाराहाट में पुलिस थाना खोले जाने—विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इसम सिंह—

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में जहाँ कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज के कारण विख्यात स्थान बनने जा रहा है जिसमें छात्र व छात्राएँ दूर—दूर से शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन शासन द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद भी अभी तक पुलिस थाने की

व्यवस्था सुदृढ नहीं हो पाती है, और छात्र–छात्राओं में दहशत का माहौल बना रहता है, अतः द्वाराहाट में पुलिस थाना कब तक बन जाएगा, इसी सम्बन्ध में शासन से वक्तव्य की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करता हूँ। चौथी सूचना है, श्री भारत सिंह रावत जी की।

हरिद्वार–लालढांग–कोटद्वार–कालागढ–रामनगर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद उत्तरांचल में कोई भी सड़क देहरादून राजधानी से नैनीताल उच्च न्यायालय उत्तरांचल के सीमा के अन्तर्गत नहीं है, आज देहरादून से नैनीताल को जाने के लिए सीधी सड़क उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है, जो कि बहुत लम्बा मार्ग है और दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश से होकर जाने पर कई वैधानिक समस्याएं, बाधाएं एवं व्यय साध्य है, रोड टैक्स, सामान पर टैक्स, अतिरिक्त टैक्स पड़ेंगे जिससे उत्तरांचल के निवासियों को अनेकानेक असुविधाएं होंगी।

उत्तरांचल में एक मात्र सड़क देहरादून से नैनीताल (गढ़वाल मण्डल से कुमाऊँ मंडल) जाने वाली सड़क, देहरादून–हरिद्वार–लालढांग–कोटद्वार–कालागढ–रामनगर है, जो उत्तरांचल राज्य के सीमा के अन्दर है, सरल है व समीप है। यह सड़क बनी हुई है। पूर्व में उत्तर प्रदेश में 1976/77 में स्वीकृत हुई थी, आधा भाग बना है शेष भाग बनना है। अतः इस सड़क को शीघ्र बनाकर राज्य मार्ग "स्टेट हाइवे" घोषित कर दें।

अतः लोक महत्व के इस सड़क हरिद्वार–लालढांग–कोटद्वार–कालागढ–रामनगर को शीघ्र बनाने एवं राजमार्ग घोषित करने हेतु इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार को निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करता हूँ, पाँचवी सूचना है, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की।

चकराता तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जिला देहरादून की तहसील–चकराता तथा प्रदेश के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में भयंकर सूखे की स्थिति है ही, साथ ही साथ उन सभी क्षेत्रों में भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। किसानों के सामने रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को राहत पहुँचायी जाए। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यक्रम चलाये जाएं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाएं। सरकारी वसूलियों में भी राहत दी जाय तथा सम्पूर्ण प्रभावित आबादी को बी०पी०एल० दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय। बैंकों के ऋणों की वसूली में भी ब्याज माफी की सुविधा हेतु बैंकों से सरकार अनुरोध करे।

विषय अविलम्बनीय, लोक महत्व का है। अतः सदन में उठाकर कार्यवाही की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, चूँकि इसी सम्बन्ध में माननीय सैनी जी की भी सूचना नियम 56 में है। इसलिए इन दोनों को 301 में ही कर लिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसे कार्यस्थगन के साथ जोड़ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की है। चूँकि यह नियमों के दायरे में नहीं है। इसलिए इसे मैं बिना सुने ही निरस्त कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की दूसरी सूचना श्री अम्बरीष कुमार, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश और श्री मुन्ना सिंह जी की है।

राजधानी निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, दिनांक 18 मई, 2001 बजट सत्र का अन्तिम दिन था और उस दिन सम्पूर्ण विपक्ष ने राजधानी निर्माण में जो भारी भ्रष्टाचार, घोटाला हुआ जिसमें मुख्यमंत्री आवास में 1 करोड़ 10 लाख का खर्च भी सम्मिलित है, मंत्रियों के बंगलों का खर्च भी सम्मिलित था, अधिकारियों के बंगलों की साज–सज्जा पर अत्यधिक खर्च दिलाये जाने का प्रकरण सम्मिलित था और इसके साथ–साथ जो वित्तीय हस्त–पुस्तिका है, उसके नियमों की किस बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ धज्जियाँ उड़ाई गई। जहां रु0 2500/– का प्रावधान बिना टेंडर के खरीदने का था, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए लाखों रुपये के सामान खरीदे गये। जिनके बारे में न तो टेण्डर्स माँगे गये न ही कोई कोटेशन मांगे गए और इस प्रकार की जो अनियमितताएं हुई थीं उनकी ओर सरकार का ध्यान सम्पूर्ण विपक्ष ने आकृष्ट कराया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया था कि ये गम्भीर जाँच का विषय है और हम इसके बारे में जाँच भी करवाएंगे।

मान्यवर, जब हम इस सदन में बैठते हैं तो हम परम्पराओं की भी बात करते हैं और आपके आसन से भी ये निर्देश समय–समय पर दिये जाते हैं कि इस नव सृजित राज्य की यह पहली विधान सभा है और यह जिम्मेदारी हम लोगों के कन्धे पर है कि हम भविष्य के लिए ऐसी परम्पराएं इस सदन के माध्यम से डाल दें जिससे इस प्रदेश का भविष्य भी सुखद हो और लोकतांत्रिक परम्पराएं और मर्यादाएं बहुत महत्व के साथ इस पूरे प्रदेश में स्थापित हों और मान्यवर, समय–समय पर सरकार द्वारा ये घोषणायें भी की जाती हैं और ढोल भी पीटा जाता है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने में कोई कोताही नहीं करेगी। किसी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नही जाएगा लेकिन मान्यवर, इसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि अगर आप दिनांक 18 मई, 2001 की जो कार्यवाही है उसके पृष्ठ संख्या 62 का अवलोकन करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम लोग

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी परामर्श करेंगे, परामर्श करके हम लोग कुछ उच्च स्तरीय जाँच करेंगे क्योंकि हम इस मामले को लाइटली नहीं ले रहे हैं और मान्यवर, फिर जब सदस्यों ने आग्रह किया कि आप कब तक अवगत करा देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम लोग 10–15 दिन के अन्दर इस पर निर्णय कर लेंगे लेकिन सदन के जो सदस्य थे वे इस बात पर गंभीर थे और चिंतित थे और सब लोगों का आग्रह यह था कि जाँच जल्दी हो, उच्च स्तरीय जाँच हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा भी मिले और भविष्य के लिए एक उदाहरण भी स्थापित हो। मान्यवर, तो हम लोग आग्रह करते रहे कि इसके बारे में कोई निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। काफी वाद–विवाद के बाद मान्यवर, आपने भी जो कहा, आपने अपना आब्जर्वेशन दिया तो स्वामी जी ने यह कहा था कि अगले सत्र से पहले–पहले हम जानकारी दे देंगे। लेकिन फिर आपका यह निर्देश आया था कि ठीक है इसमें टाईम बाउन्ड बता दीजिए। कमेटी गठित होकर 3 माह में जाँच हो जाएगी यह आपका आब्जर्वेशन था। मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आप जिस पीठ पर विराजमान है, यह सर्वोच्च पीठ है और इसके निर्देशों की अवहेलना इस लोकतंत्र के लिए भयावह और चिंतित करने वाली भी है। आपका निर्देश था कमेटी गठित हो, 3 महीने में जाँच हो लेकिन 18 मई से 18 नवम्बर भी बीत चुका है, 6 माह बीत चुके हैं आपके निर्देश का भी पालन अगर सरकार नहीं करती तो सदन को चलाने का, इसमें बैठने का क्या औचित्य है। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 18 मई को इस सदन में आपके ही नेतृत्व में यह प्रश्न आया था और आज है 21 नवम्बर, इसलिए यह बहुत गम्भीर है क्योंकि राज्य मंत्रिमण्डल के गठन के पूर्व तमाम भवन और बिल्डिंग बन गये थे, इसके लिए सीधा मंत्रिमण्डल या तात्कालिक मुख्यमंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं हैं। 6 महीने से अधिक हो जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ जो कि टेण्डर के माध्यम से खर्च होना चाहिए था। वित्तीय–हस्तपुस्तिका के निर्देशों के विपरीत कार्य किया गया। सरकार ने स्वीकार किया कि हम इस पर जाँच करायेंगे। नया राज्य बना और नये राज्य में बेरोजगारी और कई अन्य समस्यायें हैं। जन आकांक्षा यह थी कि हम बड़े और आलीशान भवनों के स्थान पर जन समस्याओं के निराकरण को अपनी प्राथमिकता दें, लेकिन उस समय जो भी प्रारुप तय होकर आया उसके आधार पर यहाँ निर्माण कार्य किया गया, उस समय कौन मुख्यमंत्री बनेगा तय नहीं था। जो मुख्यमंत्री बने वह मुख्यमंत्री आवास में गये। राजभवन को तुलनात्मक ढंग से अच्छा नहीं बना पाये और जजेज के लिए भी अच्छा नहीं बना पाये तो वह उनमें नहीं गये।

नैनीताल क्लब और सर्किट हाउस, जिसकी मुझे बहुत पीड़ा है। यह मेरी पीड़ा नहीं देश के लोगों की भी पीड़ा है, अगर उसको भी रिक्त करा सकें तो अच्छा होगा। इसमें जिन लोगों ने खुले हाथों से खर्च किया, उसका हिसाब जब सदन ने माँगा जो उसका अधिकार था। साइन बोर्डों पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, यह हमारा सबका दायित्व है, सरकार उस समय नहीं थी और भवन बन रहे थे। यह पूरा सदन का भी दायित्व है। इसकी पीड़ा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त की थी कि हमें इसकी जाँच करानी चाहिए। आपकी पीठ का निर्देश था कि इसकी जाँच हम तीन माह में करा देंगे।

क्या हम नौकरशाह और उन लोगों को खुली छूट दे रहे हैं। सदन में पीठ द्वारा निर्देशित करने पर भी कटघरे में नहीं लाया जायेगा तो इसका संकेत जनता के बीच में जाता है। हमारा सबका दायित्व बनता है कि वह भ्रष्टाचार की रिपोर्ट यदि नहीं पूरी हुई अगर हो गई हो तो सदन के सामने उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाय। उन्होंने साइन बोर्डों के नाम पर लूट की जिन्होंने आवास बनाने के नाम पर, रोशनी लगाने के नाम पर और फर्नीचर बनाने के नाम पर लूट की और यदि वह लूट नहीं है नियमित है तो भी वह आरोप जो जनता के माध्यम से लग रहे हैं, उनकी भी सफाई हो जानी चाहिए। इसलिए हमारा औचित्य का प्रश्न पहला तो यही बनता है। यहाँ यह प्रकरण आया और आपने इसे निर्देशित किया। इसके लिए तीन माह का समय पर्याप्त था। यद्यपि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन ही कहा था। अब सदन बैठा है सरकार को चाहिए था कि पहले दिन ही प्रश्न उठने से पूर्व जो आपकी इस उच्च पीठ के निर्देश है। उस संसदीय परम्परा की रक्षा करते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री या इस प्रदेश की सरकार पर पहले दिन ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा जो गम्भीर आरोप होता है और उस गम्भीर आरोप के बारे में। उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए था, पर यह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। हमने यह औचित्य का प्रश्न आज उठाया, अगर हम इस औचित्य के प्रश्न को उठाकर इस दायित्व की पूर्ति नहीं करते हैं तो हम जनता के प्रति अपना न्याय नहीं करते और हम इस परम्परा का निर्वहन करने में भी असफल सिद्ध हो जायेंगे। मान्यवर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी लम्बे समय से बैठे और जब कभी वह कठोर निर्देश दे देते थे और यदि उसका पालन विधान परिषद में नहीं होता था तो हम इस प्रश्न को मजबूती से उठाते थे और सरकार उसको गम्भीरता से लेती थी। मान्यवर, हमारे वर्तमान के माननीय नेता सदन पर बहुत दायित्व है, लेकिन आपके द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं उनका अध्ययन कौन करेगा। यदि सरकार पीठ के निर्देशों का पालन करने में भी समर्थ नहीं हो पाती तो पीठ की अवमानना कर रहे हैं। तो मान्यवर, आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न किया जाना अति गम्भीर है।

मान्यवर, आपके द्वारा दिये गये निर्देश की अवमानना, उसका पालन न होना और दूसरा सरकार द्वारा स्वतः इन भ्रष्टचारियों के विरुद्ध जाँच के दस्तावेज न प्रस्तुत किया जाना, इसलिए मान्यवर दोनों बातों से यह औचित्य का प्रश्न बनता है, इसीलिये नियमावली में प्रस्तुत किया गया और इसे उठाया। सदन में सम्मानित सदस्य उन बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें और मान्यवर आपकी पीठ के निर्देश के सम्बंध में आपसे अपेक्षा करें। मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है और इसका निराकरण यथासमय होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र शाह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, सम्बन्धित विभागों का उत्तर देने का दिन न होने के कारण मेरे बहुत प्रश्नों के उत्तर नहीं आये हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि सरकार को निर्देशित करें कि जो प्रश्न रह गये हैं और जो पिछले सत्र के बाकी प्रश्न हैं, उनके उत्तर भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष–

अभी सत्रावसान तो हुआ नहीं।

* श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अति महत्वपूर्ण विषय के बिन्दुओं की तरफ माननीय अम्बरीष कुमार जी ने और श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी ने आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट किया। मान्यवर, औचित्य का प्रश्न कैसे उठता है, इस चीज का समय–समय पर मार्गदर्शन हम आपसे लेते हैं। मान्यवर, इस कार्यवाही में यह शायद कम ही होता है कि इतने गम्भीर विषयों पर सदन के अन्दर चर्चा हो और सरकार के ऊपर कोई आरोप–प्रत्यारोप न हो। मान्यवर, मैं आपका पुनः नियमावली के नियम 300 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यदि 18 मई, 2001 की जो सदन की कार्यवाही है उसका भी अवलोकन यदि हम करें तो स्पष्ट होगा कि इस सम्पूर्ण चर्चा के अन्दर कहीं पर भी कोई व्यक्तिगत आक्षेप किसी के ऊपर नहीं लगाया। एक नये प्रदेश का निर्माण हुआ है, हम राजनीतिक कारणों से कोई ऐसी बात न कहें जिससे निष्ठावान, मेहनत करने वाले सरकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी का किसी तरीके से मनोबल गिरे।

श्रीमन्, हमने इस बात की सावधानी बरती कि इसमें किसी अधिकारी विशेष पर कोई आरोप नहीं लगाया। किसी को इसके लिए इंगित नहीं किया। हम लोगों ने बहुत निष्पक्ष भाव से और इस नव सृजित प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के भवन की मरम्मत से लेकर मुख्य सचिव के आवास की मरम्मत तथा माननीय मंत्रियों के आवास की मरम्मत और साज–सज्जा को लेकर बहुत सिलसिलेवार जिक्र किया। 1 करोड़ 40 ~~लाख~~ रुपये मा० मुख्यमंत्री जी के भवन की मरम्मत में, 40 लाख के करीब मुख्य सचिव के भवन के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके रेनोवेशन में खर्च हुआ था। इस प्रकार बहुत लम्बी फैहरिस्त है। हम लोगों ने उस दिन क्रय की गयी सामग्री का भी जिक्र किया था। छोटे–छोटे आइटम जो बाजार के अन्दर दो रुपये में उपलब्ध हैं, उसका 32 रुपया चार्ज किया गया और जो चीज 32 रुपये में उपलब्ध है उसका 150 रुपया चार्ज किया गया। कार्यवाही में इसका सिलसिलेवार जिक्र है। मान्यवर, यह एक नया प्रदेश है और एकदम बेलगाम होकर यहां पर लूट–खसोट की गयी। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तर्क था, वह स्वीकार करने योग्य था कि बहुत सारे कार्य इस सरकार के पदासीन होने से पूर्व हुए हैं, राजधानी निर्माण के नाम पर।

मान्यवर, आज जो हमने चर्चा उठाई, वह चर्चा आपकी गरिमामय पीठ से दिए गए उस निर्देश का पालन न करने के क्रम में है जिसमें आपने सरकार को निर्देशित किया था कि 3 माह के अन्दर जांच पूरी करके जांच से सदन को अवगत कराएं। आज 6 माह व्यतीत हो गए लेकिन कोई रिपोर्ट सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी। आज यह सड़क पर चलने वाले आम आदमी की चर्चा का विषय है कि आप लोगों ने यह विषय विधानसभा के अन्दर उठाया था, उसका क्या हुआ?

मान्यवर, कुछ लोग जिनको कहना चाहिए रफ़ाटफ़ी हो गये, कुछ लोग इधर से उधर हो गये, कुछ लोग प्रदेश छोड़कर भी दूसरे प्रदेशों में चले गये उनका कहना है उठता रहे इससे क्या, सरकारी तंत्र की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता यदि श्रीमन्, यह धारणा घर कर गई, यदि यह धारणा बनी कि हम वित्तीय हस्त–पुस्तिका का उल्लंघन कर सकते हैं, हम इस प्रदेश के सर्वोच्च सदन की सर्वोच्च पीठ से दिये गये निर्देशों का भी उल्लंघन कर सकते हैं, सरकार इस सर्वोच्च पीठ के निर्देशों की अवहेलना करके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रष्टाचार में लिप्त, गड़बड़ियों में लिप्त सरकारी तंत्र के पक्ष में खड़ी हो सकती है तो फिर जिस पारदर्शी व्यवस्था की बात इस प्रदेश के अंदर हम करते हैं, वह सरासर बेमानी होगी। श्रीमन्, हम तो न केवल इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करने की प्रार्थना आपसे करेंगे, बल्कि हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से सरकार की भी यह जवाबदेही इस सदन के प्रति है। संविधान की मूल भावना है कि सरकार लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है, लेजिस्लेचर सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। यदि सरकार इस प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि इस सभा को जवाब नहीं दे सकती, जवाब देने से कतराती है तो आज उत्तराखण्ड का जनमानस इस विधान सभा से पूछता है कि फिर इस विधान सभा की संवैधानिकता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।

श्रीमन्, हमारा आपसे आग्रह है कि आप उस कार्यवाही का भी अवलोकन कर लें और प्रार्थना करूँगा कि आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें और जो संविधान की मूल भावना है कि सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सरकार की उस जिम्मेदारी का भी निर्धारण करते हुए और जो धृष्टता सरकार ने आपके निर्देशों का पालन न करने की है उसके लिए भी सरकार की जवाबदेही निश्चित रूप से होनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। हम तो बल्कि यह भी कहेंगे कि अगर 3 महीने की जगह 6 महीने तक भी इसमें कार्यवाही करने में असफल रही है। इसलिए उस दिन तो नहीं आज मैं आरोप लगा रहा हूँ इस बात का और दृढ़तापूर्वक, बलपूर्वक यह आरोप लगा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम सरकार ने किया। इसलिए नैतिकता के आधार पर सरकार को आज एक अक्षम सरकार मानते हुए जिसने अपना जो एक कांस्टीट्यूशनल दायित्व है विधायिका के प्रति जवाबदेही का, विधान सभा अध्यक्ष पीठ के आदेशों का पालन न करने के कारण उसे आज अपने त्याग–पत्र की घोषणा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विषय है जैसा अभी–अभी माननीय मुन्ना सिंह जी कह रहे थे, उस पर काफी लम्बी बहस पहले हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उस समय इस पर काफी लम्बा भाषण भी दिया था। यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक दूसरे का आदर और भावना को लेकर चलते हैं तो आपने जिस भावना को व्यक्त किया उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पिछली बार जब इस पर बात आई थी उससे पहले भी हम लोगों ने एक कमेटी बैठाई थी और पिछली बार बात उठने के बाद अपने प्रमुख सचिव गृह से इसकी पूरी जाँच करवाई है। बहुत सी चीजें सरकार बनने से पहले शुरु हो गई थीं और कुछ सरकार बनने के बाद हुई है और जब सरकार बन भी गई तो भी जो निर्माण कार्य चल रहे थे उस निर्माण कार्य में किस मंत्री के लिए कौन सी क्या चीज बनाइ जाये, क्या डायरेक्शन दिये जाएं, एक महीने के अन्दर जल्दी–जल्दी भवनों का कार्य पूरा करना था। सम्भवतः हम लोगों की ओर से हर चीज पर डायरेक्शन न हुए हों। हमारा उत्तरांचल राज्य 9 तारीख को बना, उसके बाद बाकायदा हर एक चीज के लिए परचेजिंग कमेटी बनाई गई और कहा गया कि कोई चीज हो विधान के हिसाब से हो। यह मैं मानता हूँ जैसा आपने कहा कि अगर कल ही इसमें बयान आ गया होता तो अधिक उत्तम रहता। आपने कहा मैं आपका आभारी हूं, परन्तु किसी कारणवश बयान नहीं आया। मेरा अनुरोध है माननीय सदस्यों से कि गृह सचिव की रिपोर्ट आ गई है।

मान्यवर, उसे आप देख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल सप्लाई और सहकारी संस्थाओं से रिपोर्ट माँगी गई है। एक–दो पर हमने कार्यवाही भी की है। हमारे यहां ऑडिटर जनरल आ चुके हैं, जो भी उसमें खरीददारी की कमियाँ हैं, तकनीकी कमियों के कारण एक ठेकेदार से दो लाख की रिकवरी भी करा रखी है, पर हम उसको पर्याप्त नहीं मानते हैं। जब हमारे यहाँ महालेखाकार आ गये हैं, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा कोई नहीं है।

माननीय सदस्य देख सकते हैं कहाँ–कहाँ खर्च हुआ है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन यह है कि जितनी चिन्ता आपको है उतनी ही हमको भी है। आपने कहा कि अधिकारियों / कर्मचारियों ने खरीददारी में गड़बड़ी की है, उसकी क्वालिटी में गड़बड़ी है, उसको हमने महालेखाकार को सौंप दिया है। जिन चीजों का दोषारोपण है, जो आपने आशंकायें व्यक्त की हैं। संसदीय परम्पराओं के अनुसार मेरे पास नोट भी तैयार था, सदन के अन्दर हम परम्पराओं का पालन करते हुए चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर ज्यादा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने कोई स्पष्ट बात नहीं बतायी। मेरा व्यक्तिगत काम तो है नहीं, अगर व्यक्तिगत होगा तो मा0 मुख्यमंत्री जी के चैम्बर में मिल लूँगा। यह एक करोड़ जनता की बात है, वह रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जानी चाहिए थी। दूसरी बात जो कही कि ऑडिटर जनरल आ गये हैं, उस पर जाँच हो जायेगी। ऑडिटर जनलर तो केवल हस्त–पुस्तिका का उल्लंघन हुआ है या दूसरी चीजें हैं, उनकी जाँच कर सकते हैं। लेकिन यह एक करोड़ दस लाख रुपया अगर नियमित ढंग से भी लगा तो क्यों लगा, उसकी जाँच करने का अधिकार तो ऑडिटर जनरल को नहीं है। मान्यवर यह लीपापोती का काम है, आपके निर्देश के बाद यह लीपापोती है तो इस सदन की वैधानिकता और औचित्य पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह सदन के पटल पर रखी जाय, अगर सदन संतुष्ट नहीं है तो इसकी जाँच के लिए सदन की कमेटी बनायी जाय। जिन अधिकारियों ने घपला किया उन्हीं अधिकारियों को आप जाँच दे दें या दूसरे सचिव से करा लें, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए माननीय नेता सदन और यह सरकार इतने बड़े काण्ड पर लीपापोती कर रही है, हम इसको स्वीकार और बर्दास्त करने को तैयार नहीं हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर सुना, हम उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि ये–ये जांच के निष्कर्ष हैं और इसके आधार पर कार्यवाही करेंगे। श्रीमन् मैं फिर दोहराकर कह रहा था इस बात के लिए कि यदि उस बुनियादी सवाल से सरकार दूर भाग रही है, यदि विधान सभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते, तो श्रीमन् नियम 301 में लिखा है कि संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से सम्बन्धित जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो, सदन का कार्य विनियमित हो रहा है क्योंकि सरकार विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, आपके निर्देशों

को मानने के लिये बाध्य हैं। श्रीमन् हमने यह तो सुना है कि किसी लेखा का परीक्षण ऑडिटर जनरल करे, लेकिन यह कहीं नहीं सुना कि टेकिनकल जांच का कार्य ऑडिटर जनरल करे। इसलिए हमारा कहना है कि सरकार के ऊपर से यह भरोसा हम लोगों का उठ गया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर यह साबित करता है कि इसमें लीपापोती का काम किया जा रहा है। श्रीमन् हम आपसे संरक्षण चाहते हैं, इसलिए इस सदन की कोई संसदीय समिति इसके ऊपर बैठे, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करे।

श्रीमती "डा0" इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिये उससे तो और गम्भीर संकट पैदा होगा। मान्यवर, संसदीय परम्पराओं के हिसाब से और सरकार का उत्तर देने के हिसाब से अत्यन्त गम्भीर बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन को यह उत्तर दें कि ऑडिटर जनरल अब आया है तो अब वह जांच करेगा। मान्यवर, मुझे लग रहा है कि सरकार दोषी व्यक्तियों को बचाने को कटिबद्ध है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, क्योंकि मेरे पास उसकी रिपोर्ट की पूरी प्रतियां नहीं हैं, इसलिए अगर आपका सदन में रखने का आदेश हो तो जो हमारा 3 दिसम्बर, 2001 को सदन होने वाला है, उसमें हम सदन को रिपोर्ट दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसमें अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं।

श्री हरबंस कपूर द्वारा गढ़वाल जल संस्थान मुख्यालय के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा ने सरकार व विभागीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायकों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी नियम–63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 01 मार्च, 2001 को गढ़वाल जल संस्थान के मुख्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम की जानकारी उनको नहीं दी गई, जबकि उक्त कार्यक्रम उन्हीं के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रम की सूचना देना भी उचित नहीं समझा, जिससे निश्चित रूप से उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। माननीय सदस्य ने घटना की गम्भीरता को देखते हुए इस घटना को संज्ञान में लाते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपरोक्त सूचना के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

माननीय मुख्यमंत्री ने अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या : 771–2 प0/2001, दिनांक 30 मई, 2001 द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी के अनुसार अवगत कराया गया कि महाप्रबंधक, गढ़वाल जल संस्थान की आख्या के अनुसार गढ़वाल जल संस्थान के मुख्यालय के कार्यालय भवन के उद्घाटन का निर्णय अत्यन्त अल्प अवधि में लिया गया

था तथा यह पूर्णतया विभागीय कार्यक्रम था। कार्यक्रम अल्प अवधि में आयोजित किए जाने के कारण इसमें किसी भी माननीय विधायक को नहीं बुलाया जा सका। विभाग द्वारा माननीय विधायक जी की अवहेलना का भी कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी महाप्रबन्धक द्वारा इस हेतु खेद व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में माननीय विधायक द्वारा अभिसूचित तथा शासन से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के अवलोकनापरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है, किन्तु विधान सभा के माननीय सदस्यगण के प्रति प्रदर्शित किये जाने वाले शिष्टाचार के आलोक में विभागीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे कार्यक्रम की विधिवत् सूचना स्थानीय विधायकों को भी दी जानी चाहिए।

अतः मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकृत करता हूं।

श्री लाखी राम जोशी द्वारा अमर उजाला समाचार पत्र के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री लाखी राम जोशी, सदस्य विधान सभा ने समाचार पत्र "अमर उजाला" के विरुद्ध प्रक्रिया सम्बन्धी नियम–64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। मा0 सदस्य का कथन है कि दिनांक 08–05–2001 को विधान सभा में बजट सत्र में सामान्य चर्चा में उनके द्वारा दिये गए भाषण को 'अमर उजाला" समाचार–पत्र ने गलत तरीके से प्रकाशित किया है–"सामान्य बजट चर्चा के दौरान तीखे तेवरों से पार्टी के लिए परेशानी का कई बार सबब बन चुके लाखी राम जोशी....'' की टिप्पणी कर विधान सभा सदस्य के नाते उनके उत्तरदायित्वों पर तीखा प्रहार किया है या सदन में कही गयी बातों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। मा0 सदस्य का यह भी कथन है कि समाचार–पत्र द्वारा गलत तथ्यहीन बातें प्रकाशित कर उन्हें अपमानित करने और सदन में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से रोकने का प्रयास किया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा अभिसूचित उपर्युक्त सूचना के संबंध में दैनिक "अमर उजाला" के स्थानीय सम्पादक का अभिकथन प्राप्त किया गया।

दैनिक "अमर उजाला" के समाचार सम्पादक श्री सुभाष गुप्ता के पत्र दिनांक 18–08–2001 द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिकथन के अनुसार "माननीय विधान सभा सदस्य श्री जोशी द्वारा 08 मई, 2001 को सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के अनुरूप उक्त समाचार का प्रकाशन किया गया है। विधान सभा की कार्यवाही की कवरेज करने के लिए संवाददाता वहां उपस्थित था। उपस्थित संवाददाता द्वारा माननीय सदस्य के भाषण के अनुसार ही समाचार की रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया गया है। उक्त समाचार द्वारा मा0 सदस्य की छवि को ठेस पहुंचने का कोई मन्तव्य नहीं था। फिर भी यदि उक्त समाचार से मा0 सदस्य को कोई ठेस पहुंची हो, इसका हमें खेद है।"

उपर्युक्त तिथि के उपवेशन की कार्यवाही तथा समाचार अंश देखने से विदित होता है कि समाचार अंश के एक वाक्य–"इस समय विस्थापितों में सरकार को लेकर अविश्वास के बादल छाए हुए हैं........" की रिपोंटिंग सही नहीं हुई है क्योंकि मा0 सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि "......टिहरी बांध के संबंध में मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने कुछ अच्छा प्रयास किया, विस्थापितों की समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने बहुत सार्थक पहल की है और जो अविश्वास का वातावरण विस्थापितों के मन में था वह अविश्वास का वातावरण विस्थापितों के मन में था वह अविश्वास का वातावरण विस्थापितों के मन में था वह समाप्त हुआ है और धीरे–धीरे लोग सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लग गये हैं। उनमें एक विश्वास की भावना पैदा हुई है।......" उपर्युक्त त्रुटि सम्भवतः इसलिए हुई प्रतीत होती है कि मा0 सदस्य के भाषण के शेष अंश से यह परिलक्षित होता है कि वे विस्थापितों के पुर्नवासन कार्य से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हैं।

दैनिक "अमर उजाला" के उपरिवर्णित समाचार अंश देखने से यह भी विदित होता है कि समाचार–पत्र ने जानबूझकर मा0 सदस्य को अपमानित करने अथवा उनको उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से रोकने का प्रयास नहीं किया है।

सदन की कार्यवाही की रिपोंटिंग के सन्दर्भ में मेरा यह मत है कि सदन में व्यक्त भावों के संवाहन हेतु समाचार अंश में मर्यादित शब्दों के प्रयोग को विशेषाधिकार हनन के दायरे में बांधना स्वस्थ पत्रकारिता के विकास के लिए हितकर न होगा। अतः दैनिक "अमर उजाला" के समाचार सम्पादक द्वारा व्यक्त खेद प्रकाश को देखते हुए श्री लाखीराम जोशी द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना को अग्राह्य करना समीचीन होगा, किन्तु सदन की कार्यवाही की रिपोंटिंग से जुड़े सभी समाचार–पत्रों के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा सदन की कार्यवाही की रिपोंटिंग में विशेष सावधानी व सतर्कता बरती जानी चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 21 नवम्बर, 2001 की बैठक हेतु निम्नलिखित सिफारिश की है :–

21 नवम्बर, 2001 बुधवार

(1) अनुपूरक मांग पर चर्चा एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।

(2) उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001 पर चर्चा (आधा घंटा)

(3) संविधान (इक्यानबेवां संशोधन विधेयक, 2001) के संबंध में संकल्प पर विचार।

(4) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण (आधा घंटा)

(5) उत्तर–प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण (आधा घंटा)

(6) सरकारी संकल्प–"यह सदन पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी, जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी पुरौला एवं नौगांव एवं जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करता हूं।"

विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के संबंध में गठित जाँच समिति का प्रतिवेदन

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से वन निगम के छंटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जाँच समिति का प्रतिवेदन *प्रस्तुत करता हूं। (देखिये संलग्नक–(क) आगे पृष्ठ 105 से 109 पर।)

द्वितीय सत्र 2001 में नियम–301 के अन्तर्गत लाई गई सूचनाओं पर शासन की कार्यवाही का विवरण

विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपकी अनुमति से विधानसभा के द्वितीय सत्र, 2001 में प्राप्त नियम–301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्ष 1999–2000 उत्तर प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 1999–2000, उत्तर प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

* प्रतिवेदन संलग्नक 'क' पर छापा गया।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में पहली सूचना श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी की है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, नियम–56 से पहले मुझे बोलने की अनुमति दे दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बोलें।

पूर्व मुख्यमंत्री का वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, कल दिनांक 20–11–2001 को सदन में माननीय राम सिंह सैनी तथा माननीय अम्बरीष कुमार जी ने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना देते हुए दो मुख्य बातें कहकर यह चाहा कि सदन की कार्यवाही रुक जाये तथा इनकी सूचना पर चर्चा हो। परन्तु माननीय अध्यक्ष जी ने नियमानुसार उनकी सूचना को निरस्त कर दिया। उक्त सूचना में मेरे नाम का उल्लेख है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि मैं स्पष्टीकरण में कुछ कहूँ।

जहाँ तक सूचना में यह कथत कि "मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने का षड़यंत्र शराब, खनन तथा भू–माफियाओं ने किया' सत्यता से परे है। माफियाओं की कोई बात उत्तरांचल में चल नहीं पाई क्योंकि सरकार ने खनन तथा शराब में उनका एकाधिकार समाप्त कर उत्तरांचल के नागरिकों को ही उक्त कार्य सौंपें, इसी प्रकार हजारों एकड़ भूमि भू–माफियाओं से छुड़वाई गई। मैंने कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। यदि भू–माफियाओं ने कभी कोई षडयंत्र किया भी, तो वह निष्प्रभावी रहा।

कभी भी समझदार जनता तथा नेताओं ने मूल प्रमाण–पत्र की बात नहीं उठाई, यदि इस प्रकार के प्रश्न उठे भी तो वह मीडिया में ही पढ़ने को मिला जिनको हमारी पार्टी की सरकार ने समाप्त करते हुए मैदान और पहाड़ की जनता के बीच किसी भी प्रकार का भेद–भाव पैदा होने नहीं दिया।

कल सदन में विपक्ष ने यह बात भी उठायी कि हमारे तीन माननीय सदस्यों को मंत्रीपद न देने के लिए वरिष्ठ नेताओं ने मुझे मना किया था। इस विषय में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा कोई आदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कभी दिया और न ही मैंने ऐसी कोई बात कभी कही।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं पीठ से निर्देश दे चुका हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दिनांक 24 सितम्बर, 2001 को प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षकों ने पाँचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को उत्तर प्रदेश की भांति उत्तरांचल राज्य में भी लागू कराने हेतु विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लगभग 12 हजार शिक्षकों ने भाग लिया। राज्य के बँटवारे से पूर्व विगत दो वर्षों से पाँचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू कराने के लिए शिक्षकों ने महीनों संघर्ष किया था। पिछले संसदीय चुनाव में सरकार को शिक्षकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद सम्भालते ही शिक्षकों की पंचायत कर, पाँचवें वेतन आयोग को लागू कर दिया। उत्तरांचल राज्य के शिक्षक उत्तर प्रदेश में घोषणा होते ही इस राज्य के शिक्षकों ने तत्काल उत्तरांचल में भी पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की माँग की।

मुख्यमंत्री को अपने सम्मेलनों में बुलाया, वार्ता की, बैठकें की, सरकार की ओर से लगातार आश्वासन मिलता रहा, परन्तु पाँचवाँ वेतन आयोग आज तक लागू नहीं किया गया। 24 सितम्बर की रैली एवं प्रदर्शन में शिक्षकों पर भारी लाठीचार्ज किया गया। पुरुष पुलिस द्वारा महिलाओं को लाठी से पीटा गया, उनकी हड्डी टूटी, बेहोश होकर गिर गयी, शिक्षकों को जेल में बन्द कर दिया गया।

इस घटना से राज्य के शिक्षकों में भारी रोष एवं आक्रोश है। शिक्षक आन्दोलित हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने पाँचवे वेतन आयोग की माँग की। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तरांचल जुड़ा हुआ था। उ0प्र0 राज्य में हमने पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू कराने हेतु लगातार दो वर्ष तक माँग की थी। उ0प्र0 सरकार ने इसे घोषित नहीं किया। जब उत्तर प्रदेश में श्री राजनाथ सिंह जी आये और उन्हें पुराने संसदीय निर्वाचन में उसके दुष्परिणाम देखने को मिले तो शायद उन्होंने यह उचित समझा कि आगामी निर्वाचन के संदर्भ में उन्होंने आते उनकी पंचायत बुलायी और उन्होंने अच्छा कार्य किया, उन्हें हम यहाँ से बधाई संदेश दे सकते हैं। उन्होंने शिक्षक संघ के सब साथियों को बुलाकर अत्यन्त सौहार्द पूर्ण वातावरण में माला पहना-पहना कर यह घोषणा की कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम देंगे। उ0प्र0 से अलग उत्तरांचल राज्य में कार्यरत प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षकों को यह अनुमति हुई कि हमारी सरकार भी हमारे यहाँ 5वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इसलिए वह कुछ दिन चुप बैठे रहे। पाँचवें वेतन आयोग में प्राथमिक शिक्षकों की भारी संख्या थी और दिनांक 24 सितम्बर को भारी संख्या में उनके साथ माध्यमिक शिक्षक भी यहां आये और उन्होंने यह माँग की जो उनका अधिकार था। सरकार उनसे बात नहीं कर रही थी कि वह देगी या नहीं देगी। क्या उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल में रह कर हमने कोई गलती की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना किसी प्रकार के भेदभाव के इसका वितरण किया। उत्तरांचल राज्य में इसके बारे में बातचीत करने की सामान्य शिष्टाचार उत्तरांचल सरकार ने नहीं निभायी। मैं लगातार विधान परिषद में मैं शिक्षक सीट पर इसका प्रतिनिधित्व करती रही और आज मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार के मुखिया ने 5वें वेतन आयोग पर बात करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। अपने छोटे राजनीति के अन्तर्गत फंसा कर, यह कष्ट दायक स्थिति पैदा की। उनको अगर आर्थिक रूप से कोई बात बतानी थी तो तब भी हम सुनने को तैयार थे। हमारा एक लम्बा समय 1974 बहुगुणा जी से लेकर के वर्तमान में राजनाथ सिंह के राज्य में सब समझौते हुए। सरकार पार्टी

के लिए नहीं होती है, सरकार जनता के लिए होती है। जो सरकारें ऐसी कार्य करती हैं वह सरकार टिकती भी नहीं है। इस सरकार ने पार्टी के आधार पर कार्य किया, यह मेरा आरोप है कि उन्होंने कभी शिक्षक संघ के सम्मानित प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करने का भी प्रयास नहीं किया।

मान्यवर,23 तारीख को महिला शिक्षिकाओं को पुलिस के लोगों ने इतना पीटा कि एक शिक्षिका की हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, मैं उनसे मिलने जेल में गई थी और एक बेहोश होकर बाथरूम में गिर गई, वह हरिद्वार की थी। क्या आपने यह 5वाँ वेतन आयोग दिया। महिलाओं पर भारी लाठीचार्ज करके क्या संदेश दिया। आप न महिलाओं का सम्मान करते हैं, न शिक्षक समुदाय का और जो उत्तर प्रदेश में राजाज्ञायें लागू हो रही हैं न उनका सम्मान कर रहे हैं। जिन लोगों ने राज्य बनाने के लिए लड़ाई की उसमें ये सब लोग भी थे उनको भी आप अपमानित कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था चला रहे हैं।

मान्यवर, ये शिक्षक और निगम के कर्मचारी जो आज हड़ताल के लिए बाहर बैठे हैं। यही लोग आपसे हिसाब माँगेंगे जब आप कहेंगे कि हमारी कल्याणकारी सरकार है। वही महिलायें आपसे हिसाब मांगेगी जिन्हें आपने पीटकर बेइज्जत किया। आपने उनको बेइज्जत किया है आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी। आपको उत्तर प्रदेश की भांति उत्तरांचल में भी पाँचवें वेतन आयोग को भी लागू करना चाहिए। यह एहसान नहीं, यह आपका नैतिक दायित्व है। जब उत्तर प्रदेश में श्री राजनाथ सिंह ने लागू कर दिया तो उत्तरांचल में क्यों नहीं लागू कर सकते हैं, केन्द्र में 1991 से लागू हो गया। श्री राजनाथ सिंह जी ने उसी दिन से दिया, उनका जी0पी0एफ0 में जमा कर दिया लेकिन श्री राजनाथ सिंह ने उसी दिन से जी0पी0एफ0 में जरूर जमा कर दिया। यह कर्मचारी और शिक्षक जिनका शोषण हो रहा है इस राज्य में। यह उनके साथ अन्याय है। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है, महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि जब इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री दें तो यह जरूर बतायें कि आखिर उन महिलाओं को पुरुष पुलिस ने क्यों मारा, उनको जख्मी क्यों किया? मान्यवर, यह बहुत अविलम्बनीय और लोकमहत्व का विषय है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लोगों ने हड़ताल किये, जेलों में भी रहे और उसके बाद उन लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ नहीं प्राप्त किया। मान्यवर, यह बहुत अविलम्बनीय और लोकमहत्व का विषय है।

मान्यवर, मेरे पास आज समय नहीं था, इसलिए मुझे हाथ से लिखकर यह सूचना देनी पड़ी है, क्योंकि उन शिक्षकों के प्रति भी मेरा दायित्व बनता है। मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहती हूँ और माँग करती हूँ कि सारे कार्यों को रोककर इस पर चर्चा कराएं।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, जब माननीया इन्दिरा ह्रदयेश जी बोल रहीं थीं तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात की चिन्ता कम है कि शिक्षकों को 5वाँ वेतन आयोग स्वीकृत नहीं किया गया, बल्कि इस बात की चिन्ता अधिक है कि मार्च में हम यहाँ रहते हैं या नहीं। जब उन्होंने कहा कि मार्च के बाद आप नहीं रह सकते हैं तो स्वतः ही मुझे हँसी आ गयी, मुझे इस बात का खेद है। इन्दिरा जी भी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक हूँ हो सकता है कि कुछ शिक्षकों ने अपनी गरिमा घटा दी हो लेकिन कुल मिलाकर भारत वर्ष के माहौल

में तो हम लोग शिक्षकों को निश्चित रूप से आदर भाव से देखते हैं। जिस प्रकार से सदन में इस विषय को चुनावी रंग देने की कोशिश की गयी उससे इसका मूल विषय गौण हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय की जितनी चिन्ता माननीया इन्दिरा हृदयेश जी को है, उतनी ही हमारी सरकार को भी है। पहले मैं बिजली मंत्री था, लेकिन तब भी मेरा अधिकतर समय छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में ही लगा। आज जब मुझे इस पद की जिम्मेदारी दी गयी है, तो आधे कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान के अनुसार वेतन मिले और आधे कर्मचारियों को न मिले, यह ठीक नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी शिक्षक संगठन मुझसे आकर मिले हैं, उन सब ने हमारी मजबूरियों को समझा है। इसमें एक अरब 75 करोड़ रुपये का खर्च आने वाला है हमने 27 तारीख को सभी शिक्षक संगठनों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया है। हमने कल ही उनके पास एक चिट्ठी भेजी है।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मान्यवर, कि 27 तारीख को उनके सारे संगठनों को बुला लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं इससे सहमत हूँ। इन्दिरा जी ने कहा कि अध्यापकों पर लाठीचार्ज किया गया। हमें उनसे मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। पिछली बार सत्र के समय माननीय मंत्री जी, राणा जी उनसे मिलने गये थे। उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे। हम 27 तारीख को सभी शिक्षक संघों से बात कर लेंगे। उधम मचाने वाले दूसरे लोग थे। (व्यवधान) यदि किसी भी शिक्षक के खिलाफ इस प्रकार का कोई केस होगा तो उसे वापस लिया जायेगा। (सभी माननीय विपक्षी सदस्यों ने तालियाँ बजाई) इस पर आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियाँ कब तक लागू होंगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने सारी बातें कह दीं। मैंने कहा कि हम शिक्षकों से बात करके विचार कर लेंगे। उस दिन तय हो जाएगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं सदन का बहिष्कार करती हूँ।

(श्रीमती इन्दिरा हृदयेश सदन से बाहर चली गईं)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री राम सिंह सैनी जी की है।

*श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह जन–जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पूरे राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पूरा का पूरा प्रदेश आज भयंकर सूखे की स्थिति में है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज खरीफ की फसल इतनी अधिक प्रभावित हुई है कि बहुत सी चावल की फसल खेतों में सूख गई है और यह सरकार बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। किसानों की यह दुश्मन सरकार है। पूरे राज्य में ज्यादातर ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और सिंचाई की कोई व्यवस्था है नहीं।

मान्यवर, हमारे यहाँ कहीं ट्यूबवेलों के जनरेटर खराब हैं तो कहीं–कहीं गूलें खराब हैं, इस कारण ज्यादातर ट्यूबवैल नहीं चल रहे हैं, जिससे किसान त्रस्त हैं। सूखे की स्थिति यह है कि इससे खरीफ की फसल प्रभावित हुई है, आगे रबी की फसल भी बोई जाने वाली नहीं है। यहाँ के किसानों की स्थिति जरजर हो गई है। जिस कारण वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इससे इस राज्य की आर्थिक इकोनोमी भी प्रभावित होगी। मान्यवर, उनके गन्ने की कीमत का भुगतान भी नहीं हो रहा है, ऊपर से उन पर जो ऋण हैं उनकी लगातार वसूली की जा रही है। सूखे से उत्तरांचल के पहाड़ी जिले प्रभावित न हों, लेकिन देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है और वे आन्दोलित हैं, फिर भी सरकार के कान में जूँ नहीं रेंग रही है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो राहत कार्य उ0प्र0 में होते थे और जब भी कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र होता था तो उनकी मालगुजारी माँफ कर दी जाती थी, उनको दूसरे प्रकार की सुविधायें दी जाती थी। यहाँ सरकार ने इस प्रकार की भी घोषणायें भी नहीं की है। उन पर जो ऋण हैं उसका भी कोई प्रावधान यहां की सरकार नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब उ0प्र0 में हरिद्वार जनपद था तो वहां पर जो सीमान्त कृषक थे अगर वे अपना ट्यूबवैल लगाना चाहते थे तो उनको एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था, यहाँ उसको भी समाप्त कर दिया गया है। जो किसान अपना निजी ट्यूबवैल लगाता था उनको तीन सौ मीटर का बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया जाता था, यहां वह भी समाप्त कर दिया गया है। यह सरकार किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का सवाल है और यह जन–जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नियमों को शिथिल करते हुए सदन का कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं यह आग्रह कर रहा था कि जो मेरा नियम–56 का नोटिस है उसको मैं विड्रा कर लेता हूँ, उसका आप संज्ञान ले लें, क्योंकि नियम–301 में भी यही विषय था, आपने उसे नियम–56 में कनवर्ड कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–301 को इसके साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है। मैंने कनवर्ड नहीं किया, इस तरह के पीठ से कोई निर्देश नहीं हुए हैं। दोनों नियम अलग–अलग हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा कि माननीय राम सिंह सैनी जी ने कहा कि आज इस पूरे प्रदेश के अन्दर सूखे की स्थिति है। कृपयापूर्वक आपने मुझे इसी विषय पर नियम 301 पर नोटिस मूव करने की अनुमति दी। आज श्रीमन् सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर एक–आध जगहों को छोड़कर सूखे का व्यापक असर है। खेती के बारे में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ नहरों से सिंचाई हो पाती हो, सब कुछ वर्षा पर निर्भर है। श्रीमन् खेती का वहाँ जो स्वरूप है वहां खाद्यान्न कम होता है। वहाँ पर लोगों की अर्थव्यवस्था साग–सब्जी, मटर, अदरक, आलू की खेती पर निर्भर है, यह वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर भी अदरक के उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र है, किसानों ने जो ऋण बैंकों से लिये हैं वह ऋण तक देने की स्थिति में नहीं हैं। सूखे की वजह से भयंकर नुकसान फसलों को हुआ है और आज उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। दूसरी तरफ बैंकों से जो ऋण लिया उसकी वसूली का डंडा उनके सिर पर है और आज काश्तकार तबाही की कगार पर हैं, उसके सामने रोजी–रोटी की समस्या है। मान्यवर, मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह यह है कि इन क्षेत्रों के अन्दर कुछ रोजगारपरक योजना चलाई जाये ताकि जिन काश्तकारों के पास रोजी–रोटी नहीं है, वह वहाँ कमा सकें।

दूसरा मान्यवर, वहां पर जो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार हैं उनके लिये जो मानक हैं, उसी क्षेत्र में जो सूखे की चपेट में हैं, उनको उसी श्रेणी में रखकर बी०पी०एल० की दरों पर वहाँ पर खाद्यानों की आपूर्ती कराई जाये। तीसरा मान्यवर, उनका जो ऋण है उसे बैंकों से कहकर माफ करा दीजिए और मान्यवर जहाँ सूखे की स्थिति है वहां सर्वेक्षण करा लें और तत्काल कोई न कोई राहत सरकार की तरफ से होनी चाहिए। मान्यवर, जो सरकारी देयों की वसूली है उसका जिस तरीके से उत्पीड़न होता है, कम से कम इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगे, जो काश्तकार अदा करने की स्थिति में नहीं हैं उनका उत्पीड़न न हो। मान्यवर, हम पूरे प्रदेश के अन्दर फसल बीमा योजना की दुहाई देते हैं, पर पता नहीं कहाँ–कहाँ पर कागजों में फसल बीमा योजना है। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

काजी मो० मोइउद्दीन–

मान्यवर, आज से 3 माह पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी, सिंचाई मंत्री थे, उस समय मैं आपसे मिला था और मैंने बताया था कि मंगलौर में ट्यूबवेल संख्या–12,13,14 6 महीने से खराब पड़े हैं और मैंने यह भी बताया था कि मैंने डी०एम० को लिखकर दिया है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि ये जल्दी ही ठीक कर दिए जायेंगे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज कई महीनों बाद भी ये ठीक नहीं हुए हैं।

विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, सूखे की समस्या वास्तव में गंभीर समस्या है। इस पर सदन का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जो मनुष्य के हाथ में नहीं हैं जैसे–बारिश। वास्तव में काफी लम्बे समय से बारिश नहीं हुई है, गत वर्ष भी नहीं हुई और इस वर्ष भी नहीं हुई

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इसलिए मैं भी काफी चिन्तित हूँ। परन्तु इसमें कुछ नार्म्स भारत सरकार ने बनाए हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी गठित हुई है, जो पूरे देश के जनपदों का जनपदवार सूखे के सम्बंध में मूल्यांकन करती है। इसके लिए वर्ष भर के वर्षा के आँकड़ों को देखा जाता है, उसके बाद ही किसी जिले को सूखा ग्रस्त घोषित करते हैं। मान्यवर, हम सभी जिलाधिकारियों का बार–बार पत्र देते आ रहे हैं कि हमें अवगत कराएं कि जिले की क्या स्थिति है, जिलाधिकारी लगातार हमारे पास रिपोर्ट भेजते हैं कि जिलों की क्या स्थिति है। इस नार्म्स में जो जिले आये हैं, उनमें जो सबसे अधिक प्रभावित जिला है, वह टिहरी जिला है। यों तो 50–50 लाख रुपया हमने सभी जिलाधिकारियों को पहले से दे दिया है और कहा है कि इससे प्रबन्ध कर लें ताकि आपको भाग–दौड़ न करनी पड़े। कुछ राहत कार्य तो इनसे चल रहा है। टिहरी जिले ने जो अतिरिक्त धन की माँग की है, वह हमने उपलब्ध करा दिया है और इस बात का आश्वासन भी दिया है कि धन की हम कोई कमी नहीं आने देंगे। टिहरी के अतिरिक्त किसी और जिले से हमारे पास सूखे की कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी मेरे साथ दौरा करें और देखें कि वहां सूखा है या नहीं। हम दिखाएंगे कि गाँव के गाँव में फसल चौपट हो गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिलाधिकारियों को आदेश है कि वे सूखे की सूचना तुरन्त उपलब्ध कराएं। सिंचाई, नहर बंद हो या राशन की परेशानी हो तो इन तमाम चीजों के लिए हमने एक कैश वहां दे रखा है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, देहरादून और उत्तरकाशी की बात मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला रहा हूं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं सहमत हूँ, लेकिन नार्म्स में न आने के कारण यह परेशानी हुई है जबकि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नार्म्स में आ जायेगा हम उसे तुरन्त पैसा उपलब्ध करा देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मान लिया कि सूखा है, लेकिन जो ट्यूबवेल खराब पड़े हैं पूरे भांवर में 60 प्रतिशत ट्यूबवेल जो हल्द्वानी से लेकर पूरे पहाड़ का इलाका है वहाँ आधे से अधिक ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। माननीय मंत्री जी आप विभाग को ये ट्यूबवेल दे दीजिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 50–50 लाख रुपया हर जिले में उपलब्ध करा दिया गया है। यह सत्य से परे है क्योंकि जिलाधिकारी कहते हैं कि यह तो फलड सीजन में दिया गया था। जिला देहरादून की मैं आपको स्पेसिफिक जानकारी दे रहा हूँ। जिलाधिकारी

कहते हैं कि वह पैसा विड्रा हो गया, रुद्रप्रयाग चला गया था और यहाँ पर एक पैसा नहीं है और आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया दैवी आपदा में उनके पास पड़ा हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर कोई जिलाधिकारी अपने पैसे के समाप्त होने की बात कहता है और वो फिर डिमांड करता है तो हम उसे फिर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे निरस्त करता हूँ। तीसरी सूचना श्री अम्बरीष कुमार जी की है।

*श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अब से लगभग 40 वर्ष पहले दिनांक 15–09–61 और 08–02–62 को गजट में दो अधिसूचनाएं प्रकाशित हुई 112 एकड़ जमीन फारेस्ट की और 6624 एकड़ भूमि ग्राम समाओं की, किसानों की बंजर भूमि, यह अधिगृहीत की गई। कुल मिलाकर 6736 एकड़ और मान्यवर, इसका उद्देश्य जो अधिग्रहण का था वह यही था कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कम्पनी भारत सरकार की है, उसकी स्थापना होगी और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए रहने के आवास बनाये जाएंगे और यह भी उल्लेख उन अधिसूचनाओं में था कि यह किसी अन्य प्रयोग के लिए हस्तांतरित नहीं की जाएगी और मैं आपका ध्यान जो लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट, 1894 भूमि अभ्यक्ति कानून, 1894 की धारा 44ए जिसमें रस्टिक्शन ऑन ट्रांसफर एक्सेट्रा नो कम्पनी फॉर विच एनी लैण्ड इज एक्वायर्ड अण्डर दिस पार्ट शैल बी एन्टाईटल्ड टू ट्रांसफर द सैड लैण्ड ऑर एनी पार्ट देयर ऑफ बाई सेल मॉडगेज गिव बीज ऑर अदरवाईज एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैन्क्शन ऑफ द एप्रोप्रियेट गर्वनमेन्ट और मान्यवर, इसके साथ ही यह मुद्दा बहुत तेजी से उठा जो वहां कृषक थे परेशान रहे, भूमिहीन हो गये तो जैसे–जैसे यह तथ्य प्रकाश में आया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो कि एच0ई0इल0 से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हो गई दो कम्पनियों के संविलन से नई कम्पनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स बन गई, उसके उपयोग में भूमि नहीं आ रही है और उस कम्पनी के द्वारा इस अधिनियम की इस धारा का उल्लंघन करते हुए अन्य उद्देश्यों के लिए इस भूमि का हस्तांतरण भी किया गया और उसमें राज्य सरकार को जिसकी वह सम्पत्ति है, उससे बिना अनुमति लिये इस भूमि का ट्रॉसफर किया गया और उसके साथ–साथ आज स्थिति यह है कि लगभग 3 हजार एकड़ भूमि रिक्त पड़ी है जिसमें खेती नहीं हो रही है।

मान्यवर, इसके साथ–साथ इस तथ्य की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि एच0ई0एल0 जो बाद में बी0एच0ई0एल0 बना, इस कम्पनी को यह भूमि बिना मूल्य के दी गई और जो भी मुआवजा हुआ वह राज्य सरकार ने राजस्व कोष से व्यय किया। इस कम्पनी द्वारा सरकार की बिना इजाजत के अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि का ट्रॉसफर किया जो पूर्णतया असंवैधानिक और गैरकानूनी है। आज यह स्थिति है कि जब कृषकों ने मांग की कि जब भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है तो यह हमको दी जाय। मान्यवर, तीन हजार एकड़ भूमि कम नहीं होती। अगर पिछले 40 वर्षों में इस पर फसल होती और अगर इसमें खेती की इजाजत दी गई होती तो इसका लाभ हमारे देश और प्रदेश को होता। इससे तो बड़ी हानि हमारे देश और प्रदेश

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

को हुई। उ0प्र0 सरकार भी इस संबंध में एक नोटीफिकेशन सं0–643/272–1–1/74, दिनांक 16 अप्रैल, 1989 को राजस्व अनुभाग–2 से जारी किया। इसके पैरा–3 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कृषि, चरागाह के उपयोग में आने वाली स्थायी रूप में अर्जित की गई भूमि की आवश्यकता न होने पर उसका निस्तारण रेव्वन्यू मैनुअल के अध्याय–20 में दिये गये नियमों तथा राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–482/72/123–952, दिनांक 9 अप्रैल, 1983 में दिये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा। शासन से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अर्जित भूमि का निस्तारण करने की प्रकृति उसी दशा में दी जायेगी जब वह अन्य विभागों से जानकारी करके उसकी संतुष्टि कर लें। प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता किसी अन्य सरकारी विभाग को नहीं है यदि वह अर्जित भूमि के निस्तारण का निर्णय लेते हैं तो सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को निस्तारण हेतु सौंप देंगे। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, मेरा कहना है कि 40 साल से इस भूमि का उपयोग नहीं हुआ फिर यह तय हुआ कि कितनी–कितनी भूमि किसके उपयोग में लायी गई। इसके लिए एक टिप्पणी बनी और उच्च स्तरीय बैठक हुई उसमें बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 6700 एकड़ वर्तमान अभिलेखों के आधार पर क्षेत्रफल 6756.50 एकड़ जो बी0एच0ई0एल0 द्वारा अपने कार्य में प्रयोग किया, 2995 एकड़ क्षेत्रफल जो बी0एच0ई0एल0 के कब्जे में है। मान्यवर, जो क्षेत्रफल बी0एच0ई0एल0 द्वारा अन्य व्यक्तियों को या संस्थाओं को दे दिया गया जिसकी शासन से अनुमति नहीं ली गई। 22 एकड़ शासनादेश के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को दी गई। इस तरह 6837.33 एकड़ का विवरण है। मान्यवर, किस विभाग को कितनी दी गई यह भी विवरण है। अब इस प्रकरण में हमारे सारे किसान आन्दोलित हैं। 19 तारीख को जिलाधिकारी के यहां भी प्रदर्शन किया, लगातार आन्दोलन और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। यह आश्वासन भी दिया गया था कि जिनकी जमीन ली गई है उनको कम्पनी में नौकरी दी जायेगा, लेकिन यह आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ और अब स्थिति यह है कि बी0आर0एस0 द्वारा लोगों की छुट्टी बी0एच0ई0एल0 से की जा रही है। इसलिए वहां धीरे–धीरे आन्दोलन जन्म ले रहा है। उत्तरांचल राज्य में भूमि की भारी कमी है। पहाड़ में भूमि नहीं है मैदानी इलाकों में ही है, अगर मैदानी इलाकों में भी 3–3 हजार एकड़ भूमि निष्प्रयोज्य पड़ी रहेगी और उसका कोई उपयोग नहीं होगा, किसान इसमें खेती नहीं कर सकेंगे। मान्यवर, यहां विडम्बना देखिये जिन जवानों का काम सीमा पर लड़ना है, उनको एक बहुत बड़े फार्म के लिए जमीन दे दी गई। पी0ए0सी0 जिसका काम सुरक्षा करना है, सी0आई0एस0एफ0 जिसका काम भी सुरक्षा करना है वह खेती कर रहे हैं जिनका काम खेती करना है वह किसान घूम रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं।

मान्यवर, यह एक अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, इसलिए कि इस पर आंदोलन शुरू हो गये हैं और कम से कम 10–12 गांव ज्वालापुर, राजपुर, सलीमपुर, रोशनाबाद आदि ऐसे हैं जिनके कृषकों की भूमि खराब है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर कार्य स्थगित करके चर्चा करा लें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

मान्यवर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, उत्तरांचल में केन्द्र सरकार का एक अति महत्वपूर्ण उपक्रम है और इस उपक्रम के माध्यम से जहां हमारे अनेक लोगों ने रोजगार

प्राप्त किये हैं और वह हमारी आय का भी एक बड़ा प्रमुख स्रोत है, क्योंकि बहुत सी जमीन उसको पहले ही दे दी गई, अब आपने बताया कि बहुत सी जमीन उसके उपयोग में नहीं आ रही है, आपने 3000 एकड़ जमीन के बारे में कहा है। जिसकी तरफ आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, यह केन्द्र सरकार का मामला है, हम कोशिश करेंगे कि वहां की जो जमीन है उसका उपयोग उत्तरांचल के हित में, किसानों के हित में हो। उसी दृष्टि से हम लोग तुरन्त विचार करके केन्द्र सरकार से विचार–विमर्श करेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक जानकारी सरकार के संज्ञान में और लाना चाहता हूं, मेरी यह पुष्ट सूचना है कि बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया है कि इस जमीन को उत्तरांचल सरकार को वापस कर दिया जाए और कॉर्पोरेट ऑफिस जो दिल्ली में है वहां भी यह शीघ्र प्रस्ताव पारित होकर उत्तरांचल सरकार को आने वाला है कि जो जमीन बी0एच0ई0एल0 के उपयोग में नहीं आ रही है वह हम उत्तरांचल शासन को वापस दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन है, वह वापस आने के बाद जो शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग हो गयी, जो शेष है उस जमीन को उन्हीं किसानों को देने की बात सरकार करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि प्रस्ताव आने वाला है उसको हम दिखवा लेते हैं, उस जमीन को दिखवा लेते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि वह जमीन किसी के उपयोग की नहीं है, उससे केन्द्र को और हम को भी कोई लाभ नहीं होना है तो निश्चित रूप से उस पर हम परीक्षण कर लेंगे।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं निरस्त करता हूं। चौथी सूचना है श्री इसम सिंह जी की और काजी जी की।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, टिहरी बांध परियोजना से सम्बन्धित पुनर्वास, प्रतिपूर्ति आवंटित भत्ता में आये दिन जनता मांग करती रहती है और आंदोलन कर अपने क्रोध का इजहार भी करती रहती है। लेकिन वर्तमान में इसी सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर प्रतिपूर्ती भत्ते की तीन स्टेज निर्धारित की गई। अर्थात् प्रथम 3 लाख रुपये , द्वितीय 2 लाख रुपये और तृतीय 1 लाख रुपये। जबकि धन आवंटन की प्रक्रिया इसके विपरीत की गई अर्थात् तृतीय श्रेणी का तीन–तीन लाख का भुगतान किया जाना तथा 1999 व्यापार मंडल की जनसंख्या की सूची के आधार पर 469 के स्थान पर 750 दुकानों के नाम पर फार्म बांटकर 281 फार्म अतिरिक्त दर्शाकर भुगतान किया गया। ये कौन लोग थे। जिसका कोई अता पता नहीं है। अतः ऐसा आभास होता है कि टिहरी बांध परियोजना में पुनर्वास, प्रतिपूर्ति धन आवंटन में भारी घोटाला किया गया है। जिससे सरकार को भारी राजस्व की हानि हुई है।

अतः, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, मामला बड़ा गम्भीर है और इसमें छोटा–मोटा नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला है। मैं कुछ लिस्ट भी लाया हूं जिसमें चेक नम्बर, नाम और चेक किस डेट में जारी किया गया है, सब हैं। और इसके साथ–साथ मेरे पास फोटो भी हैं जिसमें नाम, पते सब हैं, तो मैं इसको आपके पास भेज रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सदन से यह अनुरोध है कि इसकी जाँच किसी अधिकारी से न कराएं क्योंकि इसमें अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और इसमें जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसका खुलासा होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच करके रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के बाद सरकार उन लोगों के खिलाफ, कार्यवाही करें।

काजी मौ0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, टिहरी के लोग मुझसे भी मिले थे, मैं भी वहाँ गया था, वाकई बहुत सारी शिकायतें हैं। एक महिला एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि 20 हजार रुपये मुझसे श्रेणी बदलने के, मांगे जा रहे हैं। हमारे रुड़की में एक डी0एम0 रहे थे, श्री चन्द्र सिंह, फिर वो सचिव भी रहे, अब फिर उन्हें डी0एम0 बनाया गया है, बहुत ईमानदार इंसान हैं, उनको भी मैंने वहां की शिकायत से अवगत कराया। जैसा कि अभी श्री इसम सिंह जी ने कहा किसी अधिकारी से जांच न कराएं। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है लेकिन यह आवश्यक हो कि अधिकारी ही जांच करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पसंदीदा हैं और मुझको यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सारे अधिकारियों में यदि सबसे ईमानदार अधिकारी कोई है, तो वह चन्द्र सिंह हैं। मेरा यह अनुरोध है कि जांच उनसे ही करायी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, टिहरी बाँध और उससे जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं, यह काफी संवेदनशील हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन कर रहा हूँ कि पिछले 30 साल से जिस प्रकार टिहरी बाँध का क्रम चला आ रहा था, आज वहां पर पुनर्वास और वहाँ की जनता को मनाने के लिए उत्तरांचल की एक साल पुरानी सरकार ने जिस ढंग के प्रयास किए, उनका परिणाम यह हुआ कि वहां का जनमानस आज इस बांध को बनाने के लिए तैयार है। वहाँ के व्यवसायियों की एक निश्चित संख्या है, यह संख्या हमने निर्धारित नहीं की। टी0एच0डी0सी0 ने पहले से इसकी जो कट ऑफ डेट है, उसके आधार पर संख्या निर्धारित की है। इनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 600 के आसपास है, इनमें से सब लोगों ने कहा कि हम तैयार हैं। हमने देखा कि उनको केन्द्र सरकार के द्वारा जो प्रतिपूर्ति दी जा रही थी, वह कम है। उस दृष्टि से हमारी सरकार ने 14 करोड़ रुपये की धनराशि उनके लिए स्वीकृत की।

मान्यवर, ठीक है जैसा आपने कहा उनकी श्रेणी बनाई गई थी 1, 2, 3, और उसके हिसाब से 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपये यह देने का सरकार ने तय किया है। अभी तक कुल जो व्यवसायियों के प्रार्थना–पत्र मिले थे वे थे 720, इसमें से निरस्त कर दिये गये 43 और जांच में जो अभी भी चल रहे हैं वे हैं 55 और उसके बाद जो वितरित

किये गये हैं वो 622 किये गये हैं। ये मैं, आपको संख्या बता रहा हूं। 241 प्रथम, 196 द्वितीय, 185 तृतीय ये कुल 12.98 करोड़ रुपया वितरित किया गया है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी हो सकता है आपने कहा कि मेरे सामने ऐसा कोई विषय नहीं आया और मैंने बार–बार लोगों से कहा था कि अगर आपसे कोई भी घूस माँगता तो पहले मुझे बताएं। मुझे कोई जाँच कराने में कोई कठिनाई नहीं है। पर इस विषय पर मैं इतना निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ क्योंकि यह विषय आज सुलझने की ओर है और जो विषय सुलझ रहा हो उसे उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। जाँच मैं करवा लूँगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री चन्द्र सिंह जी अच्छे और ईमानदार हैं उनसे जाँच करवा लेंगे, उनसे और ईमानदार देखेंगे उनसे करवाएंगे। ऐसा कोई बैरोमीटर केवल काजी साहब के पास ही होगा मुझे लगता है कि वे अपना बैरोमीटर निकाल लेते हैं। मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, परन्तु यदि इस प्रकार की कोई गड़बड़ होगी तो उसकी जाँच करा देंगे। सरकार स्वयं इस काम में लगी हुई है। कोई भी इस प्रकार की बात आएगी तो हम उसकी जाँच कराएंगे। इस विषय को इसी रूप में लेकर मैं नहीं सोचता कि कोई बहुत बड़ी चर्चा की आवश्यकता है। मैं ऐसा अनुभव नहीं करता इसलिए इसे खारिज कर दिया जाये।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, 1999 में यहाँ व्यापार मण्डल के चुनाव हुए और उसमें

श्री अध्यक्ष–

आप इसमें बोल चुके हैं यदि नेता सदन के भाषण में कोई स्पष्टीकरण चाहते हों तो बोल सकते हैं, लेकिन दुबारा भाषण की अनुमति नहीं है।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है, घोटाले से सम्बन्धित है तो इसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे निरस्त करता हूँ।

पाँचवीं सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने इस सूचना के माध्यम से वन विभाग के अंदर विभिन्न स्तरों पर जो गड़बड़ियां, गबन, सरकारी धन का दुरूपयोग न केवल आज से बल्कि हमारा जो मदर स्टेट है वहां से लेकर आज तक जो एक लम्बा सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में अपनी सूचना दी है। मेरे एक मित्र थे वन विभाग में उनसे मैंने पूछा कि आप लोग जंगल में वनीकरण का कार्य करते हैं, उसे सत्यापित किस तरीके से कराते हैं। चूंकि वे मेरे मित्र थे तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा काम बहुत बढ़िया है। मान लीजिए कोई ई0ई0सी0 या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट है, यदि कोई हमसे कहता है कि प्लान्टेशन दिखाइये तो जैसे सिर के बाल गिनना मुश्किल है उसी प्रकार से जमीन के गड्ढे गिनना भी काफी मुश्किल है। हमारा एक आदमी आगे से जाता है और गड्ढे पर चूना डाल कर गिनती करवाता जाता है। और दूसरा आदमी पीछे से

चूना मिटाता जाता है इस प्रकार घूम फिर कर एक ही गड्ढे को कई–कई बार गिनवा दिया जाता है। हास्य के तौर पर मैंने इस बात को कहा है। अभी आप किसी जंगलात के अधिकारी से इस बारे में पूछें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी हमेशा मैं वन विभाग के प्रश्नों को उठाता रहा हूं। मेरी इसमें गहरी रूचि है।

मान्यवर, अगर कभी हम अपने क्षेत्र में किसी रेंजर साहब से कहेंगे कि हमें अपना सफल प्लान्टेशन दिखा दीजिए तो वह सोच–विचार करके ऐसी जगह बतायेगा जहां दो दिन में भी नहीं पहुँचा जा सकता है, अर्थात् सत्यापन नहीं हो सकता, वह उनका सफल प्लान्टेशन है। वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जा है इसको हटाया जा रहा है, मैं मानता हूं हटता है 10–20 झुग्गी–झोपड़ी वालों को हटा देते हैं और कहते हैं अतिक्रमण हट गया। लेकिन जंगलात की जो बहुमूल्य जमीन है उसके ऊपर करोड़पति, अरबपति लोगों का कब्जा है उनके ऊपर आज तक कोई उंगली उठाने का साहस नहीं कर पाया। वन विभाग की भूमि पर जो माफिया पनप रहा है उसके ऊपर कार्यवाही करने की जरूरत है। अभी इस सदन के अन्दर मा0 मातबर सिंह कण्डारी जी इसी विभाग का काम देख रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था उनकी बात सुनकर, मुझे लगा वे अपनी बेबसी और लाचारी प्रकट कर रहे हैं। फारेस्ट कन्जरवेशन एक्ट के तहत जिसमें लैण्ड ट्रांसफर की परमिशन नहीं है। चुगान नहीं हो सकता है माइनिंग नहीं हो सकता है। यह सब कागजों पर नहीं हो सकता है, लेकिन माफिया लोग दनादन उसको करते चले जा रहे हैं। तीसरा श्रीमन् मा0 गाँववासी जी आपको चुनौती देकर के कह रहा हूं, मुझे तो आश्चर्य होता था अखबारों में पढ़करके कि वन निगम का कोई वन कड़ी प्रकरण था। यह मेरे समझ में नहीं आता था, हम इसको वन ककड़ी समझते थे कि यह एक फारेस्ट प्रोडक्ट होगा। बाद में पता चला कि हमारे जंगल के अन्दर लकड़ी का ढुलान होता है, उसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। इसमें हजारों रुपये का श्रमिकों को पानी पिलाया, इतने लाख रुपये से हमने श्रमिकों की झोपड़ियां बनायी, इतने रुपये का हमने ढुलान किया। जंगल के अन्दर ट्रक और ट्रेक्टर नहीं जायेगा क्योंकि वहां पौधा मरेगा इसलिए शर्त बनायी गई है। वहां से मजदूरों द्वारा ढुलान करके किसी ट्रक में लोड करते हैं। यह अपने आप में इतना बड़ा घोटाला है। ट्रकों द्वारा सीधे वहां से उठाया गया, जो उस बीच की दूरी का है उसमें ये वन निगम के अधिकारियों ने वारे–न्यारे किये। ये प्रमाणिक आरोप है। जो श्रमिक वहां पर काम करने वाले हैं वह कहते हैं कि हमें तो पानी का पैसा कभी मिला ही नहीं, हम तो दो किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। श्रमिकों के लिए खाना बनाने के लिए रसोइया का भुगतान वन निगम करता है, यह भुगतान कागजों पर होता होगा, मजदूर तो अपना खाना खुद बनाते हैं। यह कोई छोटा–मोटा नहीं 10–20 हजार 40 हजार का प्रकरण नहीं है।

मान्यवर, यह कोई छोटा–मोटा प्रकरण नहीं है, यह बात मैंने इसलिए कही कि हमारी जो मदर स्टेट थी, वहां की लेगेसी, यह शानदार परम्परायें हम साथ लेकर चल रहे हैं। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ किसी व्यक्ति विशेष पर। सवाल इस बात का है कि गवर्नेन्स इज ऐ कॉन्टिन्यूअस प्रासेस यह सम्भव नहीं है कि 8 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के साथ हमारा हिस्सा था और 9 नवम्बर को आकर के उसमें ब्रेक दे दिया गया। यदि 12 बजे रात्रि तक उत्तर प्रदेश के साथ थे तो उस रात्रि को ही यह व्यवस्था हुई। यह नहीं कहा जा सकता कि यह उत्तर प्रदेश में हुआ और इससे हमको कोई लेना–देना

नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह संविधान इजाजत नहीं देता। हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहते हुये भी इतनी गम्भीर घटनायें होती हैं, इसका हम कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। हां, एक बात के लिए बधाई दूंगा कि पूर्व मंत्री जी को कि उस दौरान एक साहस जुटाया कि एक सत्ताधारी के भी एक भूतपूर्व सांसद की आरा मशीन पर रेड करके वहां से अवैध लकड़ी बरामद की। लेकिन यह जो हालत है कि जो वन क्षेत्र हैं वहां पर माफियाओं का किस तरह से गिरोह बन्दी है। वहां पर हालत यह है कि वहां पर कोई बिना पुलिस की सहायता से कोई नहीं घुस सकता है। माननीय स्वामी जी कह रहे थे कि इस प्रदेश को माफिया छू तक नहीं पाया, हमने जिक्र किया कि या तो वे माफिया के कब्जे में हैं या फिर सरकारी माफियाओं के कब्जे में हैं। उन सरकारी माफियाओं के कब्जे में जो अवैध पातन कराते हैं, रुड़की के पास खैर का अवैध पातन होता है, लेकिन वहां पर कोई तैनाती लेने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, यदि इस तरह से सेरेण्डर करते चले जायेंगे और इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो यह शुभ संकेत नहीं है। काजी जी जैसी बात कहेंगे हम उससे सहमत हैं। कानून के नाम पर किसी का उत्पीड़न होता है तो वह गांव वालों का होता है। जो पेड़ लगाता है और बड़ा करके उसको काटता है तो उससे पूछा जाता है कि यह पेड़ क्यों काटा। जिसके लिए कानून बना है वह लूटने–खसोटने का काम कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी मामलों में क्या कार्यवाही हुई।

मान्यवर, हरिद्वार, जहां की मैं बात बता रहा हूं, वहां पर तमाम सारे मामलों में उच्चाधिकारियों ने सम्बन्धित अधिकारियों के बारे में कहा कि इनकी स्थिति यह है लेकिन फिर भी उनको बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, उनको अच्छे–अच्छे चार्ज देकर नवाजा जा रहा है। मान्यवर, मेरे ख्याल से इसका नाम वन विकास निगम न रखकर वन विनाश निगम रख देना चाहिए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य चर्चा करना चाहेंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे कार्यों को रोक कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी"–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने बहुत गम्भीर मामला उठाया है। उनकी जो पीड़ा है, वह सारे उत्तरांचल की जनता और शासन की भी पीड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश राज्य का एक अंग था तो परम्परागत रूप से जो बुराइयां और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के वन विभाग और वन निगम में था, वह स्वाभाविक रूप से उत्तरांचल क्षेत्र में भी रहा होगा। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद उन बुराइयों को दूर करने के लिए हमने एक अभियान चला दिया है। हम इस प्रदेश में कोई भी वन बुराई नहीं पनपने देंगे, चाहे वह वन निगम में हो या चाहे वन विभाग में हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि इन बुराइयों को रोकने के क्रम में, हमारी सरकार ने क्या–क्या किया है। हरिद्वार वन प्रभाग में वन विभाग ने जून, 2001 में एक प्रभावशाली व्यक्ति से लगभग 125 हेक्टेयर वन भूमि मुक्त कराई, जिसमें उनके द्वारा एक भारी–भरकम भवन भी निर्मित किया जा चुका था। इस मामले में प्रभागीय वनाधिकारी तथा 5 अन्य वन कर्मचारी निलम्बित हैं तथा मामला पुलिस द्वारा जांच में भी है। हरिद्वार वन प्रभाग में ही दो सहायक वन संरक्षक विभिन्न अनियमितताओं के लिए निलम्बित चल रहे हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

की जा रही है। उत्तरांचल गठन के पश्चात कुल 189 हेक्टेयर वन भूमि को अब तक अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। नाजायज कटान के अनेक मामले प्रकाश में आने पर भी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है। उत्तरकाशी वन प्रभाग में नाजायज कटान के एक मामले में सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है तथा वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा व वन रक्षक निलम्बित किये गये हैं व उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति पर है। इससे पूर्व नरेन्द्र नगर वन प्रभाग में एक नाजायज कटान के मामले में वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा व वन रक्षक निलम्बित किये गए हैं।

वृक्षारोपण व अन्य प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागीय वनाधिकारी को निलम्बित किया गया है व उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। नाजायज कटान के मामलों में उत्तरांचल वन विभाग के अन्तर्गत इस वर्ष अभी तक 2 लाख 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किये जा चुके हैं तथा 22 आरा मशीनों को बन्द किया जा चुका है। 3 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है तथा 20,700 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किये जा चुके हैं।

मान्यवर, यह तो अभी तक की कार्यवाही है और जो-जो बातें और जो-जो बिन्दु माननीय मुन्ना सिंह जी ने उजागर किये हैं, निश्चित रूप से उनकी रोकथाम होगी और इस प्रदेश को अपराधमुक्त किया जाएगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक स्पेसिफिक सूचना दे रहा हूँ। खटीमा में वन विभाग के द्वारा पहले जो कार्य कराये जाते थे ठेकेदारी पर, उनके मजदूरों के लिए झोपड़ी दी जाती थी। अब मजदूर वहाँ से चले गये हैं और वन माफियाओं ने इन झोपड़ियों को परमानेन्ट कर लिया है और जो अवैध पातन कराते हैं उसे इन्हीं झोपड़ियों में छिपाते हैं और फिर सहूलियत के मुताबिक उसे बाजार में बेच देते हैं। अब जबकि मजदूर वहाँ नहीं है तो इन झोपड़ियों का क्या औचित्य रह गया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसका परीक्षण करवा लें। मैं इसे निरस्त करता हूं।

कृषि मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, माननीय मुन्ना सिंह जी ने....

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर अब चर्चा की अनुमति नहीं है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के यहाँ रेड पड़ी और अवैध लकड़ी पाई गई। ठीक है विपक्ष में बैठकर उनको जैसा बोलना चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी गलत सूचना के आधार पर उनकी आरा मशीन पर छापा मारा गया, वहाँ किसी प्रकार की लकड़ी नहीं पकड़ी गई। यह शब्द कार्यवाही से निकलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 3 बजे तक के लिए।

(सदन 2 बजकर 10 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपरान्ह 3 बजे पुनः आरम्भ हुई)

संविधान (इक्यानेवां संशोधन) विधेयक 2000 का अनुसमर्थन

विधायी तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधनों का, जो संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधनों का, जो संविधान के अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयेगा, विधेयक, 2001

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का अध्यादेश जारी किया गया था। इस संबंध में मेरा यह अनुरोध है कि यह आयोग का गठन बहुत विलम्ब से हो रहा है। एक साल का समय हो गया और उसमें संविधान की बाध्यता थी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो भी कार्य होंगे या कोई कार्यक्रम बनेंगे उसकी जिम्मेदारी आयोग की होगी। मान्यवर, जो प्राविधान उ0प्र0 में हैं वह यहां भी लागू रहना चाहिए था, यहां उसको घटाकर 14% कर दिया गया है। मैं इसका पुनः अनुमोदन के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी यह उत्तरांचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश के अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और आपने इजाजत दी इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इसके उद्देश्य और कारण, जो इन्होंने लिखे हैं कि इन वर्गों की जनसंख्या को देखते हुये, इन वर्गों के हितों की सुरक्षा उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु नवगठित राज्य में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया जाता है। मान्यवर मेरा कहना यह है कि जो संविधान की धारा 16–4 नीति निदेशक तत्व 46, इनमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए समान अवसर देने की व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का एक केस सर्वोच्च न्यायालय में निर्मित हुआ था। और उसमें यह निर्धारित किया गया था कि इन वर्गों का आरक्षण केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, पर्याप्त मानने के आधार पर होगा। मतलब कि हम इनको जो आरक्षण दे रहे हैं वह पर्याप्त है या नहीं है और उसका निर्धारण 27 प्रतिशत के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग को दिया गया अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 21 प्रतिशत किया गया था, लेकिन इस राज्य में आज हम आयोग तो बना रहे हैं, दुहाई भी दे रहे हैं कि इन वर्गों की अनुरक्षा हम करेंगे। लेकिन जो उनका बड़ा अधिकार आरक्षण का था वह इस सरकार ने छीन लिया। यह पहली बार है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है वह कानून होता है और उस कानून का पालन करना, प्रत्येक राज्य का और प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। मान्यवर, जो आयोग बना वह उचित है लेकिन आयोग का मूल उद्देश्य और कारण है वह तो तभी डिफीट होगा जब उन वर्गों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वह नहीं मिला, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि यह महज एक घड़ियाली आँसू हैं जो सरकार बहा रही है, जो वास्तव में उन वर्गों के लिए किया जाना चाहिए, सरकार उस को करने के लिए गम्भीर नहीं है इसलिए मैं इसको अनुमोदित करता हूँ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" पर विचार किया जाये।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

इस विषय में मैं अपने विचार सदन में रख चुका हूँ।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की जो मूल भावना है उसका विरोध करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन जैसा माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा यदि विपक्ष की तरफ से अनुमोदन का प्रस्ताव आया है तो मूलतः उसमें भी एक रचनात्मक सुझाव और उन तमाम सारी बातों को, जिन्हें हम खामियाँ कह सकते हैं, इनको कैसे दूर किया जाये। यही हमारे लोगों की चर्चा का विषय है।

मान्यवर, बात तब तो ठीक है, जब सरकार लेटर और स्प्रिट में उसका अनुसरण करे। यदि केवल एक राजनीति संदेश या केवल राजनीतिक मुद्दे का राजनीतिक जवाब देने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हो जाए तो यह कदाचित उचित नहीं है। जब यह प्रदेश बना तो यहां निवास करने वाले लोगों की अपनी–अपनी तरह की शंकाएं थी, चाहे वे अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों। उत्तरांचल के सम्बंध में जब हम आयोग के गठन की बात कर रहे हैं तो इस बिल से सम्बन्धित खामियों को उजागर कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में उचित होता कि इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में यह बातें भी लायी जाती कि वह इस बात का भी परीक्षण करे कि कौन–कौन से वर्ग ऐसे हैं, जिनको विभिन्न अदालतों के निर्णयों के मुताबिक कहीं न कहीं इन श्रेणियों में रखने का काम किया गया है, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूँ। जब पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहते हुए यह सवाल उठा कि उत्तरांचल का जो हिस्सा है, उसके अन्दर आरक्षण की कौन सी व्यवस्था लागू हो, उस समय यहां पर एक आन्दोलन भी चला जिसके बारे में कहा गया कि यह आरक्षण विरोधी आन्दोलन था लेकिन मैं उन लोगों में शामिल हूं, जो यह मानते हैं कि यहां पर आरक्षण विरोधी आन्दोलन नहीं चला, हां यहां आरक्षण के प्रभाव को लेकर, उसके विरोध में जरूर छात्रों का आन्दोलन चला। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि सरकार इस पर गौर करे। तत्समय उत्तर प्रदेश में जब गौर किया गया कि छात्रों के आन्दोलित होने का कारण क्या था? मैं माफी चाहूंगा, माननीय अम्बरीष जी यहां पर बैठे हैं, माननीय सैनी जी भी हैं, उस समय जिसे हम उत्तराखण्ड का हिस्सा बोलते थे, उसमें हरिद्वार शामिल नहीं था। अर्थात् उत्तराखण्ड के 12 जिले उसमें शामिल थे। इन 12 जिलों के अन्दर जो अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी थी, वह उत्तर प्रदेश के अनुपात में काफी कम थी। यहाँ एक संशय का वातावरण पनपा कि 27 प्रतिशत ओ0बी0सी0 का आरक्षण होगा तो इन 12 जिलों में भी जितने अवसर हैं, वो भी 27 प्रतिशत आरक्षण से घिर जाएंगे, यहाँ के नौजवानों के लिए अवसर कम हो जाएंगे।

मान्यवर, इस सवाल पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गम्भीरता से विचार किया और आधार लिया गया उस समय उत्तर प्रदेश सरकार बनाम टण्डन का जो केस था उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उत्तराखण्ड का जो पर्वतीय क्षेत्र है। हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों का जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को पिछड़ा करार दिया। उस समय उत्तर प्रदेश में सम्भवतः राष्ट्रपति शासन था इसलिए महामहिम श्री मोती लाल वोरा जी की अगुवाई में निर्णय लिया गया कि मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में उत्तराखण्ड

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पर्वतीय क्षेत्रों को ओ०बी०सी० के एटपार रखते हुए उनको 5 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी गई। जब अदालत ने यह कह दिया कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र की दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा है। इसलिए मैंने कहा आज जब हम उत्तरांचल में आरक्षण के ऊपर विचार करते हैं तो यह बड़ा सवाल है, जिस पर गौर होना चाहिए कि क्या यहां आरक्षण का लाभ पहुँचना चाहिए। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी पिछड़ेपन के जितने इंडीकेटर्स हैं, वे सब विद्यमान है। जब अदालत ने भी उसको विधिमान्य माना तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी उनकी पहचान होनी चाहिए। मेरा यह सोचना है कि आयोग के दायरे में इस बात को भी लाना चाहिए। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी पहचान करें जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। यह भी इस आयोग के कार्यक्षेत्र में लाना चाहिए ताकि उनके साथ भी न्याय किया जा सके। दूसरा जो अम्बरीष जी ने कहा जिसमें इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फॉर एवर सैटल किया, लेकिन आज उसको किया तो नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ओवर राईट नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा ही उसे ओवर राईट किया जा सकता है। इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हैज टू बी इन इक्यूटेबिल टर्म्स ये जो शब्द इक्यूटेबिल टर्म्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका बड़ा रैमीफिकेशन है। इसका आशय श्रीमन्, यह था कि आरक्षण का क्वांटीफिकेशन किया जाये। वो इस प्रकार किया जाये कि आरक्षण का लाभ वहां तक पहुंच सके। यदि हम इसको बहुत सीमित मात्रा में करेंगे तो सम्भव है कि अधिकांश क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ पहुँचेगा ही नहीं। मसलन कुछ पद ऐसे हैं जिसमें पदों की संख्या बहुत सीमित होती है यदि आरक्षण का प्रतिशत बहुत कम हो तो 20 साल में भी उस पद पर आरक्षण का पद बनेगा ही नहीं; अर्थात् उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धृत किया है। इसलिए उसके आबादी का अनुपात न मान कर जिसमें आरक्षण का जो लाभ जो, व्यवहारिक रूप से उन तक पहुँच सके ऐसा एक पक्ष विकसित किये जाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इसको भी उस आयोग की परिधि में लाना चाहिए। आयोग के 3 मेम्बर हों, 4 हों, 5 हों इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। आधुनिक दुनिया के अन्दर जो कल्याणकारी राज्य की बुनियाद है वह निश्चित रूप से सरकार का दायित्व बनता है कि उन लोगों तक राज सत्ता के विकास का लाभ पहुँचे।

मान्यवर, जो माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कहा उससे अपने आपको जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि एक तो आरक्षण का अनुमान जनसंख्या के अनुपात से न जोड़ करके, उसको ऐसे तरीके से करें ताकि वास्तविक लाभ उन लोगों तक पहुँच सके। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र को जिनको कि उ०प्र० में रहते हुए टण्डन बनाम उ०प्र० के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक 5% का आरक्षण इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक और प्रोफेशनल कोर्सेज में दिया गया था, उस सुविधा को किसी न किसी रूप में उन पिछड़े क्षेत्रों में फिर से बहाल किया जाय, जिससे उसका लाभ वहाँ के छात्रों को वहाँ के नवजवानों को मिल सके और वे भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। इसके लिए एक आयोग तो बनाना ही चाहिए, लेकिन इस आयोग के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार करें। इसलिए अच्छा होगा इन तमाम सारी बातों पर विचार करने के लिए इसको फिर से प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। वह समिति इसी सदन

की होगी, वह इस पर विचार करेगी। हमारा उत्तरांचल नया प्रदेश है, यहाँ की जरूरतों के मुताबिक उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करें।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, इस अध्यादेश पर मा० सैनी जी ने अपनी आपत्ति लगाई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोर इस पर दिया गया है कि आरक्षण 27% होना चाहिए था। अभी मा0 मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम पार्लियामेंट के एक्ट से ही गवर्न होते हैं। इसमें जनसंख्या को आधार बनाया गया है, उसी के आधार पर उत्तरांचल सरकार ने भी आरक्षण की व्यवस्था की है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने कानून बनाकर के 50% की सीमा को ही पार कर दिया है।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, पार्लियामेंट द्वारा प्लानिंग कमीशन बनता है। प्लानिंग कमीशन ने देश में आर्थिक विकास के लिए जो भी किया है, वह जनसंख्या को आधार बनाकर किया है। इससे अधिक स्पष्टीकरण मैं इस मामले में नहीं समझता हूँ।

मान्यवर, जहाँ तक इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया, उसमें कहा गया कि इक्यूटेबेल टर्म्स पर आरक्षण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से वीकर सेक्सन ऑफ पीपुल को अवधारित किया और वीकर सेक्शन ऑफ पीपुल को आइडेण्टीफाइड करने के लिए सरकार सक्षम नहीं होती है, उसको आइडेन्टीफाइड करने के लिए कोई आयोग ही सक्षम होता है और उस आयोग का निर्माण किया जा रहा है। अगर यह बात उठेगी तो आयोग के सामने उठेगी तो जब आयोग बनेगा तभी तो यह बात पैदा होगी। मान्यवर, वीकर सेक्शन ऑफ पीपुल का सुप्रीम कोर्ट ने जो अवधारित किया है, अगर उसमें आपका धन्यवाद मिल रहा है तो मेरा निवेदन है कि आप फिर से देख लें कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निचोड़ है वह वीकर सेक्सन ऑफ पीपुल को एट्रेक्ट किया गया है और उसको राज्य सरकार भी विचार करेगी। इस सम्बंध में इस अधिनियम की धारा–22 में 2 साल के अन्दर कोई भी उपबन्ध जो आवश्यक पाया जायेगा, वह उप बन्धित करने की बात है। मान्यवर, अनुच्छेद 16–4 और 46 की बात कही गई है। अनुच्छेद 16–4 में सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुये वर्ग की बात कही गई है और अनुच्छेद 46 में समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक हितों की रक्षा की बात की गई है और उन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इस एक्ट को बनाया गया है। जहाँ तक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि यह तो आरक्षण राजनीतिक जवाब का परिचय कराता है। जुलाई, 2001 में आर्डिनेन्स लाया गया था। चूँकि सरकार कमजोर वर्गों के हितों के लिए शुरू से ही चिन्तित थी और चूँकि वर्तमान में विधान सभा सत्र प्रचलन में है और सरकार ने महसूस किया कि उस आर्डिनेंस को रिप्लेस करके उसकी जगह एक परमानेन्ट प्रयास किया जाये और वह प्रयास सरकार ने किया है। जहाँ तक प्रदीप टण्डन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्बंध है, उसमें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के हिल एरिया में 5 प्रतिशत आरक्षण मेडिकल और इंजीनियरिंग में दिया गया था,

जिसका आज भी उत्तरांचल सरकार उत्तर प्रदेश में फायदा ले रही है और इस बात को उत्तरांचल सरकार निश्चित रूप से संज्ञान में लेगी और इसका प्रयास हम करेंगे। लेकिन हम इसमें सफल हो पायेंगे या नहीं हो पायेंगे यह भविष्य की स्थिति पर निर्भर करेगा। मान्यवर, इस आयोग में समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के सम्बंध में सारे उपबन्ध किये गये हैं और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कम से कम उत्तरांचल सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए विपक्ष धन्यवाद देगी, क्योंकि अभी उत्तरांचल राज्य को बना हुआ एक साल हुआ है और एक साल के अन्दर कमजोर वर्गों के आयोग की बात उत्तरांचल सरकार ने की है। जबकि छोटे राज्यों में इस तरह का आयोग अभी तक गठित नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने में विपक्ष से भी प्रार्थना करूँगा कि इसका विरोध न करें और इस विधेयक को पारित होने दें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा, पास करवाने में सहयोग करें। तो हमें पास करवाने में तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी कुछ शंकाएं हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेंट्रल एक्ट है, संविधान है जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का, लेकिन जब आपके माध्यम से स्पष्टीकरण माँगा गया और माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा कि उस विधि विशेष का उल्लेख कर दें या संविधान के उस अनुच्छेद का उल्लेख कर दें, जिसके अन्तर्गत जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्राविधान है तो माननीय मंत्री जी ने उसका कोई उल्लेख नहीं किया और माननीय मंत्री जी ने प्लानिंग कमीशन की बात बीच में ला दी। प्लानिंग कमीशन इस आधार पर देता है। तो, प्लानिंग कमीशन का फंक्शन अलग है और जो आरक्षण का प्रकरण है वह बिल्कुल अलग है। एक तो माननीय मंत्री जी ने सदन में जो कुछ कहा उसको स्पष्ट करें और अगर वह ये बात नहीं कहना चाहते थे तो कोई बात नहीं। भूल तो हो ही जाती है। माननीय मंत्री जी उसको अपने शब्दों में कहें कि यह नहीं है। यह उत्तरांचल सरकार का निर्णय है। जो बात है, उसको मजबूती से और स्पष्ट शब्दों में कहें। दूसरा, माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि इस आयोग के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित जो प्राविधान किए गए हैं, उसमें यह कहाँ उल्लेख है कि उस आयोग को इस विधेयक के माध्यम से यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने और घटाने पर भी विचार करेगा। इसका उल्लेख भी माननीय मंत्री जी कर दें।

श्री नारायण राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक्ट, यहाँ तक कि हमारा संविधान भी अपने आप में पूर्ण नहीं है इसीलिए संविधान में भी समय–समय पर संशोधन होते आए हैं। अब जहाँ तक यह बात कही गयी है कि एक्ट में इन वर्गों को आइडेंटीफाई करने के लिए कहाँ पावर दी गयी है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अनुच्छेद–338 तथा 340 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि किन–किन विषयों पर आयोग जाँच करेगा। जब संविधान के अनुच्छेद–338 तथा 340 में यह सारी बातें जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयोग की परिधि में इन्क्वायरी के लिए आती है, रखी गयी है तो उससे बाहर तो उत्तरांचल सरकार का कानून जा नही सकता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्लानिंग कमीशन भी धन का आवंटन करता है, योजना का आकार तय करता है, तो कोई आधार माँगता है। मैं अपने अल्पज्ञान के आधार पर यह सूचना आपको दे रहा हूँ कि यह जो उत्तरांचल प्रदेश है, ये जब उत्तर प्रदेश में था तो भी उत्तरांचल प्रदेश को जो ले आउट प्लानिंग कमीशन सेंक्शन करता था, तो वह जनसंख्या के अनुपात में नही करता था। जनसंख्या का लगभग 4 गुना करता था क्योंकि प्लानिंग कमीशन भी उसी सोशल जस्टिस के सिद्धान्त पर चलता था, जिसको इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धृत किया था, उसी सोशल जस्टिस के सिद्धान्त को लेकर कि उत्तरांचल का आउट–ले कम से कम इतना हो कि उसके भौगोलिक एरिया की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उस योजना का लाभ मिल सके।

मान्यवर, नहीं तो यदि आबादी के आधार पर निर्धारित कर दिया तो पर्वतीय क्षेत्र में उसका लाभ ही नहीं पहुँचेगा। वही मैं यहां कह रहा हूँ कि यदि आप आबादी के अनुपात में करेंगे तो उसका लाभ वास्तव में नहीं पहुँचेगा। उसका जो मात्राकरण किया गया है, क्या सरकार उस पर पुनर्विचार करके और वास्तव में उसका लाभ उन वर्गों तक पहुँच सके, इस पर सरकार विचार करेगी या आयोग ही इस पर विचार करेगा।

वित्त मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। माननीय मुन्ना सिंह जी ने योजना आयोग की बात की है। उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तरांचल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था तो उसके भी कुछ मानक थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसके लिए भी निर्धारित मानक है उसी आधार पर किया गया है। आयोग का गठन भी किया जा रहा है। आयोग को पूरा अधिकार है कि यह अध्ययन करके उसे आगे बढ़ा सके।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें नहीं है। आयोग केवल सिफारिश करेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, सिफारिश का अधिकार तो आयोग को वहाँ भी रहेगा। एक राज्य को दो क्षेत्र में नहीं विभाजित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर्वतीय क्षेत्र को बिल्कुल अलग माना गया था तो यह पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। (व्यवधान) उत्तरांचल को यदि आरक्षण मिला था तो उसके पिछड़ेपन के कारण मिला था।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं भी पर्वतीय क्षेत्र की ही चर्चा कर रहा हूँ। यह आयोग उनके कल्याण के लिए बनाया जा रहा है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसमें आबादी का प्रतिशत नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 54 प्रतिशत है और उनको आरक्षण 27 प्रतिशत दिया गया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आरक्षण 27% होना चाहिए। यह तो आयोग की परिधि में हैं। आज जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने पूछा कि आरक्षण बढ़ाने का अधिकारी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया जायेगा या नहीं?

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, यहाँ पर मैं आर्टिकल–338 को उद्धृत करना चाहता हूँ–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। संसद द्वारा एक निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। आयोग का कर्तव्य होगा कि–(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों के अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें, (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें। यह बात आर्टिकल सेक्शन–11 (ख) में स्पष्ट की गई है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, सरकार की दिशा और दशा साफ नहीं है।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, जब मैं आर्टिकल का उल्लेख करने लगा तो रोक दिया गया, उसके बाद यह कहा गया कि सरकार की कोई नीति नहीं है। मेरा निवेदन है कि आपने एक प्रश्न उठाया कि आयोग आरक्षण के बारे में विचार करेगा। मान्यवर, इसका कार्य पिछड़े वर्गों के बारे में अन्वेषण करना,

मूल्यांकन करना और निगरानी करना है। इस वर्ग के लोग जिस तरह कठिनाइयों में श्रम करते हैं उसका अध्ययन करके शिकायतों की जांच करना है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यादेश, 2001 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001

(उत्तरांचल विधेयक संख्या सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में प्रख्यापित राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए विधेयक।

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचित होने की दिनाँक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो :

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से है;

(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ग) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है, और इसमें आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं;

(च) "अनुसूचित जाति" तथा "अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य भारत के संविधान में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से है;

(छ) अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त ऐसे पिछड़े वर्गों से है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सूची में निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय–दो

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

आयोग का गठन

3. राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी, जिसे उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।

आयोग की संरचना

4. (1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से होगा;

(ख) एक सदस्य अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से होगा, और

(ग) एक अन्य सदस्य पिछड़ा वर्ग में से होगा।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान किया हो;

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियां अधिसूचित आदेश द्वारा की जायेंगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5. (1) प्रत्येक सदस्य उस दिनाँक से, जब वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा;

(2) कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बन्धित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति :

(क) अननुमोचित दिवालिया हो जाय;

(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधर्मता अन्तर्ग्रस्त हो सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय;

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को, इस खण्ड के अधीन, हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा;

(5) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं;

(6) (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिये आवश्यक हो;

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं;

वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जायेगा

(7) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते का और धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक व्ययों को भुगतान धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं करेंगी

(8) आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

(9) (1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझें;

(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनयमित करेगा;

(3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का वरिष्ठतम सदस्य जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे द्वारा तब तक निर्वहन किया जायेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं सम्भालता है;

(4) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या पद निमित सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

राज्य सरकार का आयोग से परामर्श

(10) राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रभावित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय–तीन

आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कर्तव्य और कृत्य

11. (1) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

(क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझें, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जाय, सिफारिश करना;

(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जाय, निर्वहन करना;

(छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किसी भेदभाव को रोकने के लिये नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कराना;

(ज) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक शैक्षिणिक एवं आर्थिक विकास के लिये संचालित स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान को कार्यान्वित कराना;

(झ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, निरीक्षण एवं संबंधितों को दिशा-निर्देश देना;

(ट) राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के आरक्षण को सुनिश्चित करना एवं सम्बन्धितों का निर्देश जारी करना;

(त) कोई अन्य मामला या मामले जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय अथवा आयोग के संज्ञान में लाया जाय,

(थ) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोध का परीक्षण करेगा, और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किए जाने की शिकायत सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित समझे;

(द) कोई अन्य मामला या मामले जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय अथवा आयोग के संज्ञान में लाया जाय।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुये ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्तियां

(12) किसी बात का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, प्राप्त होगी, अर्थात :

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिये बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;

(घ) किसी कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करने और;

(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय;

अध्याय–चार

वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

13. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे;

(2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझें खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा जायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

14. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा;

(2) लेखों के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षण करवायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

(15) आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जायेगा, और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी

(16) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट, आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार किये जाने का कारण यदि कोई हो, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट यथावश्यक शीघ्र जैसे ही वे प्राप्त हो राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पाँच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

(17) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा,

शास्ति

(18) जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से बाध्य होते हुये जानबूझकर ऐसा नहीं करता है सिद्ध दोष होने पर यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।

अपराधों का संज्ञान

(19) कोई न्यायालय, अध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही पर संरक्षण

(20) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

21. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है;

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात :

(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को और धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

22. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनाँक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड विधेयक, 1904 की धारा 23 क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगें जैसे वे किसी उत्तरांचल राज्य अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं;

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2001 का निरसन

23. (1) उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है;

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे;

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–23 तक, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण रामदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001" पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, विधेयक, 2001

पर्यटन, लोक निर्माण मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, विधेयक 2001 पर विचार किया जाये।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो पर्यटन मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि नवयुवकों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, लेकिन मान्यवर इन्होंने अभी वह निदेशालय से एक परिषद् का गठन कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का अनुभव है कि जो भी परिषदें उत्तर प्रदेश से बनी उस पर कोई कंट्रोल रहा नहीं। वही शराब नई बोतलों में भरते रहे तो कोई औचित्य नहीं, यह बात हम लोगों को समझ में नहीं आई, तो इस तरह से राज्य के नवयुवकों का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, हम लोग कहते हैं कि स्विटजरलैण्ड की तरह हमारा प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में परिषदों का हाल हुआ है, वही यहाँ पर भी होगा। और जो माननीय मंत्री जी ने ऐम्स वगैरह प्रस्तुत किये हैं, मुझे लगता है कि न तो इस प्रकार से इस प्रदेश का भला होगा और न विकास होगा और न इस प्रकार से पर्यटन का कोई आयाम ये लोग प्राप्त कर सकेंगे। एक साल हो गया तब ये परिषद् के गठन का विधेयक ला रहे हैं। होना चाहिए

था कि पहले सत्र में आता और फिर सब लोग बैठकर के एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते जिससे पर्यटन का विकास होता, इस प्रदेश का विकास होता।

मान्यवर, मुझे कई चीजों का अभाव इस विधेयक में नजर आता है इसलिए मैं समझता हूँ कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और फिर इसका प्रस्तुतीकरण हो और एक प्रवर समिति के सदस्यों का नाम माननीय अध्यक्ष जी आप दे दें या बाद में दे दें और 3 महीने के समय में जब यह रिपोर्ट तैयार हो तब यह विधेयक प्रस्तुत हो।

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पर्यटन हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा आय का स्रोत है। उत्तरांचल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का केन्द्र, राष्ट्रीय लोगों के घूमने–फिरने के लिए वातावरण पैदा करने का स्थान है। इस दृष्टि से यदि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो उत्तरांचल सबसे सुन्दर प्रदेश कहा जा सकता है। भारत का शायद ही कोई पर्वतीय क्षेत्र ऐसा हो, जहाँ किसी न किसी रूप में मुझे जाने का अवसर न मिला हो। सब जगह घूमने के बाद मेरी यह समझ बनी और जो लोग दूर–दूर से यहाँ घूमने आते हैं, उनका भी यही मानना है, यहां पर जैसे ठण्डे और गर्म पानी के झरनें हैं और जैसी उपजाऊ जमीन है, ऐसा स्थान दुनिया में शायद ही कहीं उपलब्ध हो। स्विट्जरलैण्ड की चर्चा होती है लेकिन स्विट्जरलैण्ड में भी ऐसा सौन्दर्य नहीं है। अगर हम इस प्रदेश को पर्यटन का केन्द्र बनाना चाहते हैं तो हमें पर्यटन के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए और इस दिशा में ईमानदार पहल करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। क्या आपने कभी ऐसे मामले में, जो विकास से सम्बंधित हो, आय से सम्बंधित हों, प्रकृति से संबंधित हों, उसमें विपक्ष के सम्मानित सदस्यों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व का, उनके अनुभव का, उनकी जानकारी का, उनके ज्ञान का, उनके देशाटन का लाभ उठाकर कुछ सुझाव लेने की कोशिश की। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, मुझे वह मिल भी गयी थी। इतनी भाग दौड़ की जिन्दगी में मा0 मंत्री जी को चिट्ठी लिखने का समय मिल गया, उसी का धन्यवाद। लेकिन माननीय मंत्री जी लिखकर मुझे बाँधना चाहें तो उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मेरी भी यह अभिलाषा है कि लोग इस प्रदेश की चर्चा बाहर के देशों में करें। इसके लिए पर्यटन ही मुख्य साधन है। हर्बल मसाज की बात अभी माननीय पुनेठा जी ने की। मैं कहती हूं कि यह बहुत अच्छा सुझाव है। यह हमारी आय का भी प्रमुख साधन हो सकता है।

मान्यवर, जो लोग राजनीति में रहते हैं, उनकी चिंता रहती है कि वे स्वस्थ रहें, आयु का पता न चले। हर्बल सारी दुनिया में प्रचारित हुआ। माननीय कोनिया जी पर्यटन में काफी रूचि ले रहे हैं। आप पूँजी भी माँग रहे हैं। लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं पाये। बाहर का आदमी आपके यहाँ नहीं आया। चाहे हमारे प्रचार तंत्र की कमी हो या कुछ और वजह हो, हम उसे आकर्षित नहीं कर पाये। आपके यहाँ वे संसाधन भी नहीं हैं जिन शर्तों पर बाहर का आदमी आयेगा। शायद वे हम पूरी भी नहीं कर पायेंगे। पर्यटन में पूंजी की कमी नहीं पड़ेगी। आप तो परिसीमन कमेटी में थे, आप कामयाब हो गये। एक दिन भी जिन्दगी का बहुत होता है। पर्यटन में आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाये और इस राज्य में कुछ करना है तो पर्यटन में ही किया जा सकता है। बहुमत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से आप बिल तो पास करा लेंगे। जब कभी पर्यटन का विषय आता है तो मैं इस पर दबाव बनाती हूँ। पता नहीं आपको क्यों परहेज है। जैसे ही माननीय कोश्यारी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली आपने विपक्ष को बुलाया और आप खुद ही लिख रहे थे। इसलिए मुझे शक हुआ। आपके पास एक भी गवाह नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय इन्दिरा जी अब आप समाप्त करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप लोग पता नहीं क्यों विपक्ष के अनुभवों को विश्वास में लेने के पक्ष में नहीं रहते हैं। आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले दिन मैं दिल्ली से देहरादून आई ताकि यह संदेश न जाये कि विपक्ष राज्य के विकास के प्रति गम्भीर नहीं है। मेरा निवेदन है कि विपक्ष को विश्वास में लेकर कार्य करें। हम लोगों का जो सहयोग होगा, हम करेंगे।

*श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संशोधन मा0 सैनी साहब ने रखा है और जिसका समर्थन माननीय इन्दिरा हृदयेश जी ने किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, 2001 कारणों एवं उद्देश्यों का वक्तव्य है। मान्यवर, इसमें कहा गया है कि हम पर्यटन निदेशालय को समाप्त कर दें और इसके स्थान पर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् स्थापित कर देंगे। इसका जो संगठन है उसमें लिखा है कि मा0 मंत्री जी अध्यक्ष होंगे, मंत्री पर्यटन उत्तरांचल शासन पदेन अध्यक्ष होंगे। यह एक गम्भीर प्रश्न है। यह जो पर्यटन मंत्रालय है, उसका नाम ही परिषद् कर दें। मंत्री जो है, सम्पूर्ण विभाग के अधिकारी हैं। जो परिषद् बन रहा है उसमें भी अध्यक्ष वे ही बनें, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपका काम तो दिशा–निर्देश देना है। अगर मंत्री जी को अध्यक्ष बनने का शौक है, तो अध्यक्ष बन जाएं। प्रश्न यह है कि हमारे उद्योगों की दिशा क्या है। हमारे मा0 मंत्री जी ने एक साल में बड़ी सुन्दर नीति के बाउचर भी छाप कर दे दिये, लेकिन रिजल्ट क्या है, हम एक साल में कहाँ बढ़े हैं। उन्होंने लिखा है विधेयक की धारा–14 में कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे। उसका क्या खर्च होगा। सबसे पहले तो प्रशासकीय कार्यों पर खर्चा होगा। उसमें यह नहीं लिखा है कि इस परिषद् की जो योजनाएं हैं, उसके लिए धन कहाँ से मिलेगा, इसका कोई खाका नहीं है। आप पर्यटन निदेशालय के स्थान पर पर्यटन विकास परिषद् बना लें इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश की एक करोड़ जनता के हित में इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश विकसित करने के लिए जो कदम उठा रहे हैं। आपने कहा कि हम पर्यटन उद्योग में रोजगार देंगे, एक साल हो गया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार देने की क्या योजना आपने चलाई। इसमें इसका न कोई अर्थ है, न कोई उद्देश्य पूरा होने वाला है, खाली दिमागी कसरत है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि इससे एक्सपैन्डीचर बढ़ेंगे। इससे पर्यटकों का कोई भला होने वाला नहीं है। इस पर विचार करने के लिए आप एक प्रवर समिति गठित कर दें, ताकि इसका स्वरूप ठीक हो।....

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के गठन के बारे में जो विधेयक आज सरकार सदन में लाई है, जिसके संशोधन पर माननीया इन्दिरा हृदयेश और माननीय अम्बरीष जी ने विचार व्यक्त किये, मैं उन विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। पर्यटन इस नवसृजित प्रदेश के तरक्की का एक बुनियादी आधार है, इस बारे में किसी को कोई शक नहीं है। निजी तौर पर कहें तो मंत्री जी की इस क्षेत्र में निजी दक्षताओं के प्रश्न से भी परे हैं। जब हम यह कहते हैं कि आपकी निजी दक्षता इस क्षेत्र से परे है तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाएं आपसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम उम्मीद करते थे कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से माननीय केदार सिंह फोनिया की अगुवाई में जो प्रयास होंगे वह अपने आप में ऐसे होंगे, जिसको देखने से ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई आमूल–चूल परिवर्तन और एक बुनियादी पर्यटन के क्षेत्र में कार्ययोजना तैयार हुई। यह सब तो जुमले बाजी हैं और इन सब चीजों के बारे में आदरणीय राम सिंह सैनी ठीक ही कह रहे थे कि यदि उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो कुछ निगमों को छोड़ करके जो निगम परिषदें बनती चली गई तो वह केवल रास्ता चार का ब्रीडिंग ग्राउन्ड बनता चला गया, किसी वर्ग विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ लेकिन यह हकीकत है कि ऐसे काम पूर्णतया प्रोफेशनल के द्वारा होता था उसको नॉन प्रोफेशनल ने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। बहुत ही कोशिशों के बावजूद हिल्ट्रौन का गठन हुआ और आज वह एक खोका कॉरपोरेशन बनकर रह गया है। मान्यवर, बहुत से निगम बने और जिस दिन निगम बन्द हुए तो करोड़ों के घाटे को चुकता करके खा–पीकर के आई0ए0एस0 अधिकारी ताला लगाकर के चले आए। तो यह परिणती अभी तक की रही है। मान्यवर, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने ठीक कहा कि केवल पर्यटन निदेशालय का नाम बदलकर के हम पर्यटन विकास परिषद् कर दें तो यह कोई बात नहीं है।

मान्यवर, एक तरफ तो आप इतनी महत्वाकांक्षी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने पूछा कि सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में आप उस डेस्टीनेशन की तरफ कितने किलोमीटर चले तो आपने कहा हम निजी क्षेत्र से पूँजी निवेश इसमें कराएंगे। मैंने पूछा, कितना पूँजी निवेश आपने निजी क्षेत्र से कराया। आप कहने लगे हम अखबारों में विज्ञापन देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत है। यह एक अलोकप्रिय प्रस्ताव है, आम तौर पर लोग इसको नहीं कह पाते। लेकिन मैं साहस और रिस्क के साथ कह रहा हूँ, किसी पर्यटन की कल्पना बिना उच्चीकृत नेटवर्क के मुश्किल है। पर्यटन के लिए जो पहली क्वालिफाइंग स्टेज है, वह है, सड़कें। कोई और शायद न कहे लेकिन मैं कहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर जहाँ कहीं भी पर्यटक स्थलों में आप जाएंगे। वहाँ पर सड़कें मात्र एक गली में तब्दील होती जा रही हैं। उनमें कूड़े–कचरे के ढेर के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको कुछ इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए और आयामों का निर्धारण करना चाहिए। यदि पर्यटन उद्योग को आप वास्तव में उद्योग का दर्जा देना चाहते हैं, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जैसे कि कल जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हाइड्रो पावर इस प्रदेश की तरक्की का आधारभूत साधन है। इसको विकसित करने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए राजनीतिक इच्छा बहुत जरूरी है। सरकार को कहीं न कहीं मजबूती के साथ यह फैसला लेना पड़ेगा। पर्यटन विकास परिषद् के अन्दर इस बात का प्राविधान करें कि इसमें किस तरह से फण्ड का अरेंजमेंट करेंगे। यह कानून बनाएं कि जो पैसा जिस काम के लिए बजट के अन्दर इंगित होगा, उसी काम पर खर्च हो, पर्यटन विकास परिषद् में होते हुए भी वह पैसा स्टैबलिशमेन्ट पर खर्च नहीं होगा। यदि ऐसी शुरूवात होगी तभी उत्तरांचल में पर्यटन का विकास संभव है नहीं तो पर्यटन विकास परिषद् की परिणति भी वही होगी जो अन्य निगमों की हुई है।

मान्यवर, ऐसी किसी इच्छा शक्ति का परिचय तो इसके अंदर है नहीं और जब सरकार ने तनख्वाह देनी है, काम वही होना है, उसी ढर्रे पर होना है। निदेशक पर्यटन निदेशालय का हो करके पर्यटन विकास परिषद् का चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर कहलायेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट का जो पैसा है जैसा बजट में हम करते हैं कि जो प्लान का पैसा है वह नॉनप्लान में नहीं खर्च होगा। यह पैसा चाहे परिषद् का स्टैबलिशमेन्ट हो, निदेशालय का स्टैबलिशमेन्ट हो, मंत्री जी के दफ्तर का स्टैबलिशमेंन्ट हो, सचिव साहब के दफ्तर का स्टैबलिशमेन्ट हो उसमें नहीं खर्च होगा। जैसा अभी माननीय अम्बरीष जी ने कहा पर्यटन विकास परिषद् एक प्रोफेशनल की टीम खड़ी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको बनाने की कोशिश करिए। उसको लाल फीता काटकर उनको खोलने का काम करिए तब मैं समझता हूँ। इसके लिए अच्छा तो यह होगा कि इसको एक प्रवर समिति को सौंपे, इसका व्यापक अध्ययन हो और इस प्रकार से व्यापक इंतजाम के साथ एक बिल बनकर आये जो वास्तव में इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उसे पूरा कर सके। धन्यवाद।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे चारों विद्वान साथी पर्यटन पर जो कुछ भी बोले बहुत महत्वपूर्ण बातें बोले आप लोग पर्यटन व्यवसाय को समझते हैं और इसमें क्या–क्या कमियाँ हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। क्योंकि आपका जो कुछ भी बोलना रहा, वह सकारात्मक रूप से न रहकर कटाक्ष के रूप में आया। लेकिन जो कुछ आपने कहा वह हमारे समर्थन में जा रहा है। मुझे इसके लिए बड़ी खुशी है। इन्दिरा जी ने जो कहा और बिल्कुल सही कहा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) एक साल का समय बीत गया मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि एक साल का समय बीत गया और हम कुछ नहीं कर पाये, इसीलिए हम चाहते हैं कि परिषद् बन जाये। बहन जी का जो आब्जर्वेशन था आपने गहराई में जाकर अध्ययन किया। माननीय मुन्ना सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि बजट में जो आवंटित धन है वह एक मद से दूसरे मद में आवंटित नहीं होना चाहिए। परिषद् बन जाने के पश्चात् पर्यटन के मद में जो धनराशि आयेगी वह दूसरे मद में डायवर्ट नहीं होगी। आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही दे दिया मैं बहुत आभारी हूँ। एक बात का मुझे दुख भी है। पर्यटन विषय को तो आप जानते हैं लेकिन परिषद् और निगम में क्या भिन्नता है इसका आप अध्ययन कर लें। लाभ–हानि का प्रश्न निगम में उठता है, परिषद् में नहीं।

मान्यवर, परिषद् सरकार की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। इसमें नफे और घाटे का सवाल ही नहीं उठता है। इस परिषद् में लाभ–हानि का प्रश्न कैसे उठ सकता है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर इस पर आप अपना ज्ञानवर्धन कर लें। उत्तरांचल राज्य बने एक वर्ष हो गया है। आज न केवल भारत वर्ष की अपितु सम्पूर्ण विश्व की नजर उत्तरांचल पर टिकी है। हमारी चिंता है कि हम कैसा उत्तरांचल विश्व के सामने रखे। आपने कनेक्टीविटी की बात कही, मैं इससे सहमत हूँ। मुम्बई का आदमी दिल्ली न उतर कर सीधे देहरादून या पन्त नगर उतरे जिससे उसके चार दिन बच जायेंगे। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से नैनीताल तक चार लेने की सड़क बन जाय, यह हमारी चिंता है। इस संबंध में हमारी मेजर जनरल खण्डूरी साहब से बातचीत चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि हम इसके प्रति जागरूक नहीं है। ये सारी बातें इस प्रस्ताव के अन्दर नहीं आती हैं। मान्यवर, परिषद् का जो प्रस्ताव आया है व अकारण नहीं आया है। चिंताएं जब बढ़ जाती हैं, काम न होते हुए दिखाई देता है, बाधाएं जब सामने आती हैं, तब आदमी तड़पता है कि नया रास्ता ढूँढ़ो। हमारा भी यह काम करने का नया रास्ता है। इस परिषद् का उद्देश्य क्या है, परिषद् का स्वरूप कैसा होगा, परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, कार्यशैली कैसी होगी, यह सब प्रस्तावित है। हम कार्यशैली पर ज्यादा जोर देते हैं। अगर हमारी कार्यशैली वही रही जो पिछले 50 सालों में उत्तर प्रदेश की रही है, जैसा कि एक साल में उत्तरांचल की रही है। अगर वही पुरानी कार्यशैली रही तो हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे। हमारी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन आएं, इसलिए हम परिषद् की कल्पना कर रहे हैं। हर पढ़ा–लिखा आदमी टूरिज्म पर बोलता है। केवल कन्धे पर झोली और कैमरा लटका कर टिकट खरीद करके नैनीताल आने को टूरिज्म नहीं कहते हैं। इसके पीछे जो आर्थिक उपलब्धि है, इसके पीछे जो सामाजिक उपलब्धि है इससे सांस्कृतिक आदान–प्रदान होता है। इसको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। मान्यवर, अच्छा प्रशासक होना बहुत अच्छी बात है। आपको अपने देश में अच्छे–अच्छे प्रशासक मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल मिलना बहुत कठिन होगा, प्रोफेशनलिज्म जिस विषय में नहीं आयेगा, वह विषय आगे नहीं बढ़ सकता है। टूरिज्म सेल्समैनशिप का विषय है। हम टूरिज्म में कठोर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं, इसमें सेल्समैनशिप चाहते हैं। अच्छा प्रशासक एक अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता है। इसको समझने की आवश्यकता है। सभी चीजों को सोच–समझ करके एक प्रकार की व्यवस्था की है, जिसे हमने पर्यटन विकास परिषद् का नाम दिया है।

मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। हमारे वन निगम के अध्यक्ष जी जो कि जिला अल्मोड़ा के हैं, यहाँ पर बैठे हैं। 1997–98 में हमने अल्मोड़ा के जलना गाँव में एक पर्यटक विश्राम गृह बनाने की योजना बनाई और इसके लिए 25 लाख रुपये के धन की व्यवस्था की गई और बजट पास भी हो गया। भूमि का अधिकरण भी हो गया। लेकिन जब फाइल गई वित्त विभाग के पास तो उसमें कह दिया गया कि फिलहाल हमारे पास पैसा नहीं है। हम पर्यटन व्यवसाय को एक टॉप मोस्ट व्यवसाय समझते हैं, (व्यवधान) ऐसे कैसे काम चलेगा।

एक और उदाहरण दूँ। मसूरी में सबसे बड़ी कमजोरी है उचित पार्किंग की व्यवस्था का न होना। इस कार्य हेतु 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 20 लाख रुपये रिलीज हो गये, बाकी 20 लाख रुपया कह दिया गया कि पैसा नहीं है, ठेके का काम अधूरा पड़ा है। आपने कहा एक मत का पैसा दूसरे में डाइवर्ट न हो, यही तो हम चाह रहे हैं। तीसरा हमने इस साल 2.17 करोड़ रुपया ऋण उपादान योजना के लिए तैयार रखा है। 300 उद्यमियों को 2 लाख रुपया प्रति उद्यमी के हिसाब से देना चाहते हैं काम करने के लिए। (व्यवधान)

मान्यवर, पर्यटन व्यवसाय पूरे विश्व में व्यवसाय नम्बर वन माना जाता है। इसके लिए अगर सोचें तो धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन का दुरूपयोग होता रहा है। करोड़ों रुपया सुलभ इण्टरनेशनल को दिया गया, करोड़ों रुपया रचनात्मक संस्थान को दिया गया है। यह सुलभ इण्टरनेशनल और रचनात्मक संस्थान कहाँ–कहाँ बने हैं, उनका उपयोग हो रहा है या नहीं या अधूरे पड़े हैं। अगर यह पर्यटन परिषद् होता तो इस धन का इस प्रकार से दुरूपयोग नहीं होता। हम यह इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा सब हमारे सामने देखा गया, पर अब हम इन चीजों का रिपीटेशन नहीं चाहते हैं। उत्तरांचल में पर्यटन व्यवसाय के लिए जो भी धन आवंटित होगा, वो धन पर्यटन व्यवसाय में लगे और पर्यटन व्यवसाय को ही मिले इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हमने यह परिषद् बनाने का प्रस्ताव बनाया। वित्त विभाग की अपनी कठिनाइयाँ होती हैं उनको सभी विभागों को कुछ न कुछ देना आवश्यक होता है और उनकी लिमिटेशन भी होती है।

मान्यवर, लोगों को राफ्टिंग के लिए लाइसेंस तो मिल जाता है लेकिन बिजली आदि अन्य सुविधाओं के लिए इन व्यवसायियों को जगह–जगह भटकना पड़ता है। इसका कोई न कोई समाधान निकलना चाहिए। पर्यटन विकास परिषद् के अन्दर हमने एकल मेज प्रणाली का सिद्धान्त बनाया है। सचिव, वित्त, सचिव, वन, सचिव, पर्यटन इसके निदेशक मण्डल में शामिल होंगे। निदेशक मण्डल की बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, वह सबके लिए मान्य होगा। इस तरह निवेशकों को, उद्यमियों को जगह–जगह भटकना नहीं पड़ेगा। पर्यटन के विकास के लिए पब्लिसिटी बहुत जरूरी है। पब्लिसिटी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हरिद्वार या हल्द्वानी में जैसे ही पर्यटन पहुँचे उन्हें इस बात का आभास हो जाए कि हम उत्तरांचल में हैं। कारगर अगर पब्लिसिटी पर पैसा खर्च करने का अधिकार परिषद् के ही पास होना चाहिए। अगर यह अधिकार हमारे पास नहीं होगा तो यह सब कर पाने में हम सफल नहीं होंगे। उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे मन में जो भावना है, वह इस परिषद् के रूप में हमारे सामने आयी है। यह परिषद् स्ववित्तशासी निगम नहीं होगा, बल्कि निगम को कंट्रोल करने वाली एक संस्था होगी। मुझे इसका अध्यक्ष बनने की कोई लालसा नहीं है, वह तो कागजों में आ गया है, मैं मंत्री के रूप में ही खुश हूँ। इस परिषद् में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जो अपने–अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके होंगे, इनको वेतन नहीं दिया जाएगा।

मान्यवर, इनको वेतन नहीं दिया जायेगा, जब ये लोग बैठकों में आएंगे तो इन्हें भत्ता आदि दिया जायेगा। इसमें अतिरिक्त व्ययभार भी नहीं होगा। इनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। कार्यशैली हमारी यही होगी कि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने की रणनीति सही होनी चाहिए। हमें यह निर्णय करना है कि योजना किस प्रकार की बनाई जाये।

विशेषकर निजी क्षेत्र को उत्तरांचल के पर्यटन व्यवसाय में लाने के लिए क्या प्रयास किया जाये। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र से कोई ऑफर नहीं आया है। लेकिन हमारी आदत नहीं है कि हम अपने किये की डुगडुगी बजाएं। जिस दिन यह काम मूर्त ले लेगा आप स्वयं हमारी प्रशंसा करेंगे। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूँ कि हमारे विपक्ष के सभी साथी जो अपने आप में बहुत विद्वान हैं, विद्वता में एक से बढ़कर एक हैं अपना प्रवर समिति वाला प्रस्ताव वापस ले लेंगे, ताकि परिषद् का गठन हो जाय।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण। सौभाग्य से आप इस समय पर्यटन के साथ–साथ लोक निर्माण विभाग के भी प्रभारी हैं। जो मैंने कैनेक्टिविटी और सड़क नहीं बल्कि क्वालिटी रोड की बात की, उसमें सीधा सम्बन्ध है। जितने हिल स्टेशन हैं, वहाँ सड़कें एक टनल में तब्दील होती जा रही हैं। रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट आपके पास कोई एक कानून है, उसमें यदि जरूरत हो तो उसे और इम्प्रूव कीजिए, उसे और सशक्त बनाईये, लेकिन हमने नहीं देखा कि इस एक्ट का कहीं कोई इस्तेमाल हुआ हो। हालत यह है कि सड़कों में मकान बन जाते हैं, सड़कें कहाँ जाएं? इसके बारे में यदि आप स्पष्ट कार्यवाही का आश्वासन दें। इसके बिना कोई बात सोचना बेकार है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, अभी मुझे 10–12 दिन ही हुए हैं लोक निर्माण विभाग लिए हुए और उस पर भी मेरे सचिव महोदय, उनकी कुछ परेशानी है वे भी नहीं आ जाये और न मेरे पास चीफ इंजीनियर है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे काम मिल गया और मैं कुछ ऐसा काम कर पाऊँगा जो पर्यटन व्यवसाय के लिए आवश्यक है। रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट भी उनमें से एक है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–21, तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक–2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 2001)

प्रारम्भिक

"उत्तरांचल में नियमित रूप से पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने हेतु अधिनियम"

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है :–

अध्याय–एक

1–संक्षिप्त नाम/विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

1. (2) यह अधिनियम ऐसे दिनाँक से प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एतदर्थ नियत करें।

1. (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

2–परिभाषायें

इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

2. (1) "परिषद्" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् से है।

2. (2) 'आय–व्ययक' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद् की आगणित प्राप्तियों व व्यय से है।

2. (3) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है।

2. (4) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य परिषद् के उपाध्यक्ष से है।

2. (5) 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' का तात्पर्य परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है तथा 'अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का तात्पर्य परिषद् के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी' से है।

2. (6) 'वित्तीय वर्ष' का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिवस से शुरू होने वाले 12 महीनों की अवधि से है।

2. (7) 'कोष' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत उद्ग्रहीत पर्यटन कोष से है।

2. (8) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है।

2. (9) 'पर्यटन व्यवसाय' का तात्पर्य निम्नलिखित में से समस्त अथवा किसी एक कार्य से है :–

2.9 (क) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सुविधायें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हों।

2.9 (ख) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों को परिवहन, आवासीय तथा भ्रमण या गाइड जैसी सुविधायें प्रदान की जा रही हों।

2.9 (ग) कोई भी व्यवसाय जिसके द्वारा पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से पर्यटन सम्बन्धी उत्पादों का व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्य अन्तर्निहित हो यथा उत्तरांचल में बनने वाला हस्तशिल्प, सोविनियर सामग्री आदि।

2.9 (घ) कोई भी अन्य अनुबन्ध समारोह, रैस्टोरेन्ट, मनोरंजन पार्क, रज्जूमार्ग, प्रदर्शनी, मेले, प्रचार अभियान या थीम पार्क आदि जिसके द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पर्यटकों को लाभ मिले या उत्तरांचल में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

3—परिषद् का गठन, समावेश तथा संरचना

3. (1) उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् का गठन किया जायेगा जो कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् कहलायेगी।

3. (2) परिषद् का कार्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित स्थान पर अवस्थित होगा।

3. (3) इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यह परिषद् एक निरन्तर चलने वाले संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी शक्तियों सहित सर्व मुद्रा होगी।

3.3 (क) चल–अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करके एवं बेचने का अधिकार होगा।

3.3 (ख) किसी भी प्रकार का अभियोग परिषद् के नाम अथवा परिषद् द्वारा ही चलाया जायेगा।

3.3 (ग) ऐसे अन्य नियमों का क्रियान्वयन जो कि संगठन द्वारा कानूनी तौर पर समय–समय में किये जायेंगे।

3.4 परिषद् की संरचना निम्नवत् होगी :–

3.4 (क) पर्यटन मंत्री, उत्तरांचल शासन	पदेन अध्यक्ष
3.4 (ख) मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन	पदेन उपाध्यक्ष
3.4 (ग) सचिव पर्यटन, उत्तरांचल शासन	पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.4 (घ) संरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य–सचिव
3.4 (ङ) सचिव वित्त, वन, ऊर्जा, लो0नि0वि0, परिवहन एवं नियोजन	पदेन सदस्य
3.4 (च) राज्य सरकार द्वारा नामित 5 गैर सरकारी सदस्य जो कि पर्यटन व्यवसाय एवं उद्योग में विशेष योग्यता रखते हों	सदस्य

4–सदस्य अयोग्य घोषित करना

कोई भी व्यक्ति परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता है यदि वह :–

4. (1) राज्य सरकार की राय में किसी नैतिक अक्षमता के आरोप में दोषी पाया जाता है।

4. (2) दिवालिया घोषित किया गया हो।

4. (3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो।

4. (4) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा या किसी साझेदार, नियोक्ता, कर्मचारी के माध्यम से किसी ठेके या व्यवसाय में कोई हिस्सेदारी या वित्तीय सहभागिता न हो जिसके साथ परिषद् का सम्बन्ध हो।

4. (5) उत्तरांचल राज्य के अधीन किसी भी कम्पनी व्यवसाय या समिति में निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या किसी अन्य पद पर हो जिसका परिषद् के साथ कोई व्यवसायिक सम्बन्ध है।

स्पष्टीकरण–किसी भी व्यक्ति का जो कि किसी ऐसी कम्पनी या व्यवसाय को अंशभागी जिसका परिषद् के साथ कोई व्यवसायिक सम्बन्ध है, को केवल इसी कारण अयोग्य घोषित किया जा सका है।

5–गैर सरकारी सदस्य एवं निजी क्षेत्र के निदेशकों का कार्यकाल–

5. (1) किसी भी गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा बशर्ते कि उसका कार्यकाल उत्तरांचल शासन द्वारा अधिसूचना के द्वारा गजट के माध्यम से पूर्व में ही समाप्त न कर दिया गया हो।

5. (2) गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा त्याग–पत्र स्वीकृति की दशा में उनकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

6–गैर सरकारी सदस्य एवं निजी क्षेत्र के निदेशकों के लिये पारिश्रमिक एवं भत्ते आदि–

6. (1) गैर सरकारी सदस्यों को परिषद् की गतिविधियों में भाग लेने पर परिषद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक एवं भत्ते देय होंगे।

अध्याय–दो

परिषद् के अधिकार एवं कार्य

7–परिषद् के कार्य–

1–परिषद् के कार्य निम्नवत् होंगे–

1. (1) उत्तरांचल में पर्यटन के विकास हेतु नीतियाँ/रणनीतियाँ तैयार करना।

1. (2) पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं को राज्य में विकसित एवं सुदृढ़ करने जिसमें पर्यटन विकास क्षेत्र का गठन सम्मिलित है, हेतु दिशा–निर्देश एवं योजना तैयार करना।

1. (3) पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों का चिन्हीकरण, परियोजनाओं का विकास एवं उनको समयबद्ध रूप से लागू करने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करना।

1. (4) पर्यटन गतिविधियों हेतु विभिन्न नियम मानक व नीतिगत दिशा निर्देश निर्धारित करना।

1. (5) पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु योजना तैयार करना।

2. (1) परिषद् उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाओं का सृजन तथा सुधार करेगी एवं उत्तरांचल को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा।

2. (2) पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायों एवं गतिविधियों हेतु नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

2. (3) उत्तरांचल में पर्यटकों को आकर्षित तथा उत्तरांचल एवं बाहर पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परिषद् द्वारा देश एवं विदेश में इसके प्रचार–प्रसार हेतु प्रयास किया जायेगा।

(3) परिषद् पृथक–पृथक समितियों का गठन करेगी जिसमें विषय विशेषज्ञ होंगे। जो कि उपलब्ध संसाधनों का आंकलन, विकास योजनाओं को तैयार करेंगे और पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों हेतु गुणवत्ता सुरक्षा एवं अन्य मानकों का निर्धारण भी करेंगे। ऐसी समितियों के गठन हेतु परिषद् द्वारा शर्तें निर्धारित की जायेंगी।

(4) परिषद् पर्यटन परियोजनाओं नियोजन, कार्यान्वयन एवं परिक्षण हेतु विशेषज्ञों एवं कन्सलटैन्ट परामर्शदाताओं एजेन्सियों की सेवायें प्राप्त कर सकता है।

(5) उत्तरांचल के समस्त धार्मिक पर्यटक स्थलों यथा श्री बद्रीनाथ जी–केदारनाथ जी के उच्च स्तरीय संचालन हेतु परिषद मार्ग निर्देश गठित करेगी तथा नीति विषयक मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।

(6) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य पर्यटन गतिविधि को संचालित करना।

8–परिषद् की शक्तियाँ–

(1) इस अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् एक नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित परिषद् ऐसी गतिविधियाँ जो कि परिषद् के कार्य को सम्पादित करने में लाभकारी आवश्यक अथवा सुगम हो का प्रयोग किया जायेगा और परिषद् द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

2. (क) पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों हेतु नियमों एवं मानकों का गठन पालन करना।

2. (ख) पर्यटन से सम्बन्धित व्यवसायों तथा संस्थाओं का पंजीकरण, अनुज्ञा–पत्र, मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे और उनसे इस प्रकार के कार्य की अनुज्ञा हेतु जो शुल्क इत्यादि प्राप्त किये जायेंगे उनके लिये शर्तें तैयार करना।

2. (ग) कोई भी चल एवं अचल सम्पत्तियाँ, जो परिषद् की है उसको परिषद् उपयुक्तता के आधार पर क्रय करना, रोकना, बन्धक रखना, किसी के नाम स्थानान्तरित करना, प्रयोग हेतु अधिकृत करना, अभिलेख जमा करना, मृत्यु उपरान्त स्वामित्व नामांकन करना निस्तारण करना इत्यादि परिषद् हित में कर सकता है।

2. (घ) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिषद् किसी के साथ अनुबन्ध अथवा समझौता कर सकता है।

2. (ङ) परिषद् किसी भी सेवा के बदले शुल्क अथवा भुगतान जो परिषद् तय करेगी को प्राप्त कर सकता है।

2. (च) परिषद् अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग जो उसको प्रदत्त हैं एवं जो नियमय परिषद् हित में हैं या जो शासन द्वारा परिषद् को प्रदान किये गये हैं उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।

2. (छ) परिषद् के चिन्ह का निर्धारण करना।

9–मुख्य कार्यकारी अधिकारी–

9. (1) परिषद् का समस्त कार्य इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

9. (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

9.3–मुख्य कार्यकारी अधिकारी–

9.3 (क) परिषद् के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय कार्य का सम्पादन करेगा।

9.3 (ख) परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

9.4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अस्थाई रूप से अनुपस्थित अथवा अस्थाई रूप से बीमार रहने या अन्य कारण से अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की दशा में परिषद् अथवा शासन द्वारा ऐसे दिवसों में कार्य हेतु किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

10–अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी–

10. (1) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य–सचिव) की नियुक्ति उत्तरांचल शासन द्वारा की जायेगी।

10. (2) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य–सचिव) परिषद् के सदस्य सचिव भी होंगे।

11–अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति–

11. (1) परिषद् समय–समय पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निहित सेवा शर्तों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी।

11. (2) वर्तमान में पर्यटन विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी सेवायें पर्यटन परिषद् में संविलीन होंगी वे यथावत सरकारी सेवक बने रहेंगे तथा राजकीय सेवा नियमावली के अनुरूप कार्यरत रहेंगे उनको शासन द्वारा समय–समय

पर सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले समस्त लाभ तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों को मिलने वाले लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण इत्यादि शासन द्वारा वहन किये जाते रहेंगे।

11. (3) परिषद् को अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य सरकारी विभागों / निगमों / संस्थानों व अन्य अधिष्ठानों से नियुक्ति का अधिकार होगा।

12–समितियों की नियुक्ति तथा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण–

12. (1) परिषद् समय–समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद् द्वारा गठित समिति को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त अधिकार / कर्तव्य व शक्तियों के प्रयोग हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुये परिषद् की तरफ से प्रयोग करने हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इस प्रकार की गठित समिति को अधिकृत कर सकती है (जैसी स्थिति हो)।

12. (2) इस अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुये यदि कोई अधिकार अथवा कर्तव्य या शक्ति किसी को परिषद् प्रदान करती है और यदि परिषद् शक्तियों के विकेन्द्रीकरण को उचित न मानते हुये वापस नहीं ले सकती है।

13–परिषद् की आय–व्ययक व्यवस्था–

13. (1) परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष आगणित प्राप्तियों एवं व्यय का एक वित्तीय प्रपत्र उस वर्ष के लिये तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। परिषद् अनुपूरक माँगों के सम्बन्ध में भी प्रपत्र शासन को यथा समय प्रस्तुत करेगी।

13. (2) वार्षिक आय–व्ययक विवरण व अनुपूरक माँगों को नियमानुसार तैयार कर निर्धारित समय सीमा में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

13.3 (क) राज्य सरकार वार्षिक आय–व्ययक अथवा नियमानुसार अनुपूरक माँगों को सम्पूर्ण रूप से अथवा संशोधित जो भी उपयुक्त हो, पर अनुमोदन प्रदान करेगी।

13.3 (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक आय–व्ययक अथवा अनुपूरक माँगों को परिषद् उस वर्ष का वार्षिक आय–व्ययक अथवा अनुपूरक माँगों के रूप में उपयोग करेगी।

13.4 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिषद् को अधिनियम के अन्तर्गत वहन हेतु धनराशि जो उस वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक होगी, को अनुदान, ऋण इत्यादि के रूप में देगी।

13.5 राज्य सरकार द्वारा जारी सामान्य एवं विशेष दिशा–निर्देशों के अनुपालन में परिषद् वार्षिक आय–व्ययक प्रपत्र तथा अनुपूरक वित्तीय प्रपत्र के अनुरूप स्वीकृतियों का पुनर्विनियोग एक लेखा शीर्षक से दूसरे लेखाशीर्षक में हस्तान्तरित किया जा सकता है।

14–पर्यटन कोष की स्थापना एवं प्रशासन–

14. (1) परिषद् एक कोष की स्थापना करेगी जिसका नाम 'पर्यटन कोष' होगा जिसका नियंत्रण एवं प्रशासन परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

14. (2) समस्त धनराशि जो भी परिषद् को अथवा परिषद् के नाम पर प्राप्त होगी, को पर्यटन कोष में जमा किया जायेगा।

14. (3) परिषद्, अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय–समय पर पर्यटन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों से आवश्यकतानुसार ऋण, अनुदान, चन्दा, दान, उपहार आदि, शुल्क, कर, उपकर इत्यादि प्राप्त करेगा।

14. (4) कोष निम्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग में लाया जायेगा :–

14.4 (1) परिषद् के प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु।

14.4 (2) अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले समस्त व्यय।

15–लेखा एवं सम्परीक्षा–

15. (1) परिषद् अपने लेखा सम्बन्धी समस्त पुस्तकों एवं अभिलेखों जो परिषद् के कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक है, का उपयोग एवं रख–रखाव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत करेगी, जैसा कि शासकीय गजट में अधिसूचित किया गया हो।

15. (2) परिषद् प्रतिवर्ष वार्षिक लेखाबन्दी पर एक वार्षिक लेखा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार तैयार करेगी और उनका वार्षिक सम्प्रेक्षण करायेगा।

15. (3) परिषद् की सम्परीक्षा महालेखाकार, उत्तरांचल अथवा उनके स्थान पर उनके द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15. (4) परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक सम्परीक्षा आख्या तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

16–वार्षिक आख्या–

16. (1) प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैसा सम्भव होगा, परन्तु 30 सितम्बर के पूर्व ही एक वार्षिक लेखा आख्या व सम्परीक्षा आख्या उस वित्तीय वर्ष की राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

16. (2) शासन जैसे ही सम्भव होगा उक्त आख्या को विधान सभा में सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगा।

अध्याय–3

विविध–प्राविधान

17–अभियोग एवं न्यायिक कार्यवाही–

17. (1) अध्यक्ष परिषद् के नियंत्रण के अधीन परिषद् की तरफ से निम्नाँकित कार्य कर सकता है :–

17.1 (1) वह परिषद् की तरफ से न्यायिक कार्यवाही कर सकता है। किसी को दोषमुक्त कर सकता है, किसी के विरुद्ध चल रही न्यायिक कार्यवाही को वापस ले सकता है।

17.1 (2) वह किसी भी दावे को स्वीकार कर सकता है, किसी के साथ समझौता कर सकता है अथवा किसी दावे को वापस भी कर सकता है।

17.2. कोई भी अभियोग मुकदमा किसी भी रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्याधिकारी या किसी सदस्य, परिषद् में कार्यरत अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से नहीं चलाया जा सकता है।

18—परिषद् के चिन्ह का प्रयोग—

18. (1) कोई भी व्यक्ति जो परिषद् के बिना अनुमति के परिषद् के प्रतीक का प्रयोग करता है अथवा परिषद् के प्रतीक से लगभग मिलते—जुलते प्रतीक का प्रयोग करता है जिससे किसी भी तरह का भ्रम पैदा होने की सम्भावना हो, एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा और रु0 50,000/— (रु0 पचास हजार मात्र) तक अधिकतम दण्ड उससे वसूल किया जा सकता है। इसके पश्चात् भी यदि लगातार उक्त की पुनरावृत्ति होती है तो पुनः अधिकतम रु0 1,000/— (रु0 एक हजार मात्र) तक प्रतिदिन के दर से जिस दिन से प्रथम बार उक्त अपराध किया गया है गिनते हुये दण्ड लगाया जा सकता है।

19—कार्य प्रणाली—

19. (1) परिषद् अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से प्राप्त किसी शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होने पर ही कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

19. (2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यून न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

20—नियम एवं व्यवस्था—

20. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार परिषद् के सुसंचालन हेतु नियम विहित कर सकेगी।

20. (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिषद् के सुसंचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये नियमों के क्रम में परिषद् विनियमन बना सकती है।

20. (3) सर्वसाधारण को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप धारा (1) में निम्न विनियमन उपबंधित किये जा सकते हैं :—

20.3 (1) परिषद् की बैठकें आयोजित करने, बैठकों में व्यवहृत की जाने वाली प्रक्रिया विहित करने तथा समय—समय पर बैठकें आयोजित करने सम्बन्धी;

20.3 (2) नियुक्ति अथवा परिषद् के सदस्यों में से समितियों की स्थापना तथा परिषद् के सदस्यों से इतर व्यक्तियों से ऐसी समितियां सहयोजित करना;

20.3 (3) परिषद् की ओर से अभिलेखों, चैकों एवं किसी प्रकार के लिखतों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करना अथवा निष्पादन करना।

21—परिषद् का विघटन—

21. (1) यदि राज्य सरकार की राय में परिषद इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों को संचालित करने में विफल हो गई है अथवा किसी भी अन्य कारण से परिषद् को आगे चलाना आवश्यक नहीं है, ऐसी दशा में गजट में अधिसूचना के माध्यम से परिषद के विघटन की अधिसूचना जारी की जा सकती है तथा अधिसूचना में उल्लिखित तिथि से परिषद् का विघटन माना जायेगा।

21. (2) उक्त अधिसूचना की धारा 22 (1) द्वारा परिषद के विघटन के प्रकाशन के सन्दर्भ में :–

21.2 (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद के सभी सदस्य परिषद के विघटन की तिथि से अपना पदभार छोड़ देंगे।

21.2 (2) इस अधिनियम के अधीन परिषद अथवा परिषद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयुक्त/पालन किये जाने वाली समस्त शक्तियाँ और कार्य परिषद के विघटन की तिथि से राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रयुक्त/पालन किये जायेंगे कि उसके और अस्तित्वयुक्त संविदाओं, करारों तथा अन्य लिखत जिसमें परिषद पक्षकार है अथवा जो परिषद के पक्ष में है प्रवर्तनीय होगी अथवा क्रियान्वित होगी और समस्त पक्ष और विरुद्ध लम्बित वाद, अपीलें तथा समस्त विधिक कार्यवाहियाँ यथावत् राज्य सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जैसा हो, के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

21.2 (3) परिषद में निहित कोष एवं अन्य सम्पत्तियाँ राज्य सरकार में निहित मानी जायेंगी, और

21.2 (4) परिषद के विरुद्ध प्रवर्तनीय विधिक अस्तित्वयुक्त समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय माने जायेंगे।

21. (3) धारा 21 (1) अथवा 21 (2) में किसी बात के होते हुये राज्य सरकार किसी भी समय अधिनियम की धारा 3 के अधीन परिषद की स्थापना कर सकती है, तब;

21.3 (1) धारा 21.2 (2) में निहित अधिकार और कर्तव्यों के साथ ही साथ समस्त शक्तियाँ और कार्य संविदा, करार तथा अन्य लिखत और वाद अपीलें एवं अन्य विधिक कार्यवाहियाँ परिषद में पुनः निहित हो जायेंगी।

21.3 (2) धारा 21.2 (3) में वर्णित कोष तथा अन्य सम्पतियाँ, राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त दायित्व धारा 21.2 (4) के अधीन पुनः परिषद में निहित हो जायेंगे।

UTTARANCHAL TOURISM DEVELOPMENT BOARD BILL--2001

[Uttaranchal Act No. .... of 2001]

(As passed by the Uttarancal legislature)

PREAMBLE

"An Act to promote Tourism activities in the State of Uttaranchal in a regulated manner."

It is hereby enacted in the Fifty second year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER--1

1. Short title/Extent/Commencement--

1. (1) This Act may be called Uttaranchal Tourism Development Board Act, 2001".

1. (2) This Act shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint in that behalf.

1. (3) It extends to the whole of Uttaranchal.

2. Definitions--

In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context otherwise requires :--

2. (1) 'Board' means the Uttaranchal Tourism Development Board established under section 3 of this Act;

2. (2) 'Budget' means a statement of the estimated receipts and expenditure of the Board in respect of each financial year as provided for in section 13 of this Act;

2. (3) 'Chairman' means the Chairman of the Board;

2. (4) 'Vice Chairman' means the Vice Chairman of the Board;

2. (5) 'Chief Executive Officer' means the Chief Executive of the Board and 'Additional Chief Executive Officer' means the Additional Chief Executive Officer of the Board;

2. (6) 'Financial Year' means a period of 12 months beginning on first of April;

2. (7) 'Fund' means the Tourism Fund established under section 14 of this Act;

2. (8) 'State' means the State of Uttaranchal;

2. (9) 'Tourism enterprises' means all or any of the following :--

2.9 (1) Any business which provides national or international carriage for passengers;

2.9 (2) Any business which, either wholly or in part, provides or arranges services for visitors in Uttaranchal by way of transport, accommodation, tours of guides, whether or not such services are provided within or outside Uttaranchal;

2.9 (3) Any business which either wholly or in a part, distributes for the purpose of trade or retails tourism-related products such as handicrafts, souvenirs etc. made in the State of Uttaranchal;

2.9 (4) Any other undertaking, including any convention centres, restaurants, amusement parks, ropeways, exhibitions, shows, fairs, publicity campaigns or theme parks etc., intended wholly or in part for the benefit of or for the purpose of attracting visitors to Uttaranchal.

3. Establishment, Incorporation and Constitution of the Board--

3. (1) The Government of Uttaranchal shall, by notification in official gazette, establish a body in accordance with the provisions of this Act, which shall be called the Uttaranchal Tourism Development Board.

3. (2) The office of the Board shall be located at a place to be notified by the State Government in the official Gazette.

3. (3) The Board shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal with powers, subject to the provisions of this Act;

3.3 (1) to acquire and dispose of property both movable and immovable;

3.3 (2) to sue and be sued in its name;

3.3 (3) to perform such other acts as bodies corporate may by law perform.

3.4 The Board shall consist of : -

Official Members :

3.4 (1) A Chairman who shall be the Minister of Tourism, Government of Uttaranchal, ex-officio.

3.4 (2) A Vice-Chairman who shall be the Chief Secretary, Government of Uttaranchal, ex-officio.

3.4 (3) A Chief Executive Officer who shall also be ex-officio Secretary Tourism, Government of Uttaranchal;

3.4 (4) An Additional Chief Executive Officer appointed by the Government who shall be Member-Secretary of the Board.

3.4 (5) Secretary Finance, Secretary Forest, Secretary, P.W.D., Secretary, Power, Secretary, Urban Development, Secretary, Transport and Secretary, Planning shall be ex-officio members of the Board.

3.4 (6) Five non-official members having expertise and experience in fields related to the tourism trade and industry, to be appointed by the State Government.

4. Disqualification for being a member--

A person shall be disqualified for being appointed as a member of the Board if he or she :--

4. (1) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;

4. (2) is an undischarged insolvent;

4. (3) is of unsound mind and has been so declared by a competent court;

4. (4) has directly, or indirectly, by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of the Board; or

4. (5) is a Director, a Secretary, a Manager, or other officer of any company, business establishment or other society in the State of Uttaranchal which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board.

Explanation--A person shall not be deemed to have any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board by reason only of his being a shareholder of a company, business establishment or other society which has such share or interest.

5. Term of office of non-official members & directors from the private sector--

5. (1) A Non-official member of the Board shall hold office for a period of one year at a time, renewable, by the State Government.

5. (2) A Non-official member may at any time, in writing under his hand addressed to the State Government resign his office and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

6. Remuneration/Allowances etc. of the non-official members--

6. (1) The non-official members of the Board shall be entitled to such allowances and remunerations for their participation in the activities of the Board as may be prescribed by the Board.

CHAPTER--II

FUNCTIONS AND POWERS OF THE BOARD

7. Functions of board--

7. (1) The functions of the Board will be as under :--

7.1 (1) Formulation of policies and strategies for development of tourism in Uttaranchal;

7.1 (2) Preparation of plans for developing and strengthening tourism related infrastructure in the State ensuring inter-departmental coordination;

7.1 (3) Preparation of plans for various tourism segments and activities, identification and development of projects and ensuring their timely implementation;

7.1 (4) Formulation of standards, norms and policy guidelines for various tourism related activities;

7.1 (5) Formulation of a strategy for mobilizing private sector participation and investments in the tourism sector; and

7.2 (1) Engage in, assist and or promote the improvement of facilities for visitors to Uttaranchal and the development of Uttaranchal as a global tourist destination;

7.2 (2) Function as a regulatory and licensing Authority in respect of various tourism related enterprises and activities;

7.2 (3) Undertake to promote publicity and marketing of tourism, within India and abroad, with a view to attracting tourists to Uttaranchal, and to this end also organize, and participate in, tourism-related projects both within and outside Uttaranchal;

7.3 The Board may appoint separate Committees, consisting of subject-specialists to study the existing resources, prepare development schemes and set quality, safety and other standards in different areas of tourism.

7.4 The Board may requisition the services of specialist and consultancy agencies for planning, implementation and evaluation of tourism projects on such terms and conditions as it may deem appropriate.

7.5 To carry out any other tourism related activities which may be considered necessary for the promotion and development of tourism in Uttaranchal.

8. Powers of board--

8. (1) The Board shall function as a Regulatory and Licensing Authority, subject to the provisions of this Act.

8. (2) The Board may carry on such activities which may appear to the Board as advantageous, necessary or convenient in the discharge for its functions under this Act and in particular, the Board may exercise the following powers;

8.2 (1) establish regulations and standards for different tourism-related-activities and enterprises;

8.2 (2) register, license, recognize, certify and provide accredition to tourism-related enterprices and institutions and to prescribe the conditions under which the same may be granted and the fees which may be levied for such registrations, licenses, recognition, certification and accredition;

8.2 (3) acquire, take on lease, hire, hold or enjoy movable and immovable property and to convey, assign, surrender, charge, mortgage, demise, transfer or otherwise, dispose of or deal with, any movable or immovable property belonging to the Board upon such terms as the Board considers fit;

8.2 (4) enter into any contracts or agreements for carrying out the purposes of this Act;

8.2 (5) receive, in consideration of the services rendered by the Board, such fees or payment as may be agreed upon;

8.2 (6) exercise all powers and perform all duties which under any other law, or may be vested in or delegated to the Board by the Government.

82. (7) determine the symbol of the Board.

9. Chief-Executive Officer--

9. (1) The Board shall carry out the purpose of the Act through its Chief Executive Officer.

9. (2) The Chief Executive Officer shall be appointed by Government of Uttaranchal.

9. (3) The Chief Executive Officer shall :--

9.3 (1) be responsible to the Board for the proper administration and management of the functions and affairs and the Board in accordance with the policy laid down by the Board/Government and act as the Head of the Department, and

9.3 (2) exercise such financial power as may be decided by the Board.

9.4 If the Chief Executive Officer is temporarily absent or temporarily incapacitated by reason of illness or for any other reason is temporarily unable to perform his duties, a person may be appointed by the Board/Government to act in the place of the Chief Executive Officer during such period of absence from duty.

10. Additional Chief Executive Officer (Member Secretary)--

10. (1) The Additional Chief Executive Officer (Member Secretary) shall be appointed by Government of Uttaranchal.

10. (2) The Additional Chief Executive Officer shall also be Member Secretary of the Board.

11. Officers and employees--

11. (1) The Board may from time to time appoint and employ such officers and employees as may be necessary for the purposes of this Act on terms and conditions which may be prescribed by regulations made under this Act.

11. (2) The officers and employees working in Department of Tourism who shall be merged in the Tourism Board will be governed by the Government servant service Rules and their post retirement benefits i.e. pension, leave encashment, gratuity etc. shall be borne by the Government.

11. (3) The Board may also take services of officers/employees of other Government departments/Corporations/Institutes or other establishments on deputation basis.

12. Delegation of powers--

12. (1) The Board may, from time to time impose, delegate to the Chairman, Vice-Chairman, Chief Executive Officer or any committee appointed by it, anyof the functions, duties and powers vested in the Board by or under this Act and any power, function or duty so delegated may be exercised or performed by the Chiarman, Vice-Chairman, Chief Executive or such Committee, as the case may be in the name and on behalf of the Board.

12. (2) Notwithstanding the delegation of any power, function or duty under this Section, the Board shall not cease to have such power conferred upon it under this Act.

13. Budget and financies of the board--

13. (1) The Board shall in respect of each financial year prepare a statement of the estimated receipts and expenditure of the Board for that year, in the form of an annual financial statement. The Board may also prepare supplementary financial statements during the course of the financial year as may be necessary.

13. (2) The annual financial statement and supplementary financial statement prepared by the Board under this Section shall be submitted to the State Government by such time as may be prescribed by the State Government.

13. (3) The State Government shall from time to time provide to the Board for purposes of this Act such amounts as may be deemed necessary for each financial year by way of grants-in-aid, loans, etc.

13. (4) The Board may, within the limits of the annual financial statement or the supplementary financial statement sanction re-appropriation from one head of expenditure to another, subject to such general or specific guidelines as may be issued by the State Government.

14. Establishment and administration of tourism fund--

14. (1) The Board shall cause to be established a fund called "Tourism Fund" which shall be controlled and administered by the Board in such manner as may be prescribed by the State Government.

14. (2) All monies received by or in behalf of the Board shall be credited to the Tourism Fund.

14. (3) The Board may for purposes of the Act raise loans, accept grants, contributions, donations, subventions and gifts, and levy such charges and fees for tourism related activities as it consider necessary for the purpose of the Act.

14. (4) The Fund shall be devoted to the following purposes :--

14. 4 (1) The payment of the expenses connected with the administration of the Board; and

14.4 (2) The payment of all expenses necessary for carrying out the purpose of this Act.

15. Accounts and audit--

15. (1) The Board shall cause to be maintained such books of accounts and other records in relation to its functions in such form and in such manner as may be prescribed by the State Government through notification in official Gazette.

15. (2) The Board shall, as soon as may be after the closing of its annual accounts, prepare an annual statement of accounts in such form and in such manner as may be prescribed by the State Government and these accounts will be subject to an annual audit.

15. (3) The accounts of the Board shall be audited by the Accountant General, Uttaranchal or any officer authorized by him on his behalf.

15. (4) The Board shall in respect of every financial year cause to be prepared an Audit Report which shall be submitted by the Board to the State Government.

16. Annual Report--

16. (1) The Board shall, as soon as practicable, after the close of each financial year, but not later than 30th September of each year prepare an Annual Report of its activities and submit it to the Government along with the audit report for the said financial year.

16. (2) The Government, shall, as soon as practicable, lay the reports before the Legislative Assembly of Uttaranchal.

CHAPTER--III

MISCELLANEOUS PROVISIONS

17. Suits and legal proceedings--

17. (1) The Chairman or the Chief Executive Officer may, on behalf of the Board and subject to its directions :--

17.1 (1) Institute, defend, or withdraw from any legal proceedings, and

17.1 (2) Admit, Compromise or withdraw any claim.

17. (2) No suit shall be instituted against the Chairman, the Vice-Chairman, the Chief Executive Officer or any member, officer or employee of the Board in his personal capacity in respect of any act done or purported or intended to have been done under this Act.

18. Use of symbol of the board--

18. (1) Any person who without the permission of the Board, uses the symbol of the Board, or any representation so nearly resembling the symbol of the Board, as to cause confusion in relation to it, will be liable to suspension/cancellation of license and/or shall be punishable with fine which may extend to Rs. Fifty thousand and in case of continuing offence with further fine which may extend to One thousand for everday during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

19. Procedure--

19. (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on the complaint of, or upon information received from, the Board or any officer of the Board duly authorized in this behalf.

19. (2) No court inferior to that of a magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

20. Rules and regulations--

20. (1) The State Government shall make rules for carrying out the provisions of this Act.

20. (2) The Board may make regulations with respect to the rules made by the State Government and for carrying out the provisions of this Act.

20. (3) Without prejudice to the generality of sub-section (1) such regulation may provide for :--

20.3 (1) The convening of meetings of the Board, the procedure to be followed at the meetings and the periodicity of these meetings.

20.3 (2) The appointment or establishment of Committees from members of the Board and the co-opting of persons other than members of the Board to such Committees; and.

20.3 (3) The manner in which documents, cheques and instruments of any description shall be signed or executed on behalf of the Board.

21. Dissolution of the Board--

21. (1) If the State Government is of opinion that the Board has failed to carry out the functions under this Act, or that for any other reason it is not necessary to continue the Board, it may, by notification in the Gazette, dissolve the Board from such date as may be specified in the notification.

21. (2) Upon the publication of a notification under section 22.1 dissolving the Board;

21.2 (1) The Chairman, the Vice-Chairman and all members of the Board shall, as from the date of dissolution, vacate their offices;

21.2 (2) All the powers and functions which may, by or under this Act, be exercised and performed by or on behalf of the Board shall, as from the date of dissolution, be exercised and performed, subject to the control of the State Government by such person or institution as it may specify in that behalf and all subsisting contracts, agreements and other instruments to which the Board is a party or which

are in favour of the Board may be enforced or acted upon, and all pending suits, appeals and other legal proceedings by or against, the Board may be continued, prosecuted or enforced by or against the State Goernment or such person or institution, as the case may be;

21.2 (3) The fund of and other properties vested in the Board shall vest in the State Government; and

21.2 (4) All liabilities, legally subsisting and enforceable against the Board, shall be enforceale against the State Government.

21. (3) Notwithstanding anything contained in section 21 (1) or section 21 (2), the State Government may, at any time, again establish a board under section 3, thereupon :--

21.3 (1) The powers and functions as well as the rights and liabilities in relation to contracts, agreements and other instruments and suits, appeals and other legal proceedings referred to in section 21.2 (2) shall re-vest in the Board;

21.3 (2) The fund and other properties referred to in section 21.2 (3) remaining with the State Government after meeting any liabilities referred to in section 21.2 (4) thereof shall re-vest in the Board.

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–21 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, विधेयक 2001 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद्, विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

हरिद्वार में वन गूजरों और दलितों के बीच हुए भीषण संघर्षों के संबंध में जानकारी

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी हरिद्वार में वन गुजरों और दलितों के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें एक वन गुजर की मौत हो गई और 11 घायल हो गये, इसकी जानकारी अधिकारियों से लेकर के जो भी उचित कार्यवाही हो, तत्काल की जाय।

मुख्यमंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, कार्यवाही मँगा रहा हूँ जो भी उचित कार्यवाही होगी, करा दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

वित्त मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" –

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि जो उ0प्र0 में विधेयक था उसी में जो संशोधन हुए थे, इसमें कई बार वित्त सचिव और माननीय वित्त मंत्री जी से भी वार्ता हुई थी कि जो उ0प्र0 के अधिनियम थे वह उत्तरांचल में भी यथास्थित लागू हो गये। कुछ ऐसे संशोधन थे कि जो उ0प्र0 ने उत्तरांचल गठन के पश्चात् किये,वे सम्भवतः यहाँ लागू नहीं थे। उनकी भरपाई करने के लिए उन संशोधनों को इसके माध्यम से लायें। एक चीनी का प्रकरण था कि हमारे चीनी के थोक व्यवसायी हैं वे उत्तर प्रदेश में स्थित मिलों से चीनी लाते हैं और उस पर जो हमारा कर होता है उसको मिल वाले जमा नहीं करते थे, जिससे व्यवसायी को कठिनाई होती थी, अपने यहां के जो आढ़ती हैं, व्यवसायी हैं उनसे ही वसूल करते थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया है। मेरे पास एक स्टेशनर्स और पेपर का मत आया है उन्होंने यह भी कहा है कि उ0प्र0 में जो व्यापार कर नीति है जो पेपर्स हैं उस पर 4% प्रवेश कर लगा दिया गया है। अब जो कागज से कापी बनाते हैं या और पुस्तकें बनाते हैं उसमें उ0प्र0 में कोई छूट नहीं दी गई है। जब इस पर माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो स्टेशनर्स का है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय ले लेंगे। इससे व्यापारियों की कठिनाइयों का निराकरण में सहायता मिलेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह उ0प्र0 में कर दिया गया है। अगर यह दिया गया है तो आप कागजों वाले पर विचार कर लें। कल मैंने व्यक्तिगत कहा था आज सदन में ला रहे हैं, तो इस पर विचार कर लें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, उ0प्र0 में कुछ आवश्यक संशोधन उत्तरांचल बनने के बाद हुए हमको भी कुछ कठिनाइयाँ उस संशोधन के बाद हुई। हम उत्तर प्रदेश के उस संशोधन के साथ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहाँ संशोधन लाये हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो है अभी तक चीनी पर जो प्रवेश कर 2% लगता था, जो खरीददार था उस पर लगाते थे। जैसा अभी अम्बरीष कुमार जी ने भी कहा। कई प्रकार की कठिनाइयों से हमको गुजरना पड़ता था। इसके माध्यम से हमने यह कर दिया कि चीनी मिल पर ही प्रारम्भिक स्तर पर वहीं काट लिया जाय, ताकि क्रेता को परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी बात जो कही गई कि कागज और स्टेशनर्स के संबंध में उस पर हम विचार करेंगे। मैं आभारी होऊँगा कि आपने इसका समर्थन किया।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उद्देश्य का कारण हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, माननीय मंत्री जी के द्वारा इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन किये हैं, वैसे ही इन संशोधनों को उत्तरांचल राज्य में लागू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि उनका अपना एक ऐक्ट है हमारी स्थिति और परिस्थिति उनसे भिन्न है तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पर विचार करें, जिससे हमारी जो स्थिति और परिस्थिति हैं, उनमें संशोधन हो सके और इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

डॉ० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में कहना चाहता हूँ कि उद्देश्य और कारण के साथ–साथ अन्य जो भी सम्भव होगा वह हम करेंगे और जो हमने इस ऐक्ट में किया है, उसमें हमने उत्तर प्रदेश से भिन्न संशोधन किया है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें, को वापिस लिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001" पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

(उत्तरांचल विधेयक संख्या सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता।

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 26–2–2001 एक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2–धारा 4 (1), 4 (3), 4 (6) में संशोधन–

(1) मूल अधिनियम की धारा 4 (1) व 4 (3) में "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" रख दिया जायेगा।

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 (1) में "विधान मंडल" के स्थान पर "विधान सभा" रख दिया जायेगा।

3–धारा 4–ए का अन्तःस्थापना–

मूल अधिनियम की धारा 4 के उपरान्त निम्न धारा 4 ए (1), (2), (3), (4) तथा (5) तथा विशेष उपबन्ध (1) व (2) अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे।

(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में की बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय। राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारक प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथाविहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा।

(3) जहां कोई विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को प्राप्त करने से इन्कार करता है या जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा उसके परिदान के पश्चात् और स्थानीय क्षेत्र में उसके

प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है, वहाँ वह यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति का जिसने उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान किया है, वापस कर दिया जायेगा :–

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने के दिनाँक से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसे वापसी के लिये किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) धारा 5 के उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति पर कर निर्धारण नहीं किया जायेगा या उससे कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व विनिर्माता को भुगतान किये गए कर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध : (1) जहां किसी व्यक्ति ने विनिर्माता को इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान कर दिया हो, वहाँ विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किए गये कर को ऐसे प्रारम्भ से एक माह के भीतर मूल अधिनियम के अधीन विहित रीति से जमा करेगा और कर निर्धारक को कर एवं उस माल के सम्बन्ध में जिसके लिये उसके द्वारा कर प्राप्त किया गया है, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जहाँ कोई विनिर्माता उपधारा (1) के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

4–धारा 7 (4) में संशोधन–

मूल अधिनियम में "उत्तर प्रदेश अधिनियम" के स्थान पर "उत्तरांचल अधिनियम" रख दिया जायेगा।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 as also applicable in the State of Uttaranchal is enacted to provide for the Levy and collection of tax on entry of certain goods into a local area for consumption, use or sale therein. With a view to ensuring the collection of tax under the said Act, amendments were made by the State of Uttar Pradesh in the said Act, therefore to enforce these amendments in the State of Uttaranchal, it is necessary to amend certain provisions in the Principal Act, to provide mainly for payment of entry tax, payable on such of the goods, specified in the schedule as may be notified by the State Government, by the manufacturer if the delivery of the goods is taken from the manufacturer within the State and such manufacturer shall receive the tax and deposit it in such manner and within such time as may be prescribed.

Dr. Ramesh Pokhriyal "Nishank"
Finance Minister,
Uttaranchal.

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS ACT (UTTARANCHAL AMENDMENT) BILL, 2001

(UTTARANCHAL Bill No. of 2001)

A

BILL

To amend the Uttar Pradesh Tax on entry of Goods Act, 2000

IT IS HERE BY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :--

1. Short title and commencement--

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on entry of Goods Act (Uttaranchal Amendment) Act, 2001.

2. It extends to the whole of Uttaranchal.

3. It shall come into force with effect from 26-2-2001.

2. Amendment of section 4 (1), 4 (3), 4 (6)--

Wherever in principal Act,

(1) the word "Uttaranchal" is substituted for the words "Uttar Pradesh" in section 4 (1) and 4 (3).

(2) the words "Assembly" is substituted for the words "Legislative" in section 4 (6).

3. In section of a new section 4A--

After section 4 of the principal Act section 4 A (1), (2), (3), (4) and (5) with specific provision shall be inserted namely :--

Realisation of tax through manufacturer :--

"4 A (1)--Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any person who intends to bring into a local area from any manufacturer within the State, such Goods, specified in the Schedule as may be notified by the State Government, shall, at the time of taking delivery of the Goods from the manufacturer, pay to the manufacturer the tax payable on entry of such goods into the local area and the manufacturer shall receive the tax so paid.

(2) The manufacturer receiving the tax under sub-section (1) shall submit to the assessing authority a return in respect of the goods supplied, and he in such manner and within such time as may be prescribed.

(3) Where any manufacturer refuses to receive, or fails to deposit the tax under this section he shall be liable to pay the tax alongwith the interest and penalty, if any, payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenues.

(4) Where the assessing authority is satisfied that any goods referred to in sub-section (1) is lost or destroyed after its delivery by the manufacturer and before is entry in to the local area it shall direct that the tax paid in respect of such; goods shall be refunded to the person who had paid the tax under sub-section (1) :

Provided that no claim for such refund shall be entertained after the expiry of six months from the date of the loss or destruction of the goods.

(5) The provisions of section 5 shall not apply to a person making payment of the tax under sub-section (1) and such person shall not be assessed, or required to submit a return, under this Act.

Special provision with respect to the tax paid to the manufacturer before the commencement of this Ordinance :

(1) Where any person has paid to the manufacturer before the commencement of this Ordinance, the tax payable under the principal Act, the manufacturer shall within one month from such commencement, deposit the tax so paid in the manner prescribed under the principal Act and shall also submit to the assessing authority a return in respect of the tax and the Goods for which the tax has been realised by him.

(2) Where any manufacturer fails to deposit the tax in accordance with sub-section (1) he shall be liable to pay the tax alongwith interest and penalty, if any payable thereon which shall be recoverable as arrears of land revenue.

4. Amendment of section 7 (1)

The words "Uttaranchal Act" is substituted for the words "Uttar Pradesh Act" in the principal Act.

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

("यह सदन पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी, जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरौला एवं नौगाँव एवं जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करता है, के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प।)

विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी, जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरौला एवं नौगाँव एवं जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करता है।"

श्री अध्यक्ष–

जो संशोधित कार्यसूची है उसमें मोरी विकास खण्ड छूट गया है, तो इसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प में संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया जाए।

प्रश्न यह है कि "यह सदन पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी, जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी, पुरौला एवं नौगाँव एवं जनपद टिहरी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000–2001 के अनुपूरक अनुदानों की माँग पर चर्चा एवं मतदान:–

अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–05 निर्वाचन, अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07 वित्त कर, नियोजन सचिवालय, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11 शिक्षा खेल युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति आवास एवं शहरी विकास, अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं, अनुदान संख्या–16 श्रम व रोजगार, अनुदान संख्या–17 कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20 बाढ़ एवं सिंचाई, अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण, अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग, अनुदान संख्या–24 परिवहन, अनुदान संख्या–25 खाद्य, अनुदान संख्या–27 वन विभाग, अनुदान संख्या–28 पशुपालन विभाग।

विधायी व संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रु0 8946 हजार (नवासी लाख छियालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रु0 8946 हजार (नवासी लाख छियालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत रु0 77638 हजार (सात करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत रु0 77638 हजार (सात करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या—06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रु0 108346 हजार (दस करोड़ तिरासी लाख छियालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रु0 108346 (दस करोड़ तिरासी लाख छियालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या—07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय विभाग के अन्तर्गत रु0 43029 हजार (चार करोड़ तीस लाख उन्तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय विभाग के अन्तर्गत रु0 43029 हजार (चार करोड़ तीस लाख उन्तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या—10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत रु0 31719 हजार (तीन करोड़ सत्रह लाख उन्नीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत रु0 31719 हजार (तीन करोड़ सत्रह लाख उन्नीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत रु0 393889 हजार (उन्तालीस करोड़ अड़तीस लाख नवासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत रु0 393889 हजार (उन्तालीस करोड़ अड़तीस लाख नवासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत रु0 200809 हजार (बीस करोड़ आठ लाख नौ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत रु0 200809 हजार (बीस करोड़ आठ लाख नौ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शहरी विकास, आवास मंत्री (श्री हरबंस कपूर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 208999 हजार (बीस करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 208999 हजार (बीस करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं विभाग के अन्तर्गत रु0 172279 हजार (सत्रह करोड़ बाईस लाख उन्नासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाऐं विभाग के अन्तर्गत रु0 172279 हजार (सत्रह करोड़ बाईस लाख उन्नासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत रु0 1688 हजार (सोलह लाख अट्ठासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत रु0 1688 हजार (सोलह लाख अट्ठासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कृषि मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17, कृषिकर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत रु0 29360 हजार (दो करोड़ तिरानवें लाख साठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषिकर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत रु0 29360 हजार (दो करोड़ तिरान्वे लाख साठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 1483848 हजार (एक अरब अड़तालीस करोड़ अड़तीस लाख अड़तालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत रु0 1483848 हजार (एक अरब अड़तालीस करोड़ अड़तीस लाख अड़तालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत रु0 5621 हजार (छप्पन लाख इक्कीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत रु0 5621 हजार (छप्पन लाख इक्कीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत रु0 56000 हजार (पाँच करोड़ साठ लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत रु0 56000 हजार (पाँच करोड़ साठ लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पर्यटन, लोक निर्माण मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत रु0 191134 हजार (उन्नीस करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत रु0 191134 हजार (उन्नीस करोड़ ग्यारह लाख चौंतीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत रु0 131 हजार (एक लाख इक्कतीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत रु0 131 हजार (एक लाख इक्कतीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

परिवहन मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत रु0 21105 हजार (दो करोड़ ग्यारह लाख पाँच हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत रु0 21105 हजार (दो करोड़ ग्यारह लाख पांच हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत रु0 10010 (एक करोड़ दस हजार) रुपये के अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत रु0 10010 हजार (एक करोड़ दस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (डा0 मोहन सिंह रावत "गाँववासी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27 वन विभाग के अन्तर्गत रु0 86273 हजार (आठ करोड़ बासठ लाख तिहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत रु0 86273 हजार (आठ करोड़ बासठ लाख तिहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री लाखी राम जोशी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन संबंधी कार्य विभाग के अन्तर्गत रु0 3675 हजार (छत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन संबंधी कार्य विभाग के अन्तर्गत रु0 3675 हजार (छत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001

रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गई)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2001

31 मार्च, 2003 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2001–2002 के लिए 4505,75,27,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 4, सन् 2001) की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) 4505,75,27,000 रुपये (चार हजार पाँच सौ पाँच करोड़, पचहत्तर लाख, सत्ताइस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत		राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3		4	5
1.	विधान सभा	राजस्व :	62361	3448	65809
		पूँजी :	0	0	0
2.	राज्यपाल	राजस्व :	0	29343	29343
		पूँजी :	0	0	0
3.	मंत्रि परिषद्	राजस्व :	35000	0	35000
		पूँजी :	0	0	0
4.	न्याय प्रशासन	राजस्व :	225030	97261	322291
		पूँजी :	0	0	0
5.	निर्वाचन	राजस्व :	43812	0	43812
		पूँजी :	0	0	0
6.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व :	1116372	22	1116394
		पूँजी :	0	0	0
7.	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें	राजस्व :	5143673	6806760	11950433
		पूँजी:	134500	2509646	2644146
8.	आबकारी	राजस्व :	38106	0	38106
		पूँजी :	0	0	0
9.	लोक सेवा आयोग	राजस्व :	7342	0	7342
		पूँजी :	0	0	0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व :	1669161	10	1669171
		पूँजी :	100001	0	100001
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व :	6828480	16	6828496
		पूँजी :	190319	0	190319
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व :	1656613	0	1656613
		पूँजी :	157395	0	157395
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व :	2216058	0	2216058
		पूँजी :	125000	0	125000

1	2	3		4	5
14.	सूचना	राजस्व :	109939	0	109939
		पूँजी :	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व :	1002055	0	1002055
		पूँजी :	68100	0	68100
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व :	229120	0	229120
		पूँजी :	0	0	0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व :	1630906	2355	1633261
		पूँजी :	24740	0	24740
18.	सहकारिता	राजस्व :	92733	0	92733
		पूँजी :	84143	0	84143
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व :	1609627	0	1609627
		पूँजी :	142538	0	142538
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व :	1458188	0	1458188
		पूँजी :	358746	0	358746
21.	ऊर्जा	राजस्व :	331045	0	331045
		पूँजी :	1000000	0	1000000
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व :	1344308	10555	1354863
		पूँजी :	2322551	0	2322551
23.	उद्योग	राजस्व :	268779	0	268779
		पूँजी :	32507	0	32507
24.	परिवहन	राजस्व :	139156	100	139256
		पूँजी :	27124	0	27124
25.	खाद्य	राजस्व :	139382	0	139382
		पूँजी :	1001	0	1001
26.	पर्यटन	राजस्व :	184682	0	184682
		पूँजी :	163017	0	163017
27.	वन	राजस्व :	2516355	1198	2517533
		पूँजी :	28500	0	28500
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व :	521483	55	521538
		पूँजी :	16830	0	16830
			15847535	14263	15861798
	योग		35596758	9460769	45057527

उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की माँगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, अतः–

इस विधेयक में उत्तरांचल की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 4, सन् 2001) द्वारा किये गये विनियोग की धनराशियाँ भी सम्मिलित हैं।

डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
मंत्री, वित्त।

THE UTTARANCHAL APPROPRIATION BILL, 2001

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty first day of March, 2002 :

It is Hereby enacted in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttaranchal Appropriation Act, 2001.

Issue of Rs. 4505,75,27,000 out of the Consolidated Fund of Uttaranchal for the year 2001-2002

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttaranchal there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column--3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column--3 of the Schedule to the Uttaranchal Appropriation (Vote on Account) Act, 2001 (Uttaranchal Act no. 4 of 2001)] to the sums of Rs. 4505,75,27,000 (Four thousand five hundred five crore, seventy five lakh, twenty seven thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2002 in respect of the services and purposes specified in Column--2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttaranchal by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2002.

SCHEDULE

(*See* Section 2 and 3)

Grant/ Serial No.	Services and purpose	Sums not exceeding (In thousands of rupees)			
		Voted by the Legislative Assembly		Charged on Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3		4	5
1.	Legislature	Revenue :	62361	3448	65809
		Capital :	0	0	0
2.	Governor	Revenue :	0	29343	29343
		Capital :	0	0	0
3.	Council of Ministers	Revenue :	35000	0	35000
		Capital :	0	0	0
4.	Judicial Administration	Revenue :	225030	97261	322291
		Capital	0	0	0
5.	Election	Revenue :	43812	0	43812
		Capital :	0	0	0
6.	Revenue & General Administration	Revenue :	1116372	22	1116394
		Capital :	0	0	0
7.	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellanious services	Revenue :	5143673	6806760	11950433
		Capital :	134500	2509646	2644146
8.	State Excise	Revenue :	38106	0	38106
		Capital :	0	0	0
9.	Public Service Commission	Revenue :	7342	0	7342
		Capital :	0	0	0
10.	Police & Jail	Revenue :	1669161	10	1669171
		Capital :	100001	0	100001
11.	Education, Sport & Youth welfare & Culture	Revenue :	6828480	16	6828496
		Capital	190319	0	190319
12.	Medical & Family Welfare	Revenue :	1656613	0	1656613
		Capital :	157395	0	157395
13.	Water supply, Housing & Urban Development	Revenue :	2216058	0	2216058
		Capital :	125000	0	125000

1	2	3		4	5
14.	Information	Revenue :	109939	0	109939
		Capital :	0	0	0
15.	Welfare	Revenue :	1002055	0	1002055
		Capital :	68100	0	68100
16.	Labour & Employment	Revenue :	229120	0	229120
		Capital	0	0	0
17.	Agriculture works & Research	Revenue :	1630906	2355	1633261
		Capital :	24740	0	24740
18.	Co-operative	Revenue :	92733	0	92733
		Capital :	84143	0	84143
19.	Rural Development	Revenue :	1609627	0	1609627
		Capital :	142538	0	142538
20.	Irrigation & Flood	Revenue :	1458188	0	1458188
		Capital :	358746	0	358746
21.	Energy	Revenue :	331045	0	331045
		Capital :	1000000	0	1000000
22.	Public Works	Revenue :	1344308	10555	1354863
		Capital :	2322551	0	2322551
23.	Industries	Revenue :	268779	0	268779
		Capital :	32507	0	32507
24.	Transport	Revenue :	139156	100	139256
		Capital :	27124	0	27124
25.	Food	Revenue :	139382	0	139382
		Capital :	1001	0	1001
26.	Tourism	Revenue :	184682	0	184682
		Capital :	163017	0	163017
27.	Forest	Revenue :	2516355	1198	2517533
		Capital :	28500	0	28500
28.	Animal Husbandry	Revenue :	521483	55	521538
		Capital :	16830	0	16830
			15847535	14263	15861798
		Total :	35596758	9460769	45057527

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

ARTICLE 204 of the Constitution requires that an Appropriation Bill should be introduced in the State Legislature after the demands for grants have been voted by the Legislative Assembly. For incurring miscellaneous expenditure by the State from the Consolidated Fund of the State, a provision is necessary for the payment and re-appropriation of certain amount therefore,

this Bill provides for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of Uttaranchal of all moneys required to meet the Grants made by the Uttaranchal Legislative Assembly and the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State in respect of the year ending on the thirty-first day of March, 2002. This includes the appropriation of moneys made under the Uttaranchal Appropriation (Vote on Account) Act, 2001 (Uttaranchal Act no. 4 of 2001).

Dr. RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'
FINANCE MINISTER.

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी की अल्मोड़ा के दवा व्यापारी अंचल पंत की हत्या के संबंध में है, जिसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकृत करता हूँ। दूसरी सूचना श्री राम सिंह सैनी जी की प्रदेश में गन्ने के कृषकों का गत वर्ष में गन्ने मूल्य का भुगतान न होने के संबंध में है, जिसे मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत करता हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की सूचना को अस्वीकृत किया जाता है।

(अब हम उठते हैं 3 दिसम्बर, 2001 को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे)

(इसके बाद सदन 5 बजकर 06 मिनट पर सोमवार 03–12–2001 / अगले दिनाँक 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

देहरादून
दिनांक : 21/11/2001

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

संलग्नक–'क'

वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जाँच समिति वर्ष 2001 के माननीय सदस्यों की सूची

1. श्री राम सिंह सैनी	सभापति
2. श्री काजी मो0 मोइनुद्दीन	सदस्य
3. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा	सदस्य
4. श्री के0 सी0 सिंह 'बाबा'	सदस्य
5. श्री बिशन सिंह चुफाल	सदस्य

विधान सभा सचिवालय

श्री महेश चन्द्र	सचिव
श्री जगदीश चन्द्र	संयुक्त सचिव
श्री चन्द्र मोहन गौड़	अनुभाग अधिकारी

प्रतिवेदन

मैं वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रकरण की जाँच समिति का प्रतिवेदन जो वन निगम से सम्बन्धित है तथा जिसे समिति ने अपनी दिनाँक 20 नवम्बर, 2001 की बैठक में अंगीकृत किया, प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–200 के अन्तर्गत दिनाँक 14 जून, 2001 को गठित की गई थी।

उक्त समिति द्वारा कुल आठ (8) बैठकों में शासन एवं छटनीशुदा कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों द्वारा साक्ष्य लिये गये। दोनों ओर से अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और दोनों पक्षों के साक्ष्य के आधार पर समिति सम्यक् विचारोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँची कि छटनीशुदा कर्मचारियों की आयु एवं कार्य की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नवगठित उत्तरांचल राज्य में वन निगम के रिक्त पदों एवं भविष्य में सृजित किये जाने वाले पदों पर वरिष्ठता के आधार पर समायोजित किया जाना समीचीन होगा। कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा 105 कर्मचारियों की सूची को समायोजित किये जाने की समिति प्रबल संस्तुति करती है और उत्तरांचल शासन के विभागीय सचिव एवं उच्चाधिकारियों को सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती है।

विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने समिति के कार्य में अथक परिश्रम कर प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग दिया, उनका मैं व्यक्तिगत तथा समिति की ओर से आभारी हूँ।

देहरादून
दिनांक : 22 नवम्बर, 2001

राम सिंह सैनी,
सभापति,
वन निगम के छंटनीशुदा
कर्मचारियों की संघर्ष समिति,
उत्तरांचल विधान सभा,
देहरादून।

(1) समिति का गठन :–

उत्तरांचल विधान सभा के द्वितीय सत्र 2001 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री हरबंश कपूर मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–8 पर मा0 अध्यक्ष ने एक समिति के गठन का निदेश दिया जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनाँक 14 जून, 2001 को विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या–647/वि0स0/23/(सं0)/2001 द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बंध में एक जाँच समिति का गठन किया गया तथा जिसमें मा0 सदस्य श्री राम सिंह सैनी को इस समिति का सभापति नामित किया गया तथा चार अन्य मा0 सदस्यों सर्वश्री काजी मो0 मोइउद्दीन, कृष्ण चन्द्र पुनेठा, के0सी0 सिंह 'बाबा' तथा बिशन सिंह चुफाल को इस समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। समिति के गठन की अधिसूचना "संलग्नक–एक" पर उपलब्ध है।

(2) समिति का कार्यक्षेत्र :–

समिति का कार्यक्षेत्र मा0 सदस्य श्री हरबंश कपूर द्वारा विधान सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–8 के सम्पूर्ण प्रकरण में आवश्यक अभिलेखों की जाँच कर संघर्षरत छटनीशुदा कर्मचारियों के सम्बंध में आवश्यक संस्तुतियाँ करना था।

(3) समिति के सम्मुख शासन के द्वारा प्रस्तुत पक्ष :–

समिति द्वारा इस प्रकरण पर शासन के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिन्दुओं का व्यापक एवं गहन परीक्षण किया गया तथा वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच के सम्बंध में आठ बैठकें आयोजित की गईं जिसमें वन विभाग एवं वन निगम के उच्चाधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया। समुचित विचारोपरान्त समिति ने दिनांक 07–07–2001 की बैठक में इस प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर शासन से आख्या माँगी जो "संलग्नक–दो" पर उपलब्ध है। जिसमें निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

शासन के द्वारा छटनी किए गये कर्मचारियों के सम्बंध में जो पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसका मूल आधार वर्ष 1992 में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा मा0 नगर विकास मंत्री श्रीमती प्रेमलता कटियार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यों की समीक्षा हेतु मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक में प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश वन निगम में प्रथम दृष्टया ओवर स्टाफिंग पायी गई जिसके आधार पर वन निगम की बैठक में भी छंटनी का प्रस्ताव पारित किया गया एवं स्केलरों तथा चौकीदारों की छटनी प्रारम्भ की गई। उक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति को वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश द्वारा की गई छटनी के सम्बंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी उपलब्ध करायी गई जो "संलग्नक–तीन" पर उपलब्ध है। तत्पश्चात् प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा दिनांक 29–10–92 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णयों की मद संख्या–21 द्वारा वन निगम के कर्मचारियों की छटनी की गई जो "संलग्नक–चार" पर दृष्टव्य है। इस प्रकार गढ़वाल मण्डल तथा टिहरी क्षेत्रों में जो छटनी की गई उसके अनुसार 356 स्केलर व 218 चौकीदार कुल 708 कर्मचारियों की छटनी वर्ष 1995 में की गई जो छटनी की गई वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6 (एन0) के अन्तर्गत की गई। क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वन निगम, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–ई0–372/वरिष्ठता सूची, दिनांक 25–4–90 द्वारा स्केलरों एवं फील्ड सहायकों की सूची उपलब्ध करायी गई जो "संलग्नक–पाँच" पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–3515/वरिष्ठता सूची/दैनिक कर्मचारी, दिनांक 17 फरवरी, 1995 द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के दैनिक वृत्ती के स्केलरों की वरिष्ठता सूची उपलब्ध करायी गई। यह "संलग्नक–छः" पर दृष्टव्य है।

(4) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप संघर्षरत कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने हेतु आमन्त्रण :–

समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर शासन के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिन्दुओं का व्यापक एवं गहन परीक्षण किया गया साथ ही समिति का यह मत रहा कि छटनीशुदा कर्मचारियों को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मानवीय आधार पर समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के व्यापक अवसर प्रदान किये जायं।

इस क्रम में शासन से समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि वे छटनीशुदा कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठनों से समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करें। शासन द्वारा तद्नुसार छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया जिसमें समिति द्वारा विभिन्न छटनीशुदा कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त समिति का यह भी मन्तव्य रहा है कि छटनीशुदा कर्मचारियों का कोई भी सदस्य एवं प्रतिनिधि अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित न रह जाये। अतः एक प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार हेतु विज्ञापित करायी गई एवं उसके आधार पर ही जिन प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहा, उनको भी तद्नुसार अवसर प्रदान किया गया। प्रेस विज्ञप्ति "संलग्नक–सात" पर दृष्टव्य है।

(5) छटनीशुदा कर्मचारियों की संघर्ष समिति का पक्ष :–

समिति का समक्ष छटनीशुदा कर्मचारियों के द्वारा समय–समय पर जो बिन्दु प्रस्तुत किये गये उनके मूल आधार निम्न बिन्दु बनाये गये :–

1. गढ़वाल क्षेत्र के अन्दर यदि कार्य कम था तो दूसरे क्षेत्र के कर्मचारियों को गढ़वाल क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने का क्या औचित्य है? एवं यदि दूसरे क्षेत्र के कर्मचारियों को गढ़वाल क्षेत्र में भेजा जा सकता है तो इस क्षेत्र के कर्मचारियों को दूसरे क्षेत्र में न भेजे जाने का कोई कारण नहीं है।
2. कि शासन द्वारा अनियमिततापूर्ण तरीके से वरिष्ठ कर्मचारियों के स्थान पर कनिष्ठ कर्मचारियों को समायोजित किया गया एवं जो वरिष्ठता सूची निर्धारित की गई है, वह अनियमित है।
3. कि स्केलरों एवं चौकीदारों की नियुक्ति के लिए जो मापदण्ड पूर्व निर्धारित थे यदि उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तो छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
4. कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा–6 (एन0) के अन्तर्गत जो कार्यवाही की गई है वह तत्सम्बन्धी व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं की गई है।
5. उत्तर प्रदेश वन निगम छटनीशुदा कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के छटनीशुदा कर्मचारियों को समायोजित किए जाने के सम्बंध में सूची प्रस्तुत की गई जो "संलग्नक–आठ" पर उपलब्ध है।

(6) शासन द्वारा संघर्ष समिति द्वारा उठाये गए बिन्दुओं पर आख्या :–

संसदीय जांच समिति के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यकीय अभिलेख जिन पर शासन का पक्ष संघर्ष समिति द्वारा चाहा गया वह समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए जो "संलग्नक–नौ" पर दृष्टव्य है। इसी टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में समिति के निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी गई जो "संलग्नक–दस" पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त 54 स्केलर जो टिहरी क्षेत्र से सम्बन्धित थे और जिनकी छटनी कर दी गई थी उन्हें पुनः टिहरी क्षेत्र में योगदान दिये जाने हेतु पत्र संख्या–ई0/48/स्टाफ जनरल, दिनांक 27–4–95 द्वारा आदेशित किया गया था जिसकी प्रति "संलग्नक–ग्यारह" पर उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वन निगम के छटनी किए गये कर्मचारियों के आदेश की प्रक्रिया की जानकारी के क्रम में शासन द्वारा तत्कालीन प्रभागीय लौगिंग प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद, बिजनौर के पत्र संख्या–3107/दिनांक 24–3–95 और पत्र संख्या–533/छटनी, दिनांक 24–5–95 द्वारा छटनी के सम्बंध में जो नोटिस जारी किया गया, उपलब्ध करायी गई, वह "संलग्नक–बारह" पर उपलब्ध है।

दिनांक 31–3–95 को छटनी किए गये दैनिक स्केलरों/चौकीदारों, जो कि गढ़वाल विक्रय प्रभाग, कोटद्वार के सम्बंध में है की सूची उपलब्ध करायी गई, जो "संलग्नक–तेरह" पर उपलब्ध है।

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वन निगम, पौड़ी द्वारा छटनी किए गये कर्मचारियों के सम्बंध में जो सूची उपलब्ध करायी गई वह "संलग्नक–चौदह" पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबंधक मुजफ्फरनगर, लौगिंग प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या–2283/छटनी, दिनांक 24–3–95 और पत्र संख्या–386/छटनी/दिनांक 24–5–95 द्वारा जो सूची उपलब्ध करायी गई वह "संलग्नक–पंद्रह" पर उपलब्ध है।

(7) निष्कर्ष :–

शासन एवं संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में समिति द्वारा शासन के समक्ष समय–समय पर कर्मचारी प्रतिनिधियों के द्वारा रखे गये विभिन्न बिन्दुओं के उत्तर हेतु शासन को अवसर प्रदान किया गया एवं शासन द्वारा बिन्दुवार जो आख्या प्रस्तुत की गयी व छटनीशुदा कर्मचारियों के उपस्थित सदस्यों को उनके तत्संबंधी प्रत्युत्तर के लिए उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार समिति द्वारा इस बात पर जाँच के समय यह पूरा ध्यान रखा गया है कि शासन तथा छंटनीशुदा कर्मचारियों के पक्षों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर समिति के समक्ष विवेचना का अवसर दोनों पक्षों को प्राप्त हो सके। इस प्रक्रम पर जबकि प्रश्नगत प्रकरण पर श्रम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचारित हो चुका हो समिति द्वारा वन निगम द्वारा अपनायी गई छटनी की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी किया जाना समीचीन न होगा। समिति द्वारा वर्तमान में संघर्षरत छंटनीशुदा कर्मचारियों की एक सूची समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी। उक्त समिति के द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार कुल 105 कर्मचारियों की (छंटनीशुदा कर्मचारियों)

की सूची समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है, जो वर्तमान में संघर्षरत है। समिति का यह स्पष्ट मत है कि संघर्ष समिति के छटनीशुदा कर्मचारियों जिन्होंने वन निगम में दीर्घावधि तक अपनी सेवा उपलब्ध करायी है एवं वर्तमान में अन्यत्र सेवा की पात्रता हेतु अपनी आयुसीमा के कारण पात्र नहीं रह गये हैं उनको उत्तरांचल वन विकास निगम में ही समायोजित कराया जाना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। यद्यपि कुल 708 कर्मचारियों की वन निगम द्वारा छटनी की गयी थी किन्तु अब मात्र 105 कर्मचारी ही हैं जो वर्तमान में समायोजन हेतु संघर्षरत हैं तथा समिति भी इन कर्मचारियों को वन निगम में समायोजित करने हेतु संस्तुति करती है। यह वन निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों की छटनी के पश्चात् उनके परिवारों की आर्थिक विपणता, दुरूह पारिवारिक स्थिति का भी संज्ञान लिया जाना मानवीय दृष्टिकोण से भी नितान्त आवश्यक है।

(8) संस्तुति :–

अतः उत्तरांचल वन विकास निगम में श्रेणी तीन एवं चार में सृजित होने वाले पदों पर सर्वप्रथम इन छंटनीशुदा कर्मचारियों को ही उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समायोजित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 09 विधान सभा/335–18–10–2002–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।